लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९, अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६—अंक १ से १०—७ से १९ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय | पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १९६१/१७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . . १८१—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . . २०४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ से ३४३ . . . . . . २३८—३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . . ३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . . ३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३३१—३४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ३३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३३४—७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८०—९१

अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . . ३९३—४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . . ४१३—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ . ४७३—५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५५९—६५

चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . . ५६५

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ५६५

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति . ५६६

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि ५६६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६६—६७

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प . ५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव . . ५६४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१६

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४——गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८६, ३३१, ३४३ और २६० से २६५ ६३६–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २६६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५६० और ५६३ से ६६६ ६६८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक——

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित——

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक——

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक——

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९३[illegible]–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३—६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१—८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ से ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . .	१४९५—१५०३
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०३—१४

विषय	पृष्ठ

विचार करने का प्रस्ताव	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, १९ अगस्त, १९६१
२८ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तानियों द्वारा सीमातिक्रमण

+
†*६८१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वाजपेयी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में पाकिस्तानियों द्वारा भारत में सीमातिक्रमण की कुछ घटनायें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन भागों में और कितनी बार अतिक्रमण हुए और उन से कितनी हानि हुई ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १ मार्च से ३१ जुलाई, १९६१ तक की पांच मास की अवधि में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमातिक्रमण की घटनाओं का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा है । देखिये एल० टी० ३१२०/६१]** फरवरी, १९६१ के अन्त तक की घटनाओं का ब्यौरा सभा को पहिले ही दिया जा चुका है ।

(विवरण में आसाम-पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल—पूर्वी पाकिस्तान सीमाओं पर हुई सीमातिक्रमण की घटनाओं का, जो १६ जून से ३१ जुलाई, १९६१ तक हुईं, ब्यौरा सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये अभी राज्य सरकारों से नहीं मिले हैं । इन का ब्यौरा बताने वाला अन्य विवरण यथाशीघ्र पटल पर रखा जायेगा) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ঘ129(AI)LSD—2.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस विवरण को देखने से यह प्रतीत होता है कि पिछले पांच महीनों में भारतीय सीमा का पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उल्लंघन हुआ है और इस प्रकार की घटनाओं की संख्या बढ़ी है, जिस में उन्हों ने पशुओं की चोरी की, मनुष्यों की हत्या की और धन छीन कर ले गये। क्या मैं जान सकता हूं कि जब इन घटनाओं की संख्या इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रही है, तो क्या सरकार इसी प्रकार की कार्यवाही करती रहेगी, या इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ पग उठाने का निश्चय किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जाहिर है कि हर वक्त इन्तज़ाम बढ़ाने की कोशिश होती है कि ऐसी घटनायें न हों लेकिन फिर भी मैं सदस्यगण से यह प्रार्थना करूंगा कि वे देखें कि ये घटनायें किस किस्म की हैं, यानी बाज़ तो छोटे किस्म की हैं, जोकि चोरी वग़ैरह में आती हैं और बाज़ ज्यादा बड़ी हैं। जाहिर है कि हर किस्म की हैं। इसका जवाब तो यही है कि हम पूरी तरह से इस बारे में कोशिश करते रहेंगे।

†**श्री वाजपेयी :** माननीय प्रधानमंत्री ने बताया था कि पाकिस्तान के साथ हुए सीमा करारों से भारत को बहुत लाभ हुआ है। इस विवरण के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में पांच महीनों में भारतीयों की अपहरण, हत्या, सम्पत्ति की लूट, आदि की इकतालीस से अधिक घटनायें हुई हैं। क्या यह इस बात के द्योतक हैं कि सीमा करारों का सन्तोषजनक पालन किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से विदित होता है कि पश्चिमी बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के अतिरिक्त घटनायें बहुत कम हुई हैं। जहां परिसीमन हो गया है, जैसा पश्चिमी पंजाब—पाकिस्तान की सीमा, वहां कोई घटना नहीं हुई है।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जहां परिसीमन हो गया है वहां कोई भी घटना नहीं हुई है। मेरी जानकारी यह है कि असम में कछार की करीमगंज की दो चौकियों पर सीमा पार के आने वाले ४१५ व्यक्तियों को लौटाया गया और इसी प्रकार के ९०० ऐसे व्यक्ति हैं जिन के बारे में असम सरकार जांच पड़ताल कर रही है। पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा को इतना कमज़ोर क्यों बनाया गया है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति सीमा पार कर के आ जाते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि ४०० व्यक्ति चौकियों से हो कर आये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन की जानकारी यही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं जानना चाहता हूं कि यह कब हुआ ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आज प्रातः के समाचारपत्रों के समाचार की ओर आकर्षित करता हूं। यह समाचार '**अमृत बाजार पत्रिका**' या '**स्टेट्समैन**' में है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** समाचारपत्रों के समाचार के लिये मुझे उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। मेरी अपनी जानकारी यह है कि प्रायः समाचारपत्रों के समाचार सही नहीं होते और वे बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित होते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि असम सरकार ऐसी घटनाओं की जांच पड़ताल कर रही है ? यदि कोई घटनायें ही नहीं हुई थीं, तो असम सरकार जांच पड़ताल क्यों कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने यह नहीं कहा कि कोई घटना नहीं हुई। जहां तक मुझे विदित है, जांच पड़ताल साधारणतया व्यक्तियों के सीमा पार कर आने के प्रश्न की है, क्या ऐसा हुआ है, कितने व्यक्ति आये हैं और इसे रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है।

†**श्री वाजपेयी** : विवरण में उल्लेख है कि उस में अवैध रूप से सीमा पार कर के आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की, जो पकड़े गये हैं, संख्या सम्मिलित नहीं है। ये आंकड़े क्यों सम्मिलित नहीं किये गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये आंकड़े राज्यों से मंगाने हैं। हम उन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रायः सभी देशों की सीमाओं पर तस्कर व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। यदि कोई तस्कर व्यापार की ही सूची बनाये, तो यह काफी बड़ी हो जाती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि इस विवरण में जम्मू-काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, तो क्या वहां इस प्रकार की घटनायें पिछले पांच महीनों में बिल्कुल नहीं हुईं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वहां तो दूसरी किस्म की घटनायें होती हैं। वहां चूंकि फौजें हैं, इसलिये ये छोटी घटनायें वहां नहीं हो सकती हैं। वहां पर इस किस्म की घटनायें होती हैं कि कभी तो एक दूसरे पर गोली चलती है और कभी कोई साहब किसी बुरी नीयत से आ जाते हैं और वह पकड़े जाते हैं। कई पकड़े गये हैं, कई गोली से मारे गये हैं। चूंकि वहां फ़ौजें काफ़ी हैं, इसलिये इस किस्म की घटनायें आसानी से वहां नहीं हो सकती हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पिछले अप्रैल में एक सप्ताह से भी कम में पूर्वी पाकिस्तान के सेना कर्मचारी त्रिपुरा के सोनामुरा थाने में दो बार घुसे और दो भारतीयों को ले गये। इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है और क्या इस का उस क्षेत्र के व्यक्तियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है और क्या वहां गश्त लगाने वाले हमारे व्यक्ति बढ़ा दिये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे पास जो ब्यौरा है, वह विवरण में दिया है। यदि किसी विशेष मामले के बारे में अधिक जानकारी चाहिये, तो मैं उसे जानने की कोशिश करूंगा।

ग्रामीण मकानों के निर्माण की प्रविधि

+

†*६८२. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण मकानों के निर्माण-कार्य तथा रूपांकन की नई प्रविधियों के परीक्षण तथा प्रदर्शन के लिये 'प्रयोगशाला' गांवों की स्थापना के सम्बन्ध में जिस के लिये फोर्ड फाउन्डेशन ने कुछ अनुदान मंजूर किये हैं, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उन की कुल लागत कितनी होगी ; और

(ग) उस फाउन्डेशन द्वारा कितनी निधि दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगात्मक/प्रदर्शन मकानों के निर्माण के लिए फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिये गये अनुदान के उचित प्रयोग के लिए अनुदेशों को हाल में अंतिम रूप दिया गया था और ग्रामीण गृह-व्यवस्था संबंधी अनुसन्धान-व-प्रशिक्षण केन्द्रों को मार्गदर्शन के लिए परिचालित कर दिये गये थे। केन्द्रों से कहा गया है कि वे आवश्यक ब्यौरा (उनके स्थान, आदि सहित) शीघ्र निश्चित करके उचित परियोजनायें तैयार करें।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २००,००० डालर।

†**श्री श्रीनारायण दास :** अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं और क्या प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र होगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ऐसे छः केन्द्र हैं जो देश के छः खंडों में हैं। अभी सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** प्रत्येक केन्द्र में इस अनुसन्धान के लिए कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विषय मिला रहे हैं। छः केन्द्र इंजीनियरी कालिजों से संबद्ध हैं जो फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान से दो साल पहिले खोले गये थे। तीसरी योजना की अवधि के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में प्रयोगात्मक ग्रामीण मकान बनाने के लिए २००,००० डालर का और अनुदान दिया है ।

†**श्री कासलीवाल :** इस नये प्रकार के मकान का कहीं कोई नमूना मकान बनाया गया है और यदि हां, तो उसकी औसत लागत क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** विचार यह है कि हम जो भी ग्रामीण मकान बनायें उसकी लागत ३००० रु० से अधिक न हो। अभी कोई मकान नहीं बना है। अनुदान हाल में ही मिला है। काम तीसरी योजना में होना है ।

†**श्री राधा रमण:** क्या इस योजना में राज्य भी भाग लेंगे और यदि हां, तो वे कितना धन और कितने व्यक्ति उपलब्ध करेंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** नहीं। सारा धन भारत सरकार फोर्ड फाउन्डेशन के इस अनुदान से देगी। जहां तक इन मकानों के लिए अपेक्षित भूमि का संबंध है, स्वभाविक है कि यह काम राज्य सरकारों की सहायता से होगा। हमने परामर्श दिया है कि वे पंचायत बोर्डों की सलाह से भूमि प्राप्त करें।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इन ग्रामीण मकानों का निर्माण-ब्यौरा क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होगा। विचार यह है कि निर्माण की उन्नत प्रविधियों और स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके हमें प्रदर्शनार्थ ये नमूने के मकान बनाने चाहियें। छः केन्द्रों में से प्रत्येक ३०००० रु० नियत किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र एक वर्ष में साधारणतया १०, ११ मकान बनायेगा। यह सब यह देखने के लिए है कि इन नये प्रकार के मकानों के प्रति ग्रामीण व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी:** रुड़की में एक नियमित आवास अनुसन्धान संस्था है। कदाचित वे वर्षों से यही काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोई अनुसन्धान पूरा किया है? क्या ग्रामीण मकानों संबंधी किसी अनुसन्धान को व्यवहार में लाया गया है? क्या कहीं, कम से कम कागज़ पर कोई नमूना उपलब्ध है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** यह खेल कागज़ी काम नहीं है। ग्रामीण मकानों के नमूने दिल्ली में पिछली प्रदर्शनी में दिखाये गये थे। डिजाइन बताने वाली और बहुत सी सरल भाषा में ब्यौरा का उल्लेख करने वाली पुस्तिकायें हमने विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए प्रकाशित की हैं। विचार यह है कि उपयोगी पाई गई नई प्रविधियां ग्रामीण लोगों को बताई जायें ताकि वे इस अवसर से लाभ उठा सकें।

†**श्री त्यागी:** पिछले कई वर्षों से कोई मकान नहीं बनाया गया है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** अनेक सुधार हुए हैं। हम सभी सुधारों के साथ मकान बनाना चाहते हैं।

†**श्री त्यागी:** जब आप कुछ कर नहीं सकते तो सरकारी धन क्यों बर्बाद करते हो ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** व्यय तो फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान से होता है। मकान यह देखने के लिए बनाये जायेंगे कि ग्रामीण व्यक्तियों की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है।

†**श्री यादव नारायण जाधव:** क्या ये मकान अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में बने रह सकेंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** प्रत्येक खंड में भिन्न भिन्न प्रकार के मकान होंगे जो स्थानीय स्थितियों के अनुकूल होंगे। हम इनके प्रति ग्रामीण व्यक्तियों की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं।

केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था

+

†*६८३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री पांगरकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था के पुनर्गठन और विस्तार की योजना अंतिम रूप से तैयार कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) हां।

(ख) संस्था १ जुलाई, १६६१ से अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के नमूने पर पुनर्गठित की गई है। अधिक स्थानों की व्यवस्था होने पर इसके विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त:** आजकल कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और यह संख्या विस्तार के बाद कितनी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : पहिले ३२ स्थान थे और अब वे ८० हो गये हैं। पाठ्यक्रम ५ १/२ महीनों के बजाये ९ महीनों का हो गया है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश पाने के लिए कितनी शिक्षा होनी चाहिए। क्या इस संस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कुछ विशेष स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ?

† **श्री ल० ना० मिश्र** : कोई संरक्षण नहीं किया गया है। न्यूनतम शिक्षा कुछ शिक्षा और किसी प्रकार का प्रशिक्षण होगा।

मजूरी बोर्ड

†*६८४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्डों की स्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). काफी और रबड़ के बागानों के लिए हाल में मजूरी बोर्ड बनाये गये हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड हाल में बनाने का विचार है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे मजूरी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां, तो वे कौन कौन से उद्योग हैं ?

†**श्री आबिद अली** : इंजीनियरी, रसायन तथा कुछ अन्य उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का एक सुझाव था। आजकल हमारा विचार मेरे बताये गये बोर्ड के अलावा और बोर्ड बनाने का नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अखबारों और चमड़ा उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड न बनाने का निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने यही कहा है। आजकल और बोर्ड बनाने का विचार नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का निश्चय कई मास पहिले किया गया था। बोर्ड बनाने में हुई देरी और संविधान न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ समय पहिले, कदाचित् पिछले सत्र में, यहां यह घोषणा की गई थी कि इस विशेष उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड बनाया जायगा। हम इस उद्योग में कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों और मालिकों के प्रतिनिधियों के बारे में मालूम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : मांग होने पर अन्य उद्योगों में मजूरी बोर्ड न बनाने के क्या कारण हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : हम उद्योगवार विचार करेंगे ।

†श्री आबिद अली : सीमेंट उद्योग में एक मजूरी बोर्ड है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालिकों के मत जानने में देर होने के क्या कारण हैं ? लोहा और इस्पात उद्योग के मामले में, एक मालिक तो इस्पात मंत्रालय ही है । क्या इस्पात मंत्रालय सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव से सहमत हो गया है या नहीं ?

†श्री आबिद अली : इस उद्योग में कार्मिक संघों के सदस्यों की संख्या का पता लगाया जा रहा है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि मजदूरों के प्रतिनिधियों के नाम देने के लिए किससे कहा जाय । मालिकों की ओर से एक प्रतिनिधि सरकारी उद्योगों का और एक प्रतिनिधि गैर-सरकारी उद्योगों का होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सरकारी क्षेत्र सहमत हो गया है ?

†श्री आबिद अली : सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है । हमने मजूरी बोर्ड बनाने का निश्चय कर लिया है और वह बनाया जायेगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि इस्पात उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का निश्चय कर लिया गया है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोहा खानों में काम करने वाले और रोलिंग मिलों में काम करने वाले मजदूर इसके अन्तर्गत आयेंगे ?

†श्री आबिद अली : अन्य लोहा खानों में काम करने वाले मजदूर इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे परन्तु केवल वे लोग आयेंगे जो इस्पात कारखानों में काम करते हैं । वह प्रश्न विचाराधीन है ।

†श्री तंगामणि : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि रबड़ तथा काफी के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किये गये हैं । इन बोर्डों के बनने में कितना समय लगेगा ?

†श्री आबिद अली : इन मजूरी बोर्डों में मजदूरों के प्रतिनिधि भी नियुक्त होते हैं । मजूरी बोर्ड के संचालन में शीघ्रता करना उनका काम है । हम कोई समय सीमा निश्चित नहीं कर सकते ।

†श्री तंगामणि : पिछली बार जब एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि यह बताना उचित नहीं है कि रिपोर्ट कब तक पेश की जायगी । कुछ टीका टिप्पणी हुई है कि नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ३ वर्ष और २ वर्ष बाद रिपोर्ट देते हैं । कुछ समय होना चाहिए जब हमें यह विदित हो जाये कि अन्तिम रिपोर्ट कब मिलती है । क्या हाल में नियुक्त किये गये इन दो मजूरी बोर्डों को पिछला प्रश्न पूछे जाने के बाद कोई संकेत दिया गया है ?

†श्री आबिद अली : संबंधित उद्योग के मजदूरों के प्रतिनिधि इस मजूरी बोर्ड में नियुक्त हो गये हैं । निश्चय ही वे उत्तरदायी व्यक्ति हैं । वे इस बोर्ड का काम शीघ्र आरम्भ करने और रिपोर्ट देने के लिए अवश्य ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे और वे यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं । वे व्यक्ति न्यायप्रिय भी हैं । यदि माननीय सदस्य को उन पर विश्वास न हो, तो मजदूरों से उन्हें हटाने के लिए कह सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सरकारी उद्योगों में ऐसे मजूरी बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो वे उद्योग क्या हैं और उनका व्यौरा क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** नहीं, मैं कह चुका हूं कि आजकल अधिक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का विचार नहीं है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** सरकारी उद्योगों के लिए भी ?

†**श्री आबिद अली :** किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†*६८५ **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अध्ययन यह मालूम करने के लिए कि वेतन क्रम तथा सेवा की अन्य शर्तों में असमानता किस हद तक कर्मचारियों के चले जाने के लिए उत्तरदायी है, इस बीच पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अभी नहीं श्रीमान् । आशा है कि यह इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या यह संस्था सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लोगों का बाहर जाना रोकने के लिए कोई सुझाव देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम ने लोक प्रशासन संस्था से इसी उद्देशय से अध्ययन करने की प्रार्थना की है । अध्ययन हो रहा है और आशा है कि इस वर्ष नवम्बर या दिसम्बर में हमें रिपोर्ट मिल जायेगी ।

†**श्री रंगा :** वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़ने वाले अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है या उनकी संख्या कम हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा है । वास्तव में, कुछ समय पहिले कुछ लोगों में एक डर फैल गया था । हमने स्वयं मंत्रालय में इसे रोक लिया है क्योंकि हमारे सरकारी उपक्रमों की संख्या बहुत बड़ी है । गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ अधिकारी सरकारी क्षेत्र में आये हैं और कुछ यहां से वहां गये हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में गये हैं। परन्तु इनकी संख्या थोड़ी है ।

†**श्री रंगा :** सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कितने अधिकारियों तथा विशेषज्ञों ने त्यागपत्र देने और दूसरी जगह रोजगार पाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे और कितनों को अनुमति नहीं दी गई ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है । यदि कोई व्यक्ति ठेका-अवधि समाप्त होने पर सरकारी क्षेत्र छोड़कर चला जाता है और कहीं और नौकरी करता है, तो हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं । परन्तु अनुमति के लिए ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकिम आल्वा : सरकारी क्षेत्र में तीन बड़े इस्पात के कारखाने हैं। क्या उनके वेतन-क्रमों में कोई समानता है ?

†श्री मनुभाई शाह : हां, क्योंकि यह एक ही कम्पनी है, अर्थात्, हिन्दुस्तान स्टील्स।

†श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि इन सरकारी उपक्रमों के कुछ कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन्हें वे सुविधायें नहीं मिलतीं जो उन्हें सरकारी सेवा में मिल सकती हैं। इसके साथ ही, उन्हें कुछ कठिनाइयां भी हैं, अर्थात्, वे राजनीति में या अन्य बातों में भाग नहीं ले सकते ?

†श्री मनुभाई शाह : ये विचार सही नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उपक्रमों में से प्रत्येक में पांच हज़ार या दस हज़ार या बीस हज़ार व्यक्ति काम करते हैं। यही बात कि वहां इतनी तेज़ी से व्यक्ति नियुक्त किये जा रहे हैं प्रदर्शित करती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पर्याप्त सुरक्षा तथा स्थिरता है।

फरक्का बांध

†*६८६. **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नाथ पाई :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बांध के निर्माण के बारे में पाकिस्तान के प्रेसिडेण्ट अयूब खां से प्राप्त पत्र पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां।

(ख) उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का पूर्ण रूपेण विनिमय हो जाने और उस सूचना के बारे में सामान्य सहमति होने के पश्चात् मन्त्री स्तर की बैठक करने का उपयोग होगा। जैसा कि सभा को विदित है पूर्व सूचना का विनिमय करने के लिये दोनों देशों के इंजिनियरों की बैठकें हो रही हैं। हमारे उत्तर में भारत के लिये फरक्का बांध के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो कलकत्ता के हमारे प्रमुख पत्तन को बचाने का एक मात्र साधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चुनी लाल :** पाकिस्तान सरकार ने क्या आपत्तियां की हैं ?

†**प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** किस बात पर आपत्ति ?

†**श्री चुनी लाल :** फरक्का बांध के निर्माण के बारे में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वे कहते हैं कि इस का ऊपर की ओर उनके जल सम्भरण पर अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में, बुरा प्रभाव पड़ेगा और ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिये, जिससे उस पर बुरा प्रभाव पड़े । यह मुख्य तर्क है ।

†**श्री नाथ पाई :** इस बांध को शीघ्रता और तेजी से पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मा० प्रधान मन्त्री ने पहले कहा था, क्या, जबकि इन बातचीतों और पत्र व्यवहार को जारी रखा जाएगा, बांध के वास्तविक निर्माण और कार्यान्वित में किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने दी जाएगी और समय अनुसूची का पालन किया जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जी हां । हम इस काम को कर रहे हैं । हमने इसको स्थगित होने या रुकने नहीं दिया और हम किसी भी प्रकार इस को रोकना नहीं चाहते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या हम पहले की स्थिति से यह समझें कि हमें इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई करने का हक है और यदि हां, तो इस वर्ष के लिये हमारा क्या कार्यक्रम है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं तत्काल कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कह सकता किन्तु यह चल रहा है । यह निस्सन्देह, भूमि अधिग्रहण सड़कों के निर्माण, आसपास कुछ रेलवे लाइनों के बिछाये जाने तथा इस प्रकार के बुनियादी काम के साथ आरम्भ हुआ था । यह प्रगति पर है । हम इसे कर रहे हैं, जैसाकि स्वभावतः हमें चाहिये पाकिस्तानी लोगों की अत्यावश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हम उन्हें किसी चीज से वंचित करना नहीं चाहते । हमें कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये यह काम अवश्य करना है ।

परन्तु बात केवल फरक्का बांध की नहीं । प्रधान अयूब खां ने जो कहा था वह पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में बड़े सर्वेक्षण के बारे में था, क्योंकि उनके मन में भी कुछ परियोजनाएं हैं, और फरक्का बांध के इलावा कुछ परियोजनाएं पश्चिमी बंगाल की सरकार के मन में हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** समची अवधि के अन्दर हमने फरक्का बांध के बारे में सूचना एकत्रित की है, पाकिस्तान ने इन मामले पर संयुक्त परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठाया । वे किस स्तर पर मैदान में आये हैं ? हमारी जानकारी प्रायः पूरी है और हम फरक्का बांध आरम्भ कर सकते हैं । पाकिस्तान ने किस स्तर पर संयुक्त परामर्श की बात उठाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान कई वर्षों से फरक्का बांध के बारे में विरोध कर रहा है और हमने उनको कहा है कि हमारी जांच पूरी होने पर हम उनको इसके बारे में सूचित करेंगे, हमने बाद में सूचना दे दी । मैं ठीक तिथि बताने में असमर्थ हूं कि कब ये परामर्श आरम्भ हुए थे परन्तु इंजीनियरों की बैठकों के बारे में उत्तर में कुछ तिथियां बताई जा चुकी हैं, ये बैठकें एक वर्ष से कुछ अधिक समय से हो रही हैं । तीन बैठकें हो चुकी हैं और चौथी होने वाली है । यह समूची योजना के लिये है केवल फरक्का बांध के लिये नहीं बल्कि वहां के समूचे क्षेत्र के लिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री साधन गुप्त : चूंकि यह सर्वथा स्पष्ट है कि पाकिस्तान फरक्का बांध जैसी योजना को आरम्भ करने के हमारे अधिकार को चेतावनी देता है, और हमें भी अपने अधिकार का समान रूप से विश्वास है, हमें मन्त्री स्तर के सम्मेलन से क्या उपयोग होने की आशा है ? क्या हम उनको अपने अधिकार के बारे में विश्वास दिलाने की आशा करते हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यह निश्चय ही हमेशा वांछनीय होता है, जहां हितों में टक्कर होती हो, जैसे नदी या जल सम्बन्धी हित, कि उनके बारे में चर्चा की जाए और ऐसा मार्ग ढूंढने का प्रयत्न किया जाए जो दोनों के लिये सन्तोषजनक हो। अब यदि अफसरों के स्तर पर किया जाए, अफसर लोग स्वभावत: निदेश में दी गई नियत कुछ नीतियों से बंधे रहते हैं, उनमें अन्तर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, जबकि मंत्री ऐसे उपाय ढूंढ सकते हैं जो दोनों के लिये लाभदायक हों। परन्तु यह सब कुछ किये जाने से पहले तथ्य मालूम होने चाहियें। ये अत्यन्त पेचीदा चीजें हैं। यह सरल काम नहीं। जब आप नदी जल या नहर जल की किसी प्रकार की योजना को लेते हैं, तो वह बहुत ज्यादा पेचीदा होती है। उदाहरणार्थ—पश्चिम नहर जलों के मामले, हमारे पास बहुत भारी सांख्यिकी हैं . . .

†श्री रंगा : क्या मन्त्री बड़े विशेषज्ञ बन सकते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उन को पढ़ने में लगभग एक महीना लग जाता है। इसका विधि संगत पहलु भी है दोनों पक्षों के अधिकारों का जिसके बारे में एक पक्ष तर्क कर सकता है, परन्तु तथ्यों के बिना विधिगत बात से चिपटे रहने से अधिक सहायता नहीं मिलती। इसलिये हम वहां सब तथ्य चाहते हैं और तब हम कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में अपने आपको संबोधन कर सकते हैं और उस समय मन्त्रियों की बैठक हो सकती है और वे उन पर विचार कर सकते हैं और या तो सहमत हो जाते हैं या नहीं होते या अंशत: सहमत हो जाते हैं।

†डा० रामसुभग सिंह : यह सच है कि फरक्का बांध योजना अधिकतर फालतू मौनसून जल को नियंत्रित करेगी, और उससे गंगा का निम्नतम बहाव कम नहीं होगा और यदि हां तो पाकिस्तान का कोई दावा कैसे माना जा सकता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यह हमारा मत है कि इस योजना से पाकिस्तान को कोई वास्तविक हानि नहीं होनी चाहिये। परन्तु मैं मा० सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि इसका कैसे कुप्रभाव पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि यह कैसे किया जाता है। जब तक योजना न समझ ली जाए, यह कहना सम्भव नहीं है। तथापि पाकिस्तान को यह आशंका और डर है कि इस का उन पर कुप्रभाव होगा।

†श्री रंगा : यदि यह इतना पेचीदा मामला है जिसमें इतने जल्दी दस्तावेजों का काम है और इंजीनियरी तथा विधि सम्बन्धी समस्यायें हैं, और केवल विशेषज्ञ ही उनको समझने में समर्थ हैं, तो क्या मुझे यह समझना चाहिये कि प्रधान मन्त्री यह कहते हैं कि मंत्री जो कुछ घंटों या दिनों के लिये बैठ कर इस मामले की चर्चा करेंगे, इस मामले को निपटाने के लिये अधिक योग्य होंगे ? अथवा क्या यह बात है कि मंत्रियों को कुछ देने और कुछ लेने की सम्भाव्यताओं का विचार करने का हक है और इस प्रकार दूसरे के पक्ष में रियायतें कर सकते हैं जो हमारे हितों के लिये घातक हों ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मैंने पश्चिमी क्षेत्र में नहरी जल योजना सम्बन्धी बहुत भारी दस्तावेजों का उदाहरण दिया है, जिससे अन्तोगत्वा नहरी जल सन्धि हो गई। पूर्वी क्षेत्र के लिये हमारे पास इतना भारी साहित्य नहीं है। परन्तु मामला पेचीदा है और इंजीनियरों को अपनी प्रविधिक उपपत्तियां और सिफारिशें के बारे में रिपोर्ट देनी होती है। उनकी प्रविधिक उपपत्तियां स्वीकार करनी पड़ती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु उनके पश्चात् फैसला करना मंत्रियों का काम होता है। मंत्री जो दूसरी ओर के मन्त्री से बात करता है, उसे अपने देश के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। स्वभावतः वे उनका त्याग नहीं कर सकता, परन्तु उसे यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस प्रकार समझौता किया जाए और इन मामलों को लम्बित न रहने दिया जाए।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की है कि प्रस्तावित मन्त्री सम्मेलन या विशेषज्ञों की बैठक होने तक, भारत को इस बांध का निर्माण कार्य जारी रखने का अधिकार है, विशेषकर कलकत्ता पत्तन की गिरती हुई हालत को ध्यान में रखते हुए ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने स्पष्टतः इसे स्वीकार कर लिया है। वास्तव में, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि जब तक उस मामले का समझौता न हो जाए, हमें यह नहीं करना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** : इस मामले की शीघ्र आवश्यकता की दृष्टि से, क्या सरकार ने पहले की गई बातचीत के बावजूद समय अनुसूची को कायम रखने का फैसला कर लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस का तीन बार उत्तर दे चुका हूं।

†**श्री नाथ पाई** : अगर प्रधान मंत्री ने कहा है जो काफी अच्छी तरह समझा जा सकता है कि मन्त्रियों को बातचीत में लेने देने की गुंजाइश होगी। मैं समझता हूं कि यह मन्त्रियों के भारतीय दल पर लागू होती है। क्या पाकिस्तान में मंत्रियों और अफसरों के बीच भी यह अन्तर है और क्या उनको भी बातचीत में ऐसा करने का अधिकार होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसमें बहुत अधिक अन्तर है। पाकिस्तान की ओर, इसके विश्व में सब अन्तर कर दिया है। उनके अफसरों के साथ अनेक बैठकों के पश्चात् जब उनका एक मन्त्री जो जनरल है, आया, हमने चीजों का फैसला कर दिया—हमारी ओर से सरदार स्वर्ण सिंह हमारे प्रतिनिधि थे—उसमें बिना किसी समझौते पर पहुंचे कई बार हफ्तों चर्चा होती थी। जब वे आमने सामने बैठे तो उन्होंने मामले का फैसला कर लिया।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानियों का आक्रमण

†*६८७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९–३० अप्रैल, १९६१ के बीच की रात को पाकिस्तानियों ने भारतीय सीमा पर हमला किया और वे सीमा से १२ मील की दूरी पर एक गांव से ५०,००० रुपये के जवाहरात और दो ऊंट और तीन लड़कियों को लेकर भाग गये; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां, छः पाकिस्तानी डाकू भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आये और लगभग ४३,५५० रु० की लागत की सम्पत्ति तथा दो ऊंट लूट ले गये। तीन भारतीय महिलाओं को भी उठा ले गये। परन्तु, महिलायें बाद में छोड़ दी गयीं और २ मई, १९६१ को भारत वापस आ गईं।

(ख) लूटी गयी सम्पत्ति तथा ऊंटों को वापस दिलाने के प्रश्न पर राजस्थान पुलिस पश्चिमी पाकिस्तान की पुलिस के साथ बातचीत चला रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिस स्थान पर यह डाका पड़ा वहां से सीमा-चौकी कितनी दूर है और क्या पास में कोई पुलिस स्टेशन है, जहां इसकी रिपोर्ट की जा सकती थी ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह घटना गंगानगर जिले में हुई।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सादत अली खां** : अभी तक तीन बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है। दोनों पक्षों के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल इस महीने के अन्त में फिर मिलने वाले हैं और वे कुछ निश्चय करेंगे।

विस्फोटक पदार्थ

†*६८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महिनों में कश्मीर, उत्तर प्रदेश और सीमावर्त्ती क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों के पास अवैध कब्जे से काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये हैं ; और

(ख) बढ़ी हुई इस कार्यवाही का क्या कारण है और क्या सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जायगा जिसमें यह बताया गया हो कि कितने और किस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि माननीय मंत्री को सम्पूर्ण जानकारी नहीं है, तो क्या वे कम से कम उन विस्फोटों के बारे में बतायेंगे जिनका उन्हें पता है और उत्तर प्रदेश विधान सभा में जिन पर चर्चा हो चुकी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह मामला राज्य सरकार का है। यह विधि और व्यवस्था का मामला है। जब राज्य सरकार किसी बम या ग्रेनेड का मामला उसके टेक्निकल पहलू के बारे में हमसे कुछ पूछती है—हमारे पास निदिष्ट करती है, तभी हम उसको देखते हैं। अतः हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। हमने पश्चिमी बंगाल, आसाम, काश्मीर, उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि सभी राज्यों से जानकारी मांगी है। जानकारी आ जाने पर हम उसे सभा पटल पर रख देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आज के समाचार पत्र में एक समाचार है कि अपने को एक सैनिक पदाधिकारी बताने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के बरेली में पकड़ा गया है। बताया गया है कि वह एक पाकिस्तानी भेदिया है और हमारे सैनिक पदाधिकारियों के साथ उसका संबंध है। मैं जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, क्या उनका संबंध इस सारे जासूसी जाल से है, जो पकड़ में आया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमारा मंत्रालय विस्फोटकों के टेक्निकल पहलू, निर्माण तथा इनसे सम्बन्ध रखता है। जब कोई फर्म इसका निर्माण करना चाहती है, तो उसे इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है। जब राज्य सरकार अवैध विस्फोटक पदार्थ या ग्रेनेड आदि को पकड़ती है, तो वह हमसे उसके टेक्निकल पहलू का परीक्षण करने को कहती है। केवल तभी हम यह काम करते हैं।

†**श्री नाथ पाई :** यह प्रश्न देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है। क्या प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ बतायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं यहां उपस्थित हूं पर मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। यह प्रश्न टेक्निकल है और इस मंत्रालय ने इसके टेक्निकल पहलू का उत्तर दे दिया है। अन्य मंत्रालय इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में कुछ लोगों के पास से अवैध विस्फोटक मिले हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। विस्फोटकों आदि का प्रश्न राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के मंत्रालय से जानकारी मंगाये बिना हम कुछ भी नहीं बता सकते।

†**श्री हेम बरुआ :** एक औचित्य प्रश्न है। यह प्रश्न निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए आज की प्रश्न-सूची में रखा गया था। पर प्रश्न को देखने से पता लगता है कि यह गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। माननीय उपमंत्री का कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न स्वीकार ही क्यों किया गया ? साथ ही यह प्रश्न इस मंत्रालय से संबद्ध भी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हर माननीय सदस्य को एक सूची दी जाती है कि किन-किन विषयों के लिए कौन-कौन से मंत्रालय उत्तरदायी है। यदि प्रश्न निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को संबोधित किया गया है, तो माननीय मंत्री उसका उतना ही उत्तर दे सकते हैं, जितना कि उनके मंत्रालय का सम्बन्ध है। माननीय सदस्यों को उन विषयों संबंधी प्रश्न उन्हीं मंत्रियों को संबोधित करने चाहिए, जिनके लिए वे उत्तरदायी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जहां तक काश्मीर का संबंध है, हमने लगभग आधी दर्जन बार इस सवाल का जवाब दिया है क्योंकि काश्मीर का मामला हम से सम्बन्धित है, पर जहां तक सम्पुर्ण भारत का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सम्पुर्ण भारत सरकार मिल कर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा अभिप्राय यह है कि यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं थी, तो उन्हें इस प्रश्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सत्य तो यह है कि मैंने यह प्रश्न गृह कार्य मंत्रालय को संबोधित किया था। मैं नहीं जानता कि सचिवालय ने क्यों इसे निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के नाम कर दिया।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया यह है कि ज्यों ही कोई प्रश्न आता है, उसकी तीन प्रतियां तैयार की जाती हैं। एक प्रति तुरन्त मंत्री के पास भेज दी जाती है। यदि हमें वहां से पता लगता है कि प्रश्न का संबंध उस मंत्री से नहीं है, तो हम उसे दूसरे मंत्रालय को भेज देते हैं। या मंत्रालय हमें बता देता है कि उसने किसी अन्य मंत्रालय को वह प्रश्न भेज दिया है। मैं नहीं समझता कि मेरे सचिवालय ने अपनी इच्छा से ऐसा कुछ किया होगा। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। यदि माननीय मंत्री का कहना है कि इस प्रश्न से उनका संबंध नहीं है, तो हम इसे दूसरे मंत्रालय को भेज देंगे।

'ओवरमेन' की परीक्षा

\+

†*६८९. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के कोठागुडियम में 'ओवरमेन' की परीक्षा लेने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निर्णय किया है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). खनन परीक्षाओं के बोर्ड ने, जो कि एक संविहित संस्था है। धनबाद तथा परसिया में इस महीने के अन्तिम सप्ताह में ओवरमेन की परीक्षा लेने का निर्णय किया है और अगली परीक्षा अक्टूबर १९६१ में कोठागुडियम में लेने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, यदि उसके लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आये तो।

†श्री कुन्हन : एक नया केन्द्र खोलने के लिए कम से कम कितने परीक्षार्थियों की आवश्यकता होती है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : कोई भी कमसे कम संख्या निर्धारित नहीं है। सामान्य रूप से ५० या ६० विद्यार्थी होने चाहिएं। आगामी अक्टूबर में हम कोठागुडियम में एक केन्द्र खोलने के लिए विचार कर रहे हैं।

†श्री तंगामणि : कोठागुडियम में इसे कब आरंभ किया जायेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : अक्टूबर १९६१ में।

कम लागत वाले स्कूटर

\+

†*६९०. { श्री कोडियान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत में कम लागत वाले स्कूटर तैयार करने

†मूल अंग्रेजी में

के लिए औद्योगिक परामर्शदाताओं की एक कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक योजना पर अभी विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार विचार तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में कम लागत वाले स्कूटर बनाने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

†**श्री दामानी** : स्कूटरों के निर्माण के लिये इस समय कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अब प्रतिवर्ष २४,००० स्कूटरों का उत्पादन होता है जब कि पांच वर्ष पूर्व यह ५३३ स्कूटर था ।

पश्चिमी बंगाल में लाख उद्योग

†*६९३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लाख उद्योग संकट की स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार ने यह निश्चत रूप से मालूम कर लिया है कि उसके द्वारा निर्धारित निर्यात मूल्य का उचित उपयोग उत्पादकों और छोटे निर्माताओं के लाभ के लिय नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के झालसा और बलरामपुर क्षेत्रों में काफी संख्या में छोटे छोटे कारखाने बंद हो गये हैं ; और

(घ) क्या इस उद्योग की सहायता के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ग). बलरामपुर और झालसा के कुछ लाख के कारखाने जो १९६० के पूर्वार्ध में चालू थे, उत्तरार्ध में बंद कर दिये गये थे, परन्तु अब स्थिति सुधर गई है ।

(ख) यह आशा की गई थी कि निर्यात मूल्य का आन्तरिक मूल्यों पर भी असर पड़ेगा परन्तु यह सही है कि आन्तरिक मूल्य कभी कभी घटता बढ़ता रहा है ।

(घ) उद्योग के विकास के लियें उठाये गये कदमों के अतिरिक्त सरकार लाख के उत्पादकों और छोटे निर्माताओं से लाख की खरीद के मूल्य स्थिर करने के प्रशन पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : निर्माता और उत्पादक के लिये मूल्य स्थिर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय हम बफर स्टाक बनाने का विचार कर रहे हैं ताकि मूल्य घटने बढ़ने की संभावना कम हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि बफर स्टाक योजना और मूल्य नीति सामान्यतः भारतीय लाख निर्यातक संघ द्वारा नियंत्रित की जाती है और छोटे निर्माताओं तथा उत्पादकों द्वारा यह मांग की गई है कि इसका नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाना चाहिये, लाख निर्यातक संघ द्वारा नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : योजना निर्यात मूल्यों के विनियमन की थी, आन्तरिक मूल्यों के विनियमन की नहीं और मैं समझता हूं कि वह काफी सफल रही है। परन्तु हमें उसे इस दृष्टि से देखना चाहिये कि भारत से जिन किस्मों के लाख का निर्यात किया जा रहा है और जिसकी विदेशों में खपत है, वे बदल गई हैं क्यों कि उनका स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है। अतः हम परिवर्तित परिस्थितियों में यह विचार कर रहे हैं कि उसके आन्तरिक विपणन का समायोजन किस प्रकार किया जाये ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह था कि इस बफर स्टाक की योजना का संचालन सरकार द्वारा किया जायेगा अथवा उसे भारतीय लाख निर्यातक संघ की इच्छा पर छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हम उस पर विचार कर रहे हैं और अभी तक उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है।

†**श्री रंगा** : यह चर्चा किस स्तर पर चल रही है ?

†**श्री कानूनगो** : मंत्रालय में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या छोटे निर्माताओं, निर्यातकों, उत्पादकों के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के बीच कोई बातचीत का प्रस्ताव है ?

†**श्री कानूनगो** : हम मुख्यतः लाख उत्पादन परिषद्, जिसमें विभिन्न हितों के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकारों, नौपरिवहन हितों और कारखाने वालों के साथ चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेट्टियार ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वह सम्मेलन कब होने जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । श्री चेट्टियार ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : १९५९-६० में कुल कितना निर्यात हुआ ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास निर्यात का मूल्य है। १९६० में ६.३१ करोड़ रुपये के माल का निर्यात हुआ। १९५९ में ६.०६ करोड़ रुपये का हुआ था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भारतीय लाख निर्यातक संघ जो माननीय मंत्री के कथनानुसार एक स्वयंसेवी निकाय है, निर्यात के मूल्य पर शुल्क वसूल करता आया है परन्तु इस शुल्क का उपयोग उत्पादकों और निर्माताओं के लाभ के लिये नहीं किया गया है। क्या यह सच है कि भारतीय लाख निर्यातक संघ द्वारा अपनी ७ अगस्त को हुई बैठक में प्रस्तुत नई मूल्य नीति भी उत्पादकों और निर्माताओं की स्थिति में सुधार नहीं करती है जो संकट में है और क्या सरकार इसके संबन्ध में विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मूलतः संघ द्वारा अपने सदस्यों पर ऐच्छिक शुल्क लगाया गया था परन्तु इस शुल्क का उद्देश्य उसे उत्पादन अथवा व विपणन आदि पर व्यय करना नहीं था वरन् भेजने वाले देश में मूल्य

†मूल अंग्रेजी में

स्थिर करना था। हाल में संघ ने तथा अन्य लोगों ने कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं और, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सरकार उस पहलू पर समस्त दृष्टिकोणों से विचार कर रही है। आशा है कि हम शीघ्र ही कोई निणय कर लेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह क्षेत्र, जो पहले बिहार में था, राज्य पुनर्गठन के कारण पश्चिम बंगाल में चला गया है और यह मत व्यक्त किया गया है कि यह संकट इसी कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि निकट-वर्ती क्षेत्र में, जो कि बिहार में है, उसी उद्योग के लिये ऐसा कोई संकट नहीं है। अतः क्या सरकार अपने राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी मतों में परिवर्तन करने का विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

घड़ियों का निर्माण

†*६६४. **श्री चुन्नी लाल** :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में कोई घड़ी तैयार की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ये घड़ियां संभवतः कब तक बाजार में आ जावेंगी ; और

(ग) प्रत्येक घड़ी की लगभग कीमत क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में आयात किये गये पुर्जों से बनाई गई दो किस्म की घड़ियां, जिनके मूल्य ६४ रुपये और ६६ रुपये हैं, बाजार में हैं। ८९ रुपये के मूल्य की एक और किस्म शीघ्र ही बाजार में आ जायेगी।

†**श्री त्यागी** : समस्त देश में बिक्री करने के लिये किस प्रकार का संगठन बनाया गया है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को घड़ियों पर कितने प्रतिशत मुनाफा लेने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक संगठन का सम्बन्ध है, जैसा कि सभा को याद होगा, हमारे देश के घड़ी के व्यापारियों की अत्यंत व्यापक वितरण एजेंसी है। हमने हाल में समस्त देश के घड़ियों के व्यापारियों के संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक आमंत्रित की थी और हम उनके साथ वितरण के तरीके के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। सरकार का अपना संगठन स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री त्यागी** : दूसरा प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को कितने प्रतिशत मुनाफे की मंजूरी दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य को अनेक अवसरों पर बता चुका हूं कि मुनाफा पूर्व-निश्चित आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। जब तक उत्पाद प्रतियोगी मूल्यों पर बिक रहा है विचार यह है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को अधिकाधिक मुनाफा उठाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : यह एक उपभोक्ता वस्तु है और लाभ के रूप में जो रुपया आता है वह वास्तव में उत्पादन शुल्क के रूप में आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाभ के संबंध में कोई सीमा निश्चित कर दी है जिसके अन्तर्गत मूल्य बाजार भाव के अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ? कोई सीमा अवश्य निश्चित की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उससे लाभ होगा और उसे योजना के तथा अन्य प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाना चाहिये। माननीय सदस्य का मत भिन्न हो सकता है कि यह अन्न के समान एक उपभोक्ता वस्तु है। परन्तु यह एक भिन्न मामला है। माननीय मंत्री निश्चियपूर्वक कह रहे हैं कि वह इस पर अधिकाधिक लाभ उठायेंगे।

†**श्री त्यागी** : लाभ का प्रतिशत क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उतनी ही अंग्रेजी समझते हैं जितनी कि मैं समझता हूं। वह निश्चित कह रहे हैं कि वह यथा संभव लाभ कमायेंगे। अतः सीमा क्या हो सकती है ? सीमा १०० प्रतिशत है, यदि २०० प्रतिशत नहीं।

†**श्री त्यागी** : मूल्य का निर्णय अन्ततः कौन करता है——सरकार अथवा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नीति स्पष्ट कर देना चाहता हूं ? सिद्धान्ततः नीति यह है कि ये सरकारी उपक्रम लाभ कमायेंगे परन्तु किसी व्यक्ति के लिए नहीं वरन संयंत्रों के विस्तार और अन्य सरकारी उपक्रमों में विनियोजनों के लिए। ब्रिटिश शासन-काल की वह धारणा खत्म कर दी गई है कि सरकारी उपक्रम को गैरसरकारी लाभ के मार्ग में नहीं आना चाहिए और यदि कोई गैर-सरकारी समवाय है तो उसे लाभ कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रतियोगिता नहीं की जानी चाहिये। अब हम सब के साथ प्रतियोगिता करेंगे और उचित मूल्य के अन्तर्गत अधिकाधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने मूल्य करने और मजूरी बढ़ाने के पश्चात् इतना लाभ कमाया है जिससे एक मशीन टूल संयंत्र स्थापित किया जा सके। यही स्थिति एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड की भी है। इस प्रकार ये सब उपक्रम लाभ पर ही चलने चाहिए। अन्यथा वे हमारे राष्ट्र के लिए भार बन जायेंगे (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त्यागी** : मैं लाभ पर आपत्ति नहीं करता हूं। लाभ अवश्य कमाया जाना चाहिए क्योंकि उससे हमारे करदाता का भार हल्का होगा। परन्तु प्रश्न यह है कि उसके प्रतिशत का अंतिम निर्णायक कौन है ? उसका निर्णय संचालकों द्वारा किया जायेगा। अथवा सरकार अपनी मंजूरी देगी ? प्रतिशत कौन निश्चित करता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे सब स्वायत्तशासी सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रम हैं और वे स्वयं अपने निर्णय करेंगे परन्तु उनका पथ-प्रदर्शन सरकार की नीति द्वारा किया जाता है जो प्रधान मंत्री अभी बता चुके हैं। मैंने भी सभा में अनेक बार मूल्य सम्बन्धी नीति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और वह यह है कि हम यह चाहते हैं कि आयातित मूल्य और बाजार भाव के अन्तर्गत समस्त वाणिज्यिक उपक्रम अधिकतम लाभ कमायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ देश ऐसे हैं जो कराधान सर्वथा समाप्त करके पूर्णतः व्यापार के लाभ पर निर्भर होना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं आपकी अनुमति से इतना और उल्लेख कर देना चाहता हूं कि ये घड़ियां आयात की गई किन्हीं भी घड़ियों की तुलना में अधिक सस्ती हैं।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

†*६६६. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स सिन्दरी फर्टिलाइजर्स को उत्पादन की हानि तथा दोषपूर्ण मशीनों के लिए भी इटली के मेसर्स मौन्टेकैटीनी से कोई रकम प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त बातों के लिए कितनी रकमें प्राप्त हुई हैं ?

(ग) विस्तार कार्यक्रम पूरा होने के बाद कितने उत्पादन की संभावना थी; और

(घ) कारखाने के विस्तार के बाद वास्तविक उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) २४,३६,५११ रुपये ।

(ग) विस्तार संयंत्रों का अनुमानित उत्पादन (अर्थात् निर्धारित क्षमता) निम्न प्रकार है :

यूरिया	२४,८६२ मीट्रिक टन प्रति वर्ष (७१·१२ मीट्रिक टन प्रति दिन)
डबल साल्ट	१४२,२४० मीट्रिक टन प्रति वर्ष (४०६·६ मीट्रिक टन प्रति दिन)

(घ) वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :

	१९५९–६०	१९६०–६१
यूरिया	४,७३२ मीट्रिक टन	१०,६६६·४७ मीट्रिक टन
डबल साल्ट	२२,५५२ मीट्रिक टन	३६,००५·१६ मीट्रिक टन

†**श्री मुरारका :** विवरण से मालूम होता है कि मेसर्स मौन्टेकैटीनी ने सिन्दरी उर्वरक कारखाने को क्षतिपूर्ति के रूप में २४·२६ लाख रुपये भुगतान किये हैं। इस राशि में से कितनी दोषपूर्ण आयोजन के कारण है और कितनी कम उत्पादन के कारण ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कार्य के विलम्बित क्रियान्वयन के लिए जुर्माना १९·५० लाख रुपये है और डबल साल्ट के कम उत्पादन के कारण जुर्माना ४·८६ लाख रुपये है।

†**श्री मुरारका :** इस विस्तार योजना में ६ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और दो वर्ष बीत गये हैं परन्तु फिर भी हमारा उत्पादन २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि संयंत्र के दोषपूर्ण डिजाइन के लिए आपने केवल ४ लाख रुपये जुर्माना किस आधार पर किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जुर्माने का उपबन्ध ठेके में था और उसका आकलन उसी के आधार पर किया गया है। ठेके में उत्पादन की समस्त कमी के लिए प्रतिकर का उपबन्ध नहीं था। मैं इस

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में यह और कह देना चाहता हूं कि उत्पादन में इस कमी का कारण केवल ये संयंत्र ही नहीं हैं। एक अन्य लीन गैस संयंत्र अन्य ठेकेदारों द्वारा स्थापित किया गया था। उसमें हमारे केवल ४१ लाख रुपये व्यय हुए और उसमें भी गैस की आवश्यक मात्रा का उत्पादन नहीं हो सका। उसके सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या ये दोष दूर किये जा चुके हैं और इस संयंत्र में लक्षित मात्रा में उत्पादन कब तक हो सकेगा?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जहां तक मौन्टेकैटीनी संयंत्र का सम्बन्ध है, उसमें अब यूरिया और डब्बल साल्ट की पूरी मात्रा का उत्पादन हो सकता है और उसमें जो दोष थे उनका सुधार किया जा चुका है परन्तु पूर्ण उत्पादन अन्य संयंत्र से आवश्यक मात्रा की गैस की उपलब्धता पर निर्भर है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि यह विस्तार इसलिए किया गया था कि अतिरिक्त गैस उपलब्ध थी? अब जबकि संयंत्र स्थापित हो गया है, यह कहा जाता है कि गैस उपलब्ध नहीं है। फिर इस संयंत्र पर ९ करोड़ रुपये क्यों खर्च किये गये?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सिन्दरी के वर्तमान कोक भट्टी संयंत्र में भी अतिरिक्त गैस उपलब्ध थी। विचार यह था कि अतिरिक्त कोक भट्टी गैस को काम में लाया जाये और उन गैसों का व्यपवर्तन किया जाये जिनका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोक भट्टी जलाने के लिए किया जाता था। भट्टी में उपयोग की जाने वाली गैसों के बदले में लीन गैसों को काम में लाया जाना था जिन्हें एक पृथक संयंत्र में पैदा किया जाना था। लीन गैस का संयंत्र ठीक नहीं रहा है और उसकी क्षमता को बढ़ाया जाना है।

†**श्री मुरारका :** यह लीन गैस संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेगा और उचित रूप से चलने लगेगा ताकि यह ९ करोड़ रुपये की योजना उत्पादन का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर सके?

†**श्री सतीश चन्द्र :** लीन गैस संयंत्र की स्थापना गैस की आधी मात्रा के लिए की गई है और इसलिए दो में से एक संयंत्र में उत्पादन होने लगा है। हाल में डा० हुसेन जहीर के सभापतित्व में नियुक्त की गई प्रविधिक समिति, जिसमें उनके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषज्ञ भी हैं, इस पहलू के सम्बन्ध में विचार कर रही है। वह इस बात की जांच कर रही है कि गैसों की कमी को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†*९९१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये तीसरी योजना की रकमों में कमी किये जाने से ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की प्रशासन की योजना पर संभवतः असर पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन की ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की योजना में संपरिवर्तन किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार, भूमि अर्जित करके औद्योगिक सहकारी समितियों और गैर सरकारी उद्यमियों को कारखाने की इमारतों के निर्माण के लिए आवण्टित की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२.१५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

नकली रेशम का सूत

†*६९२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली रेशम के सूत की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देशी उत्पादन से यह मांग पूरी करने की कोई योजना है;

(ग) हमारे देश में नकली रेशम के सूत का वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(घ) विदेशी नकली रेशम की किस्म और कीमत के मुकाबले में वह कैसा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नकली रेशमी के सूत की मांग बढ़ती जा रही है। रेयन के सूत की वर्तमान ५२३ लाख पौंड प्रतिवर्ष और नकली रुई के सूत की ५६० लाख पौंड प्रतिवर्ष की क्षमता की अतिरिक्त वर्तमान उपक्रमों के विस्तार अथवा नये एककों के रूप में ८२३ लाख पौंड रेयन एवं संश्लिष्ट सूत की अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। टायर कोर्ड के लिये उपयुक्त रेयन सूत की ३५० लाख पौंड की क्षमता के लिये भी लाइसेंस दिया गया है। इस के अतिरिक्त देशी संसाधनों से रेयनग्रेड लुग्दी के निर्माण के लिये भी अनेक योजनायें मंजूर की गई हैं ताकि यह उद्योग आत्मनिर्भर बन सके। १९६० में रेयनसूत का वर्तमान उत्पादन ४६६ लाख पौंड और नकली रुई के सूत का ४८० लाख पौंड है देशी रेयनसूत का कारखाना विक्रय मूल्य आयात किये गये सूत के नौ प० नि० मूल्यों से अधिक है। किस्म काफी अच्छी है यद्यपि और सुधार किये जाने के लिये काफी गुंजाइश है।

कन्टाई समुद्रतट पर खारा पानी निकालने के लिए पवन चक्की

†*६९५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार कन्टाई समुद्रतट पर खारा पानी निकाल फेंकने के लिये एक पवन चक्की कायम करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंगेजी में

विवरण

मूल प्रस्ताव कन्टाई समुद्र तट पर खारा पानी निकाल फेंकने के लिये एक पवन-चक्की स्थापित करने का था। अभी तक देशी संसाधनों से पवन चक्की प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। अतः साल्ट कमिश्नर से उस के बदले में उपयुक्त प्रकार के पम्प लगा कर वह कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के लिये कहा जा रहा है।

ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने की मशीनरी

६६७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एन्नूर (मद्रास राज्य) में ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने की मशीनरी बनाने के कारखाने खोलने की दशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : संयुक्त राज्य अमरीका के मेसर्स एलिस चाल्मर्स इन्टर-नेशनल ने अपने २८ जुलाई, १९६१ के पत्र में पूंजी निर्गम के नियंत्रक को सूचित किया है कि मद्रास में मिट्टी हटाने के भारी उपकरण बनाने का एक कारखाना खोलने के लिये पूंजी जारी करने का जो आवेदन पत्र उन्हों ने दिया है उसे फिलहाल अस्वीकार कर दिया जाय। परन्तु अमरीकी फर्म ने कहा है कि वह उस निजी ग्रुप को लाइसेंस दिये जाने में अब भी रुचि रखती है जो उन की डिजाइन की वस्तुयें बनाने का कारखाना चलाने में समर्थ हो।

नेपाल में भारतीय पूंजी

†*६६८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के अभी हाल के विधान में १० साल तक कर मुक्ति प्रदान कर तथा हर साल मुनाफे का १० प्रतिशत और पूंजी का २५ प्रतिशत वापिस ले लेने की अनुमति दे कर विदेशियों द्वारा धन निवेश का प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ पड़ोसी सम्बन्ध अधिक घनिष्ट बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में भारतीय पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नेपाल सरकार को अपनी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार से सहायता का वचन मिला है और कुछ वित्तीय सहायता मिल भी चुकी है। भारत सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को नेपाल में नये उद्योगों की स्थापना के लिये उचित सुविधायें देना भी स्वीकार कर लिया है यदि नेपाल सरकार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ले।

चीनी आक्रमणों के बारे में प्रसारण

†*६६९. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सीमा पर चीनियों के आक्रमण के सम्बन्ध मे भारत की स्थिति समझाने के लिय कोई कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो विदेशी श्रोताओं और इस देश के श्रोताओं के लिये ऐसे कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ; और

(ग) क्या भारतीय भाषाओं में कोई कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश के श्रोताओं के लिए (जून १९६० से जुलाई १९६१) :

(१) दिल्ली से सामयिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में "मैटर्स ऑफ मोमेंट" श्रंखला में अंग्रेज़ी में तीन वार्तायें प्रसारित की गई और उन्हें आकाशवाणी के सब केन्द्रों द्वारा रिले किया गया ।

(२) दिल्ली से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में "आज के प्रसंग" श्रंखला के अन्तर्गत हिन्दी में एक वार्ता प्रसारित की गई जिसे हिन्दी के सब स्टेशनों द्वारा रिले किया गया ।

(३) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में २५ कार्यक्रम ।

(४) आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में समस्त भारतीय भाषाओं में १४० समाचार प्रसारित किये गये ।

विदेशों के श्रोताओं के लिए :

(५) आकाशवाणी की समस्त विदेशी भाषा सेवाओं में ५६ कार्यक्रम——११ लघु वार्तायें, २९ सामयिक मामलों की चर्चायें और १६ प्रेस रिव्यू——प्रसारित किये गये और इन में से अधिकांश विदेश स्थित भारतीयों के लिए तमिल, हिन्दी, कोंकणी एवं गुजराती कार्यक्रमों में दुहराये गये ।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्

†*७००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस की रचना कैसी है और उस के कार्य क्या हैं ; और

(ग) इस परिषद् के संचालन की वार्षिक अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). खानों में सुरक्षा शिक्षा और प्रचार के लिये अंगीकार किये जाने वाले विभिन्न उपायों के प्रवर्तन के लिये एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें नियोजकों, श्रमिकों, मैनेजरों और पर्यवेक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे । वार्षिक आवर्तक व्यय का अनुमान ६·८२ लाख रुपये है ।

†मूल अंग्रेजी में,

फिल्म सेंसर नियम

*७०१. **श्री वाजपेयी :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री नेक राम नेगी :
श्री चुनी लाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फिल्म शिष्टमंडल उन से हाल ही में दिल्ली में मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उन के और शिष्टमंडल के बीच बातचीत का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या फिल्म सेंसर के नियमों में कुछ रियायत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी, हां। कुछ समय पहले फिल्म निर्माताओं का एक ग्रुप मुझ से मिला था और सेंसर बोर्ड द्वारा निदेशों की व्याख्या के बारे में कुछ शिकायतों का ब्योरा मुझे बताया था।

(ख) इस विषय पर सम्बन्धित निर्माताओं और बोर्ड के साथ अभी बातचीत चल रही है। निदेशों की व्याख्या के बारे में सावधानी से विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). सेंसर के नियमों को नरम बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो सरकार द्वारा बनाये गये निदेशों को सही और उचित अमल का है। इस विषय की पूर्ण रूप से छानबीन की जा रही है कि जारी किये गये निदेश ठीक प्रकार से अमल में लाये जाते हैं या नहीं।

केनया में सेवाओं का अफ्रीकीकरण

†*७०२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनया में सेवाओं के अफ्रीकीकरण के कारण वहां भारतीयों की नौकरियां समाप्त हो जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सरकार को अभी तक केनया की सरकारके अन्तर्गत नियोजित भारतीय कर्मचारियों के किसी भी संगठन से इस प्रकार का भय व्यक्त करने वाला कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नकली रेशे के सूत का व्यापार

†*७०३. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों के कारण मई, १९६१ में नकली रेशे के सूत का व्यापार मंद पड़ गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संगठन और रीति विभाग की रिपोर्ट

†*७०४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन तथा रीति विभाग की छठी रिपोर्ट में की गई इस आलोचना की ओर कि ऊंचे तथा मध्यम स्तर के कर्मचारियों के काम का ४० प्रतिशत समय बैठकों में बीत जाता है, ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठकों में खर्च होने वाले समय को और कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). सरकार ने शासन को मजबूत बनाने के लिए हाल में विभिन्न उपायों पर विचार किया था और परिणामस्वरूप एक नीति निर्णय यह किया गया है कि समितियों और सम्मेलनों का आयोजन कम किया जाना चाहिए। इस निर्णय को ठोस रूप देने के लिए निर्णय करने के साधन के रूप में बैठकों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठन तथा रीति अध्ययनों का संगठन किया जा रहा है। यह एक निरन्तर कार्यक्रम होगा जिसमें प्रक्रियाओं की विस्तृत छानबीन की जायेगी। पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना वांछनीय नहीं होगा।

बागान उद्योगों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†*७०५. **श्री जीनचन्द्रन् :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६० में उदयपुर में आयोजित आवास मंत्रियों के पांचवे सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना बागान उद्योग पर भी लागू की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश पर क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

चेन्नापटना में रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्था

†*७०६. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर में चेन्नपटना में रेशमकीट पालन अनुसन्धान संस्था का नियंत्रण और प्रबन्ध अभी हाल में अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या अधिक धन की व्यवस्था करके उसकी उन्नति के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके अनुसन्धान कार्य की उन्नति के लिये की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उसके आधुनिक लाइनों पर विस्तार का प्रश्न केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विचाराधीन है ।

काश्मीर में उद्योग

†*७०७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० क० ब० मेनन :
श्री रामजी वर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों के उद्योगपतियों को जम्मू और काश्मीर राज्य में उद्योग चालू करने के लिये बुलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो संभवतः कौन कौन से उद्योग खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान् । जम्मू तथा काश्मीर सरकार अन्य राज्य सरकारों की तरह राज्य के द्रुत औद्योगिक विकास के लिये उत्सुक है और इस बात का स्वागत करेगी कि देश के अन्य भागों के उद्योगपति राज्य में उपयुक्त उद्योग स्थापित करें ।

(ख) इस समय जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विचाराधीन अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक योजनायें ये हैं : कपास की कताई मिलों, इस्पात पुनर्वेलन मिलों, एक टायर रिट्रीडिंग संयंत्र, एक सीमेंट संयंत्र, एक कागज मिल, समस्त राज्य में छोटे विद्युत् करघे एककों की स्थापना, रेशम के धागे को लपेटने के उद्योग का आधुनिकीरण, वस्टड ऊनी सूत का विस्तार और राज्य में फर का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से एक फर उत्पादक फार्म की स्थापना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टांगानीका सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय कर्मचारी

†*७०८. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टांगानीका सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भेदभाव की ओर भारत सरकार ने ध्यान दिया है ; और

(ख) भारत सरकार ने विदेशों में नियुक्त अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :**(क) जी, हां ।

(ख) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

लोहा और इस्पात उद्योग में जन-सम्पर्क

†*७०९. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्पर्क का काम अपने हाथ में ले लेने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख) मामले की अभी जांच की जा रही है ।

दिल्ली में गंदी बस्ती हटाने का काम

†*७१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिल्ली में गन्दी बस्ती हटाने की समस्या हल करने के शीघ्र उपायों पर विचार करने के लिए ऊंचे स्तर का एक सम्मेलन आयोजित किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गयी हैं और क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं । उस सम्मेलन का आयोजन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था ।

(ख) प्रधान मंत्री ने दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए मार्गोपाय निकालने के लिए एक समिति निर्मित की । समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

इटली की मदद से स्थापित किये जाने वाले कपड़ा कारखाने

†*७११. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देब :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री से० अ० मेहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में इटली की दो फर्मों द्वारा नैशनल रेयन के साथ ५० : ५० आधार पर सहयोग से दो कपड़ा कारखाना स्थापित करने के लिए व्यवस्था अन्तिम रूप से हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस व्यवस्था का व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार को बम्बई में इटली की दो फर्मों द्वारा नैशनल रेयन के साथ दो कपड़ा कारखाने स्थापित करने के लिए की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खान कर्मचारियों का मैंगनीज विष से प्रभावित होना

†*७१२. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट की छानबीन की जिसने मैंगनीज खानों के कर्मचारियों का मैंगनीज विष से प्रभावित होने के प्रश्न की जांच पड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) रिपोर्ट की जो सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं उन पर कार्यवाही कब शुरू की जायेंगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

(ग) कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्धक का उत्पादन

†*७१३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री न० म० देव :
डा० क० ब० मेनन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे भेजे गये "पाइराइट्स" (माक्षीक) पर किये गये परीक्षणों के परिणाम सरकार को मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रयोग के परिणाम के तौर पर शाहबाद जिला में पाइराइट्स के निक्षेपों की खुदाई करने का विचार करती है ; और

(घ) क्या इन खोदे गये पाइराइट्स का देश में गन्धक निर्माण के लिए उपयोग किया जायेगा ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अमझोर पाइराइट्स से गन्धक के निर्माण के लिए नार्वे के मेसर्स आर्कला में कुछ प्रारम्भिक परीक्षण किए गए थे । इन परीक्षणों के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें यह कहा गया है कि निर्णयात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने के पूर्व अधिक विस्तृत संयंत्र के पैमाने पर परीक्षण करने होंगे । इस अग्रेतर परीक्षणों के लिए अधिक मात्रा में पाइ राइट अयस्क भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यदि ये अग्रेतर परीक्षण संतोषजनक सिद्ध हुए तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और शाहबाद जिले में अमझोर स्थित पाइराइट निक्षेपों का, उससे देश में गन्धक का उत्पादन करने के लिए, व्यापक विदोहन किया जायेगा ।

फ्रांसीसी कपड़ा निर्माण मशीनरी आयात

†*७१४. श्री अरविन्द घोषाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सूती कपड़ा मिलों के लिए फ्रांसीसी कपड़ा निर्माण मशीनरी के आयात की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और कितनी राशि के लिए ?

†वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). फ्रांस से १.५ करोड़ रुपये की कपड़ा निर्माण मशीनरी के लाइसंस अवधि अक्टूबर—मार्च, १९६० में निम्नलिखित आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात की अनुमति दी गई है :

(१) नौ० प० नि० मूल्य का १० प्रतिशत डिलीवरी के पश्चात् छै महीने के अन्दर ।

(२) शेष ९० प्रतिशत चार वर्षों में (आठ अर्ध-वार्षिक) अथवा चार वार्षिक बराबर किश्तों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूई का मूल्य

†*७१५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों द्वारा विदेशी रुई के अधिक उपयोग के कारण देशी रुई के स्टाक जमा हो रहे हैं ;

(ख) क्या अमरीकी रुई के दाम उसी किस्म की भारतीय रुई की कीमत की तुलना में १०० रुपये प्रति कैंडी से भी अधिक ज्यादा है ; और

(ग) भारतीय रुई व्यापार के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है ।

विवरण

(क) यह कहना ठीक नहीं है कि मिलों द्वारा विदेशी रूई के अधिक उपयोग के कारण देशी रूई के स्टाक जमा हो रहे हैं । परन्तु सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में बिना बिकी रूई के कुछ स्टाक थे परन्तु वे या तो घटिया किस्म के थे या उनमें घटिया किस्म की रूई की मिलावट थी ।

(ख) बताया गया है कि अमरीकी रूई की कुछ किस्में उनकी बराबरी की भारतीय रूई की अपेक्षा अधिक महंगी हैं, परन्तु मूल्य का वास्तविक अन्तर अनेक परिस्थितियों पर निर्भर है ।

(ग) सरकार द्वारा विना बिके स्टाकों के समापन में सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे जिनमें चालू मौसम में निर्यात के लिये २.७ लाख गांठों की छूट और मिलों द्वारा खपत के लिये भारतीय रूई के आवण्टन के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति का अपनाया जाना भी सम्मिलित है ।

कलकत्ते में जस्ता पिघलाने का कारखाना

*७१६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में जस्ता पिघलाने का कारखाना खोलने में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कारखाना चालू होने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). योजना का व्यौरा अब भी कम्पनी से मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण

†*७१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** ५ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट आई है कि ११ अप्रैल, १९६१ को पाकिस्तानी पुलिस मैनों, भूमापकों और दूसरे लोगों का एक दल भारतीय राज्य-क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आया ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का सार क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी हां।

(ख) ११ तथा १४ अप्रैल १९६१ को पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर गोदागरी चार, थाना जलांगी जिला मुर्शिदाबाद के भारतीय प्रदेश में कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन घुस आये थे। भारतीय पुलिस ने उनमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि अन्य एक नाव में पाकिस्तान वापस लौटने में सफल हो गये।

(ग) गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पाकिस्तान सर्वेक्षण विभाग के सर्वेयर पाये गये थे। क्योंकि उनके पास यात्रा के वैध दस्तावेज न थे इसलिये उन पर अभियोग लगाये गये तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अधीन उनको तीन महीने का कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर १००० रुपये का जुर्माना किया गया।

केन्द्रीय मशीन औजार संस्था

†*७१८. { **श्री आचार :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था, बंगलौर में स्थापित करने का फैसला किया गया है;

(ख) क्या आवश्यक उपकरण और प्रविधिक सहायता प्राप्त कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो किस देश से और इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था का क्या व्यौरा है; और

(घ) संस्था कब अपना कार्य आरम्भ कर देगी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सरकार द्वारा केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था की स्थापना के प्रकार पर विचार किरने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सरकार द्वारा प्रकाशित संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

'बेनानामा' योजना

†*७१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बेनानामा के तौर पर जमीन खरीदने की अनुमति देने में यदि जमीन बेची जा रही हो और शरणार्थी वह सौदा कर सकता हो तो शरणार्थियों और दूसरे नागरिकों के बीच भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार 'बेनानामा' योजना के लिये आवश्यक कृषि ऋण देने से इंकार कर देती है; और

(ग) चूंकि इस योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला कृषि ऋण दण्डकारण्य के व्यय की तुलना में सामान्यतः सस्ता पड़ता है, क्या शरणार्थियों को, यदि वे भूमि की खरीद के लिए सौदा कर सकते हैं, पुनर्वास का अपना स्थान चुनने का अधिकार दिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). ऐसा कोई भेदभाव नहीं है तथा 'बेनानामा योजना' में कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया गया है। केवल इतना प्रतिबन्ध अवश्य है कि एक परिवार को पुनर्वास स्थान पर जाने का नोटिस दिये जाने पर उनसे पुनर्वास सहायता के लिये 'बेनानामा' योजना के अधीन कोई आवेदन पत्र नहीं लिया जाता है।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली चलाया जाना

†*७२०. श्री अ० मु० तारिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में बालाकोट क्षेत्र में हाल ही में पाकिस्तानियों ने गोली चलाना पुनः आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सीमा के स्थान पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

†वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). १९६० के अन्तिम तीन महीनों में पाकिस्तान में धार क्षेत्र के संगठित सशस्त्र असैनिकों को युद्ध विराम रेखा के पार जाने को उकसा रहा है। १९६१ के पहले पांच महीनों में गोली चलाने की घटनायें चार से अधिक हुई हैं।

जनता को इस हिंसा से बचाने के लिये हमने यह आवश्यक समझा कि इस स्थान पर दो नये थाने बनाये जायें; एक बालाकोट में तथा दूसरा ताराकुंडी में।

जून २५ से इन स्थानों पर पाक द्वारा लगातार गोलियां चलाई गईं परन्तु १८ जुलाई को दोनों ओर से युद्ध विराम होने पर गोली चलाना बन्द कर दिया गया। पाकिस्तान ने २५ जुलाई को पुनः गोली चालाना आरम्भ कर दिया जो अब तक चल रही है।

पाकिस्तानी सेना ने अब तक बालाकोट तथा ताराकुण्डी के निकट किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है।

इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सैनिक प्रेक्षक के साथ बातचीत हो रही है।

संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

†*७२१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
श्री पांगरकर :
श्री बालकृष्णन् : }

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों का सम्मेलन हाल ही में सरकारी क्षेत्र के साथों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना के बारे में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) इन को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) २२ फरवरी, १९६१ को एक बैठक हुई थी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें बनाने की एक सामान्य परिषद् स्वीकार कर ली गई है। स्थिति में सुधार होने पर नीति को लागू करने का निर्णय किया गया था।

(ग) सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से कुछ चुने हुए उपक्रमों में संयुक्त परिषद् बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उर्वरकों का उत्पादन

†*७२२. { **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तरल अमोनिया से भारत में उर्वरक बनाने के लिए अमरीकी फर्म से प्राप्त पेशकश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). फारस की खाड़ी में उत्पादित तरल अमोनिया का उपयोग करने के लिए भारत में उर्वरक संयत्र स्थापित करने के लिए एक अमरीकी फर्म के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। उन्होंने कुछ पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनकी जांच हो रही है।

कराची में भारतीय राजदूतावास की इमारत

†*७२३. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल : }

क्या **प्रधान मन्त्री** १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने, २५ फरवरी, १९६१ को प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थर फैंके जाने के परिणामस्वरूप कराची में भारतीय राजदूतावास की इमारत को हुई क्षति के लिए मुआवाजा दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र

†*७२४. श्री कुन्हन् :
श्री तु० ब० विट्ठल राव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री नंजप्प :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मणियंगाडन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से तथा उस प्रविधिक प्रतिनिधिमण्डल के परामर्श से, जो दोनों देशों में गया था, दो भारी विद्युत उपकरण संयंत्र लगाने की परियोजनाओं का ब्योरा अन्तिम रूप से तैयार करने के मामले में तब से कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो अब परियोजनाओं की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडियन) लिमिटेड ने मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट, चैकोस्लोवेकिया से ७ जून, १९६१ को दो अलग अलग समझौते (जिनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं) हेवी पावर इक्विपमेंट (भारी विद्युत उपकरण) तथा हेवी प्रेशर बायलर संयंत्र चैकोस्लोवाकिया की सरकार की टैक्नीकल तथा वित्तीय सहायता से इस देश में स्थापित होने वाले के संबंध में ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन के बारे में दिए गए हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए तीन तीन इंजीनियरों का एक एक दल सितम्बर १९६१ में प्राग जा रहा है जो इन संयंत्रों के ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदनों को बनाने में भाग लेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस की सहायता से स्थापित होने वाले भारी विद्युत संयंत्र का प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन मिल गया है तथा प्रस्तावित संयंत्र में किस प्रकार का उत्पादन होना चाहिए इस पर रूस सरकार से बातचीत हो रही है ।

इन संयंत्रों के स्थापित किए जाने के उपयुक्त स्थानों के बारे में सिफारिशें देने के लिए स्थापित टैक्नीकल समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है ।

दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र

†*७२५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३६ के उत्तर के सबंधं में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मशीनी औजार फैक्टरियां

†*७२६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री बहादुर सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में दो मध्यम दर्जे की मशीनी औजार फैक्टरियां स्थापित करने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की मोटी रूप रेखाएं क्या है और फैक्टरियां कहां स्थापित की जाएंगी ;

(ग) क्या इसके लिए विदेशी सहयोग की व्यवस्था अंतिम रूप से की जा चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर राज्य में उर्वरक कारखाना

†१६०३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
{ **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में लिग्नाइट और जिप्सम के आधार पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार के विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रविधिक आधार पर कारखाने की स्थापना कहां तक संभव है किन्तु वे अभी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

†१६०४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
{ **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम और रोजगार उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). सामाजिक सुरक्षा के बारे में अध्ययन दल की रिपोर्ट पर, भारतीय श्रम सम्मेलन के अक्तूबर, १९६१ में होने वाले अगले अधिवेशन में चर्चा की जायेगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन

†१६०५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
{ **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन करने की प्रस्थापनाओं की क्या स्थिति है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद एक्ट, १९५७ में प्रस्तावित संशोधनों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दण्डकारण्य विकास पंचवर्षीय योजना

†१६०६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२७ के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दण्डकारण्य विकास पंच वर्षीय योजना तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). जी नहीं। उक्त पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। किन्तु १९६१-६२ के लिए एक योजना तैयार कर दी गई है और लागू की जा रही है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१

†१६०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उद्योग प्रबंधकों के आपसी झगड़े के कारण बंद हो जाते हैं या जिनका दिवाला निकल जाता है उन्हें अपने हाथ में लेने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिक शक्तियां ग्रहण करने के प्रश्न की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है।

असम में उर्वरक कारखाना

†१६०८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरूआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नाहरकटिया (असम) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में इस बीच की गई प्रगति का स्वरूप और ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : एक विवरण संलग्न है **[देखिए, परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

क्वार्टरों का निर्माण

†१६०९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल : }

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तृतीय पंच वर्षीय योजना में और क्वार्टरों के निर्माणके लिए प्रस्थापनाओं पर विचार किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्षवार कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण सम्बधी कार्यक्रम पर अभी विचार किया जा रहा है ?

पंजाब में खादी का उत्पादन

†१६१०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में पंजाब में खादी के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : लगभग १५६ लाख गज़।

भारत चीन विवाद सम्बन्धी प्रकाशन

श्री खुशवक्त राय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत-चीन सीमा विवाद के संबंध में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित कीं ;

(ख) इन पुस्तकों के नाम क्या हैं ; और प्रत्येक की कितनी प्रतियां छापी गईं ; और

(ग) इनमें से कितनी विदेश में और कितनी भारत में निःशुल्क वितरित की गईं ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) से (ग). जो विवरण मांगा गया है उसका एक व्योरा सदन की मेज़ पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७**]

इंग्लैण्ड स्थित उच्चायुक्त पर व्यय

श्री खुशवक्त राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५० से १९६० तक प्रतिवर्ष इंग्लैंड स्थित भारतीय उच्चायुक्त व उसके कार्यलय पर पृथक-पृथक कितना कितना व्यय हुआ ?

(ख) क्या यह व्यय अनुमित व्यय के आंकड़ों के ही अनुसार था ; और

(ग) यदि नहीं, तो व्यय बढ़ने या घटने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[**पुस्तकालय** में **रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१२१/६१**]

औद्योगिक आवास योजना

†१६१३. **श्री पांगरकर** : क्या **निर्माण आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिए नियत समस्त राशि खर्च कर दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : बम्बई की भूतपूर्व सरकार को दी गई ९२६.९५ लाख रुपये की राशि में से राज्य सरकार के ८४३.८४ लाख रुपये की राशि (जिसमें गुजरात की सरकार द्वारा १९६०-६१ में निकाली गई ४८.४० लाख रुपये की राशि सम्मिलित है) । द्वितीच पंच वर्षीय योजना काल में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तगत उपयोग के लिए निकालीं हैं ?

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ को मान्यता

†१६१४. { **श्री पांगरकर** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ, जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, की पुरानी मान्यता के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ की पुरानी मान्यता बनी रहे।

महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां

†१६१५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना काल में महाराष्ट्र में नई औद्योगिक बस्तियां खोलने के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र सरकार राज्य में ४४ नई औद्योगिक बस्तियां खोलना चाहती है ?

वातानुकूलन यंत्र[1]

†१६१६. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रालयों में काम करने वाले पदाधिकारियों को अपने पद के अनुसार वातानुकूलन यंत्रों का प्रयोग करने दिया जाता है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Air Conditioners.

(ग) क्या यह सब मंत्रालयों के लिये एक सा नियम है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). राजधानी की आबहवा के कारण सरकारी इमारतों का वातानुकूलन अपेक्षित तथा आवश्यक है। ऐसा करना नई बहुमंजिली इमारतों में और भी आवश्यक है जिन की छतें नीची हैं, दीवारें पतली हैं और वातायन अपर्याप्त है। यद्यपि वे एक केन्द्र से चालित वातानुकूलित । के लिये बनाई गई हैं तथापि विदेशी मुद्रा अधिक व्यय होने के कारण अभी ऐसा करना संभव नहीं है। नार्थ और साउथ ब्लाक के केन्द्रीय वातानुकूलक यंत्र भी पुराने और कमज़ोर हो गये हैं। अतः कुछ लोगों को सुविधा देने के लिये सरकार मंत्रालयों/विभागों में लगभग एक से नियम के अनुसार वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिये वातानुकूलन एकक/डेज़र्ट कूलर दिये गये हैं।

पंजाब में सीमेंट की मांग

†**१६१७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार से १९६१-६२ में सीमेंट की अब तक कितनी मांग आई है;

(ख) उसी अवधि में उस राज्य को कितना सीमेन्ट देना निश्चित किया गया; और

(ग) उसी अवधि में वस्तुतः कितना सीमेन्ट दिया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सीमेन्ट की मांग हर तीन महीने में की जाती है और तदनुसार आवण्टन किया जाता है। १९६१-६२ में मांग, आवण्टन और प्रेषण इस प्रकार है :—

अवधि	मांग	आवंटन	प्रेषण
		(मीट्रिक टनों में)	
अप्रैल-जून, १९६१ . .	२,२५,८७०	१,१३,१००	१,०४,६८४
जुलाई-सितम्बर, १९६१ .	२,४६,५७३	१,२२,१००	अभी चल रहा है

भारतीयों की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की भारत यात्रा

†**१६१८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक भारत में कितने पाकिस्तानी और पाकिस्तान में कितने भारतीय तीर्थयात्रा के लिये आये गये;

(ख) उनके मूल दृष्टांक की अवधि पूरी होने के बाद भी कित ने व्यक्ति अपने देश को न लौटे; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†**१६१९. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का उत्पादन १९६० में बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) यह १९५९ के आंकड़ों की तुलना में कैसा है; और

(घ) क्या १९६१ में उत्पादन के लिये कोई नई चीज़ शामिल की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

संवहनीय हिन्दी टाइपराइटर[1]

१६२०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में संवहनीय हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सरकार ने संवहनीय टाइपराइटरों के लिये अब तक दो योजनायें मंजूर की हैं। उनमें से एक बड़े पैमाने के क्षेत्र में और एक छोटे पैमाने के क्षेत्र में होगी। इन योजनाओं की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः १८,००० और २,००० होगी। कम्पनियां अपनी स्वीकृत क्षमता के अन्तर्गत हिन्दी टाइपराइटर बना सकती हैं। चूंकि सरकार द्वारा हिन्दी के स्टेंडर्ड 'की-बोर्ड' के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही होने वाला है, इसलिये हिन्दी 'की-बोर्ड' वाले संवहनीय टाइपराइटरों का बनाना आरम्भ नहीं हुआ है।

हाइपोडरमिक सीरिन्ज[2]

†**१६२१. श्री चुनी लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में हाइपोडरमिक सिरिन्ज कितने परिमाण में आयात की गई;

(ख) इस का सब से अधिक निर्यात किस देश ने किया;

(ग) क्या यह उद्योग केवल छोटे पैमाने के उद्योग के लिये ही रखा गया है या सरकार ने आटोमेटिक मशीनों द्वारा इसे बनाने की अनुमति दी है या बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Portable Hindi Typewriters.

[2]Hypodermic Syringes.

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस वस्तु के परिमाण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत में आयात की गई हाइपोडरमिक सिरिन्ज का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य हज़ार रुपयों में
१९५७–५८ .	८४०
१९५८–५९ .	६०१
१९५९–६० .	८९३

(ख) जापान ।

(ग) और (घ). यह उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र के लिये रक्षित नहीं है । अब तक बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में ५ योजनायें और छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में भी कुछ योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ।

महात्मा गांधी की कृतियों के संकलन का प्रकाशन

†१६२२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गांधी जी के भाषणों, लेखों तथा संकलनीय पत्रों की मूल प्रतियां भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पंजाब को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

†सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारी

†१६२३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक कितने विद्रोही नागा गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १९६१ में मई के अन्त तक २८५ नागा विद्रोही गिरफ्तार किये गये । इन में से १९० छोड़ दिये गये हैं, ४ को दंड दिया गया है और ९१ का मामला चल रहा है ।

पंखों का उत्पादन

†१६२४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में पंखे बनाने वाले कारखानों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

---

†मूल अंग्रेज में

(ख) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि पंखे बनाने वाले कारखानों की संख्या को और बढ़ने से रोका जाये; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) पंखे बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने २५ हैं और उन में प्रति वर्ष ८,८६,०५० पंखे बनते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों का पुनरावलोकन करने के फलस्वरूप और विदेशी मुद्रा कमाने के लिये भेजे गये पंखों की संख्या को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिये निर्धारित किये गये अन्तर्कालीन लक्ष्यों के अनुपात में, देखते हुए बिजली के पंखे बनाने के कारखानों को नये लाइसेंस देना अप्रैल से सितम्बर, १९६१ तक प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। परन्तु सन्तुलन को बनाये रखने के लिये और उन कारखानों से, जो निर्यात पर अधिक ध्यान देना चाहते हों, प्रार्थनापत्र लिये जायेंगे।

सीमेंट की आवश्यकता

†**१६२५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में (वर्षवार) देश में कुल कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में देश में कितना सीमेंट तैयार होगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कमी के पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). १९६०-६१ में कुल १०८·२ लाख टन की मांग थी। मांग बढ़ने की प्रवृत्ति अब भी जारी है। अतः यह विचार है मांग पर निगाह रखी जाय और १९६१-६२ के अन्त में क्षमता के लक्ष्य का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया जाये। अब तक जिन योजनाओं को लाइसेंस दिये गये हैं अथवा जिन्हें स्वीकृत किया गया है उन के आधार पर अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार बढ़ेगी :—

	लाख टन
वर्तमान क्षमता	९३·०१
१९६१–६२ .	१००·३०
१९६२–६३ .	१०३·८८
१९६३–६४ .	११७·९२
१९६४–६५ . .	१४०·१९
१९६५–६६	१४२·११

वास्तविक उत्पादन क्षमता का ८० से ९० प्रतिशत तक होगा।

और नये लाइसेंस जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रयोगात्मक रूप से १५० लाख टन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो यदि आवश्यकता हुई, तो बढ़ा दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

टोकियो में भारतीय राजदूतावास की इमारत

†१६२६. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकियो में भारतीय राजदूतावास की इमारत के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : निर्माण कार्य लगभग ३ मास से हो रहा है। तहखाने और निचली मंजिल में कंक्रीट का काम हो चुका है। आशा है कि भवन जनवरी तक तैयार हो जायेगा ।

(ख) अब तक ३,३६,००० रुपये खर्च हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग एकक

†१६२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १९६०-६१ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने लघु उद्योग एकक खोले गये ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

बाल एण्ड रोलर बीयरिंग परियोजना

†१६२८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता से बाल और रोलर बीयरिंग परियोजना स्थापित करने में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

एशियाई देशों से आयात

†१६२९. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय सांझा बाजार के लिये एशियाई देशों से कम मूल्य के निर्यातों सम्बन्धी समस्या के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय करार करने की बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ के साथ व्यापार

†१६३०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा लखरकोट और अन्मोद के स्थानों पर अक्तूबर, १६६० से दो और रास्ते खोल देने के प्रत्युत्तर में पुर्तगाली प्राधिकारियों ने सीमा के उस पार के यात्रियों के लिये भी इसी प्रकार की सुविधाय दी हैं ;

(ख) गोआ के साथ व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील देना कहां तक सम्भव पाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). अप्रैल, १६६१ से सरकार ने गोआ, दमन और दीव के साथ सीमित व्यापार की अनुज्ञा दे दी । केवल ऐसी वस्तुयें, जैसेकि हथकरघा और कुछ किस्मों का मिल का बना वस्त्र, दवाइयां और थोड़ी मात्रा में दालें, जो गरीब लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, निर्यात करने की स्वीकृत दी जाती है । गोआ से सुपारी के आयात की भी मंजूरी दी जाती है ।

अनुशासन संहिता का उल्लंघन

†१६३१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ फरवरी, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुशासन संहिता के उल्लंघन के बारे में प्राप्त हुई पांच शिकायतों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) पांच शिकायतों में से एक के बारे में कार्यवाही करने से पूर्व उल्लंघन करने वाले श्रमिक कोयला खान छोड़ कर चले गये, एक शिकायत प्रबन्धकों ने जांच के दौरान में ही वापस ले ली और तीसरी शिकायत जांच करने पर सिद्ध नहीं हो सकी । शेष दो शिकायतें सामान्य प्रकार की थीं और जब विशेष जानकारी मांगी गई तो प्रबन्धक उसे उपलब्ध नहीं कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य कुशलता संहिता

†१६३२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
　　　　　श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्य कुशलता संहिता सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्राप्त प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर तैयार होने वाले प्रतिवेदन में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : प्रतिवेदन बनाया जा रहा है ।

कच्ची फिल्म परियोजना

†**१६३३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कच्ची फिल्म के कारखाने बनाने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

फ्रांस की एत्स बौशे (Ets Bauche.) के साथ किये गये समझौते के अधीन (संसद् पुस्तकालय में जिसकी प्रतियां उपलब्ध हैं) सिनेमा की कच्ची फिल्में, कागज़, एक्सरे फिल्म तथा अन्य सामग्री बनाने के लिये स्थापित संयंत्र एक सरकारी समवाय 'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड' परियोजना की क्रियान्विति के लिये मद्रास में ३०-११-६० को रजिस्टर की गई है ।

उत्पादन कार्यक्रम में निम्नलिखित श्रेणियों का उत्पादन आता है :—

	वर्ग मीटर प्रति वर्ष (लाखों में)
सिनेमा की कच्ची फिल्में	३८
फोटो फिल्में (राल्स तथा शीट्स) .	७·१
ऐक्सरे फिल्म	६·०
फोटोग्राफिक पेपर	२५·०
(स्थापित क्षमता)	१२०

परीक्षण के बाद वाणिज्यिक उत्पादन दिसम्बर १९६२ से आरम्भ हो जाने की आशा है तथा आशा है कि प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये के उत्पादन के लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे हो जायेंगे।

सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे

†१६३४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
　　　　　सरदार इकबाल सिंह :
　　　　　श्री क० भे० मालवीय :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली के दो कमरों वाले सरकारी क्वार्टरों में छत का दूसरा पंखा लगाने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

डालमिया सार्थ

**†१९३५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डालमिया सार्थों के कार्यों की जांच के जांच आयोग द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जांच आयोग ने जांच की जाने वाली दस कम्पनियों तथा डालमिया जैन वर्ग के बारे में 'मामलों के विवरणों' के उत्तर में प्राप्त लिखित विवरणों की जांच पूरी कर ली है । 'मामलों के विवरण' तथा विविध व्यक्तियों से प्राप्त लिखित उत्तर तथा अन्य प्राप्त सामग्री के आधार पर आयोग ने विवादास्पद तथ्यों का निर्धारण करने के लिये 'विषय' बना लिये हैं । ९ अगस्त, १९६१ को सार्वजनिक बैठक के समय आयोग ने इन 'विषयों' की घोषणा की है ।

आयोग शीघ्र ही उपरिलिखित 'विषयों' का निश्चय करने के लिये मौखिक गवाही लेना शुरू कर देगा । केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) नियम १९६० के नियम ३ के अधीन एक 'नोटिस' केन्द्रीय सरकार को भी दिया गया है ।

पानीपत में कागज मिल

†१९३६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत (पंजाब) में एक कागज मिल बनाने के बारे में एक अमरीकी फर्म के साथ सहयोग समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जी नहीं । संबंधित पार्टी ने विदेशी फर्म के साथ समझौते की शर्तें अभी नहीं दी हैं ।

सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत को निर्यात

†१९३७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालिम्पोंग की कुछ मारवाड़ी फर्मों के सिक्किम के अफसरों के साथ मिलजुल कर सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत में निर्यात करने के आरोप की जांच करली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क). और (ख) जांच करने पर मालूम हुआ कि कुछ मारवाड़ी फर्मों द्वारा सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत में निर्यात अवश्य किया गया परन्तु इन व्यापारियों तथा सिक्किम के अफसरों में इस बारे में कोई मेलजोल नहीं था ।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आसपास छोटे पैमाने के उद्योग

†१६३८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आसपास छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के बारे में सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू किया जाना

†**१६३९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पंजाब कपड़ा मिल भिवानी, पंजाब में अभी तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). यह एकक कपड़ा मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन संबंधी सरकारी संकल्प के पैराग्राफ ७ के अन्तर्गत आता है और इसीलिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आता है ।

'विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपल्स' नामक पुस्तिका

†**१६४०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि 'विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपल्स' नामक पुस्तिका कहां से आई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). चीन गणतंत्र में यह पुस्तिका प्रकाशित हुई है तथा स्पष्ट है कि वहीं से भारत में आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

†१६४१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों को १५ वर्ष की सेवा के पश्चात् उपदान दिये जाने की व्यवस्था करने और उनको मिलने वाली रकमों की वसूली के लिये एक विशेष तंत्र की स्थापना करने की दृष्टि से श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने का विधान अब तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). २२ तारीख को होने वाले त्रिदलीय सम्मेलन में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियमों में संशोधन करने के सुझावों पर चर्चा करने का विचार है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†**१६४२. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लेखापालन और लागत आंकने की वर्तमान पद्धति के कार्यवहन की जांच करली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या सरकार का कुछ परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : संभवतः माननीय सदस्य सरकारी समवायों की लागत तथा लेखापालन पद्धति का उल्लेख कर रहे हैं । यदि हां, तो उनका ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या १२७३ के उत्तर के भाग (ख) की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) कई सरकारी समवायों में उपयुक्त लेखापालन तथा लागत इकाइयां बनाई जा रही हैं ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनधिकारवासी परिवारों का पुनर्वास

†१६४३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में २५,००० अनधिकारवासी परिवारों को पुनः बसाने की योजना बनाई जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यॉरे क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से रहने वाले २५,००० परिवारों को पुनः बसाने की योजना दिल्ली नगर निगम को क्रियान्वयन के लिये सौंप दी गई है। योजना के अनुसार प्रत्येक उपयुक्त अनधिकारवासी परिवार को फ्लश पाखाना, स्नानघर तथा चबूतरे वाला ८० वर्ग-गज का मकान दिया जायेगा। आधी लागत सरकार द्वारा सहायता के रूप में तथा आधी अनधिकारवासी परिवार द्वारा वहन की जायेगी परन्तु जिन परिवारों की आय २५० रुपये महीना है उनको पूरी लागत स्वयं देनी होगी।

पंजाब में जाली पासपोर्ट के मामले

†१६४४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **प्रधान मंत्री** २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाली पासपोर्टों के उन २२ मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है जो पंजाब के न्यायालयों में लम्बित है ; और

(ख) पासपोर्ट के फोटों के कोनों पर आईलैट से सूराख करने की आईलैट मशीन का प्रयोग करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विशेष पुलिस स्थापना द्वारा रजिस्टर्ड ४४ व्यक्तियों का एक मामला विशेष मजिस्ट्रेट, अम्बाला के न्यायालय में अपराधियों को सैशन सिपुर्द करने के लिये लम्बित है। पंजाब के मुकदमे के लिये लम्बित शेष २१ मामलों की अन्तिम रिपोर्ट की पंजाब सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है पंजाब सरकार से रिपोर्ट मिल जाने के बाद इन मामलों की अन्तिम स्थिति का विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) भारत के एक अथवा दो पासपोर्ट कार्यालयों में आईलैट मशीन प्रयोग के रूप में लागू करने का निर्णय किया गया है। विदेशों से मिल जाने के बाद यह मशीनें पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को दे दी जायेंगी।

किराये की वसूली

†१६४५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ से कृषि भवन के कार्यालय के किराये की वसूली का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड से किराया लेने को कहा है।

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत मछुवों का छुड़वाया जाना

†१९४६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या प्रधान मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी सशस्त्र सिपाहियों द्वारा यंत्र समेत अपहृत मछुवों को छुड़वाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले को पूर्व पाकिस्तान सरकार से उठाया है उन्होंने छः मछुवो के कथित अपहरण से इन्कार कर दिया है । उन्होंने बताया है कि मछुवों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर बिना अनुमति के पाकिस्तानी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अभियोग लगाया गया था । उन के यंत्रादि जब्त कर लिए गए थे ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पाकिस्तान की इस बात को स्वीकार नहीं किया है और उनसे मामले की ओर जांच करने को कहा है । पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तानी अधिकारियों से बलपूर्वक कहा है कि यंत्रादि समेत गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रजनों को शीघ्र छोड़ दिया जाये ।

ट्रांसमीटरों की स्थापना

†१९४७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने ५७ ट्रांसमीटर स्थापित करने की व्यवस्था पूर्ण कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीटरों पर कितना धन व्यय होगा तथा उनकी कितनी क्षमता होगी और उनको किन किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या स्थापित होने वाले सभी केन्द्रों के लिए नये भवन बनाये जायेंगे अथवा पुराने भवनों का अर्जन किया जायेगा; और

(घ) इस कार्य के लिए नये भवन के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ५६ ट्रांसमीटरों (मूलतः ५७ का प्रस्ताव था) को स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) संबद्ध सूची के अनुसार **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या ८८]**

(ग) जहां उपयुक्त भवन हैं वहा पर उनका उपयोग किया जायेगा तथा अन्य केन्द्रों पर नये भवन बनाये जायेंगे ।

(घ) लगभग ८० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात गृह

†१६४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात-गृह स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : कुछ कानूनी कार्यवाही पूरी किए जाने तक सरकार ने बम्बई में एक निय ति गृह को अस्थाई मान्यता दे दी है । चार और अभ्यावेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

योजना आयोग का पुनर्गठन

†१६४९. **श्री दी० चं शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई

(ख) मामले में किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रतिवेदन के पूरा होने के बाद योजना आयोग भविष्य में अपने काम के लिए आन्तरिक कर्मचारी आवश्यकताओं तथा व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करने का विचार कर रहा है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर प्रतिबन्ध

†१६५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता पर कुछ नये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार की सूचनानुसार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के नागरिकों पर और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†१६५१. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०२ तथा २४ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८१ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर १९५४ की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार न्यूटन त्रिफली कोयलाखानों के प्रबन्धक तथा फरवरी १९५५ की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अमलाबाद कोयलाखान के प्रबन्धक के विरुद्ध लगाये गये अभियोग की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या यह दोनों प्रबन्धक अभी भी प्रबन्धक पदों पर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) मामले न्यायालयों में लम्बित हैं ।

(ख) जी हां ।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम का लागू किया जाना

†**१६५२. श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम लागू किया गया है ;

(ख) अन्य राज्यों में अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ; और

(ग) जहां यह लागू किया गया है , इसके अधीन कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, कहीं नहीं ।

(ख) प्रारूप आदर्श नियम बना लिये गये हैं और उन्हें इस प्रार्थना के साथ राज्य सरकारों को भेज दिया गया है कि वे प्रारूप आदर्श नियमों के आधार पर अपने नियम बनाने की तत्काल कार्यवाही करें । राज्य सरकारों का ध्यान अधिनियम को मार्च, १९६२ से लागू करने की अधिनियम की वांछनीयता की ओर भी आकृष्ट किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगरेनी कोयला खानों के लिये क्वार्टर

†**१६५३. श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के लिये कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा कितने क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) उसके लिये कितना धन दिया गया है ; और

(ग) ३१ मार्च , १९६१ को निधि में सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के पास कितना धन बाकी था ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) कल्याण संगठन की आवास योजना के अन्तर्गत दो कमरों वाले ५६२ मकान बनाये गये हैं । १२६३ दो कमरों वाले मकान और १६०० एक कमरे वाले मकान, जिनको बाद में दो कमरे वाले बना दिया जायेगा, निर्माणाधीन हैं ।

(ख) २·७४ लाख रुपये ।

(ग) ३१–३–६१ को हैदराबाद कोयला-क्षेत्र में व्यय के लिये लगभग ३७ लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध थी ।

रानीगंज कोयला खानें

†**१६५४. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ और १९६० में रानीगंज कोयला क्षेत्र में कितनी खान दुर्घटनायें हुईं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन खानों में कितनी मृत्युएँ हुईं और कितनों को गंभीर चोटें आयीं ; और

(ग) वर्ष १९५७ और १९६० में रानीगंज खानों में कोयले का कितना उत्पादन हुआ ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग).

	१९५७	१९६०
दुर्घटनाओं की संख्या		
घातक	४८	५५
गम्भीर	५९४	१०१०
व्यक्तियों की संख्या		
मारे गये . . .	५६	६१
गम्भीर रूप से घायल .	६१५	१०३७
उत्पादन (लाख टनों में) . .	१३९	१६३

आकाशवाणी केन्द्र

१६५५. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के नये केन्द्रों का स्थान चयन करने तथा अन्य तैयारियां करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : **स्थानों का चयन** :३६ इन्स्टालेशन के लिये नये स्थानों की आवश्यकता है। इनमें से, २६ स्थानों का अन्तिम रूप निश्चित किया जा चुका है, २० का कब्जा ले लिया गया है। शेष परियोजनाओं के लिये सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

बिल्डिंग निर्माण : १५ जगहों पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है या काम सौंप दिया जा चुका है और अन्य प्राप्य स्थानों पर प्रबन्ध किया जा रहा है।

उपस्कर : २५ इन्स्टालेशन के लिये ट्रांसमिटिंग का ज़रूरी सामान और मस्तूल पहले से ही भारत में पहुंच गये हैं और १७ के लिये आदेश दिये जा रहे हैं। बाकियों के लिये इन्डेन्ट दे दिये गये हैं ।

श्री संत सिंह तेग की पाकिस्तान यात्रा

†**१६५६. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ मई, १९६१ के अलग सूचना प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि श्री सन्त सिंह तेग को, जो अपनी सरकार-विरोधी कार्यवाहियों के लिये कुख्यात हैं, पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति कैसे दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। यह पता लगाया गया है कि संत सिंह तेग ने राज्य सरकार के जरिये भारत-पाकिस्तान पारपत्र के लिये आवेदन नहीं किया। परन्तु उसने आवेदन-पत्र में यह लिख कर कि उनका स्थायी निवास दिल्ली में है, दिल्ली प्रशासन से पारपत्र लिया। उनको भारत पाकिस्तान पारपत्र दिया गया जो एक महीने के लिये वैध था।

२. यह पता लगा लिया गया है कि श्री सन्त सिंह तेग ने अपने पारपत्र आवेदन-पत्र में जो स्थायी पता दिया था, वह गलत है और इसलिये भारत-पाकिस्तान पारपत्र विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास

†१६५७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) तृतीय योजना-काल में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि मंजूर की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या ८९]**

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†१६५८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने में औद्योगिक श्रमिकों को कोई आकस्मिक छुट्टी नहीं मिलती, ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस दिशा में अन्य केन्द्रीय उपक्रमों का अनुसरण करने का प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या ९०]**

हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†१६५९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में कर्म समितियां अथवा कर्म परिषद् कार्य कर रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी समितियां बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ में, जिसको मान्यता प्राप्त है, श्रमिकों का विश्वास नहीं है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड, भोपाल में एक कर्म समिति/एक कर्म परिषद् नहीं है । तथापि, वहां पर दो कर्मचारी समितियां हैं, एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये और, दूसरी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये, जो कम समितियों जैसे कृत्य कर रही हैं । ३१ दिसम्बर १९६० से लागू हुए मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १९६०, जो हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड भोपाल पर लागू होता है, के उपबन्धों के अन्तर्गत केवल संयुक्त समिति बनाने की व्यवस्था है और कर्म समिति नहीं । प्रबन्धक एक संयुक्त समिति बनाने के लिये राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और राज्य सरकार से निदेश प्राप्त होते ही एक संयुक्त समिति बना दी जायेगी । प्रबन्धकों ने हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ को, उद्योग में अनुशासन संहिता के उपबन्धों के अधीन, यह सुनिश्चित करके कि यह संघ उपरोक्त उद्योग में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत इस बारे में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, २५ जनवरी, १९६१ से मान्यता प्रदान करदी । दो और कर्मचारी संघ बनाये गये हैं और उन्हें अभी तक प्रबन्धकों ने मान्यता नहीं दी है क्योंकि अभी यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किस संघ में भोपाल कारखाने के अधिकांश कर्मचारी और श्रमिक हैं ।

रेल व सड़क परिवहन में समन्वय

१९६०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल व सड़क परिवहन में समन्वय स्थापित करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अन्तरिम प्रतिवेदन देने के बाद अपने कार्य में और क्या प्रगति की है; और

(ख) जो अंतरिम प्रतिवेदन उस समिति ने प्रस्तुत किया था उस पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :(क) परिवहन नीति एवं समन्वय पर गठित समिति ने जो अन्तरिम रिपोर्ट फरवरी, १९६१ में दी थी उसमें मुख्यतः सड़क-रेल के समन्वय की समस्याओं और समिति द्वारा इस विषय पर एकत्र की गई वास्तविक सूचना दी गई थी तथा दीर्घ-कालीन नीति के निर्धारण के लिये जिन बातों की आवश्यकता है उनको दर्शाया गया था । यह रिपोर्ट संसद् सदस्यों, विश्व विद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र विभागों, योजना आयोग के अर्थ शास्त्रियों के परामर्शदाता दल के सदस्यों और चेम्बर आफ़ कामर्स आदि इस विषय से संबंधित सभी व्यक्तियों को भेजी जा चुकी है । उपरोक्त लोगों में से कुछ की टिप्पणियां समिति को प्राप्त हो चुकी हैं । समिति ने रिपोर्ट में उठाये गये विभिन्न विषयों पर स्वतन्त्र रूप से भी विस्तृत अध्ययन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति की विचारणीय विषयों के अनुसार इसको परिवहन के सभी तरीकों से संबंधित समस्याओं की जांच करनी है। आजकल यह समिति रेल तथा मोटर परिवहन को छोड़ कर जहाज़रानी, अन्तर्देशीय जलपरिवहन, वायु परिवहन और बैलगाड़ी तथा नाव जैसे परम्परागत परिवहन साधनों के बारे में वास्तविक तथ्य संग्रह करने में लगी हुई है।

(ख) समिति की अंतरिम रिपोर्ट में रेल तथा राज्यों के राष्ट्रीयकृत बस परिवहन के बीच सीमित समन्वय के प्रश्न को छोड़ कर कोई अन्य सिफ़ारिश नहीं है। इस सम्बंध में समिति ने सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व अपनायी गयी नीति का ही अनुमोदन किया है, जिसमें परिवहन निगम अधिनियम १९५० के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों को निगमों में परिवर्तित करने की बात है जिसमें रेल तथा यदि संभव हो तो निजी चालक भी शामिल हों। योजना आयोग कुछ वर्षों से राज्य सरकारों को इस प्रकार के निगमों के गठन करने की सलाह देता रहा है और हाल में ही उन राज्यों को फिर स्मरण कराया गया है जिन्होंने अभी तक इस निर्णय पर अमल नहीं किया है।

पटसन उद्योग में स्वचालित करघे

†१९६१. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने पटसन उद्योग में स्वचालित करघे लगाने की कोई योजना पेश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ग) योजना का क्या ब्योरा है;

(घ) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने योजना में धन लगाने के लिये सरकारी ऋण मांगा है ;

(ङ) प्रस्थापित नये करघों की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(च) नये करघे लगाने से कितने श्रमिक बेकार हो जायेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). पटसन उद्योग में स्वचालित करघे लगाने के लिये भारतीय पटसन मिल संघ से कोई विशिष्ट योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, प्रयोगात्मक आधार पर पांच पटसन मिलों में दो प्रकार के करघे--"एक मैक" बिना शटल की बुनाई की मशीन, और सुधरे हुए और संशोधित डिज़ायन के सर्कुलर करघे लगाने की अनुमति दी गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) एक "एक मैक" करघे का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य लगभग १३,००० रुपये है और एक सर्कुलर करघे का मूल्य ३२,००० रुपये है। इसमें स्थापना की लागत, आयात शुल्क और अन्य इन्सिडेन्टल शुल्क शामिल नहीं है। जो लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का लगभग २० प्रतिशत होगा।

(च) फालतू होने वाले व्यक्तियों की संख्या, उन स्वचालित करघों पर निर्भर होगी जिनके लिये वर्तमान प्रयोग और करघों की उत्पादन स्थिति को देखने के बाद करघे लगाने की इजाज़त

---

†मूल अंग्रेजी में

दी जायेगी। स्वचालित करघे इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेकार न हों।

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

१६६२. {श्री विभूति मिश्र :
　　　{श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि सिक्किम में रेडियो स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : वैज्ञानिक आधार पर यह निर्णय किया गया है कि प्रस्तावित शार्टवेव ट्रांसमीटर को कुरसियोंग में लगाया जाये जो सिक्किम के नज़दीक है। इसके लिये पश्चिम बंगाल सरकार से दो इमारतें पट्टे पर ले ली गई हैं। इन दोनों का कब्जा आकाशवाणी को दिया जा चुका है। ट्रांसमीटर के पुरजों का पहला हिस्सा कुरसियोंग पहुंच गया है।

रायसीना मार्केट, नई दिल्ली

†१६६३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायसीना मार्केट, नई दिल्ली के शरणार्थी दुकानकारों को वहां से निकाला जा रहा है ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मार्केट, कई कार्यालयों के केन्द्र में है और कितने ही कर्मचारियों के लिये सुविधाजनक है, क्या इस क्षेत्र में एक छोटा सा मार्केट, बनाये रखने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इन दूकानदारों को वैकल्पिक दुकानें क्यों नहीं मिलेंगी ;

(घ) यदि नहीं, तो वैकल्पिक स्थान कौन सा बनाया गया है ; और

(ङ) क्या वे उन्हीं शर्तों पर हैं जो उन्हें अब मिली हुई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) रायसीना मार्केट एक अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर बनाया गया था और इसे यह स्थान खुला रखने के लिये गिराया जाना है। अतः इस मार्केट के दुकानदारों से दुकानें खाली करायी जायेंगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने द्वारा निर्धारित शर्तों पर किदवई नगर मार्केट में दुकानें दी गयी थीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आसाम और पश्चिम बंगाल में रद्दी रुई के कम्बलों[1] का संभरण

†१६६४. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्व अधिष्ठापित थोक व्यापारियों को रद्दी रूई के कम्बलों के संभरण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वे मिलों द्वारा सीधे स्थापित किये गये अन्तर्व्यापारियों के जरिये वितरित किये जायेंगे ; और

(ग) इस परिवर्तन से क्या लाभ होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सूती कपड़े के वितरण पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है । केन्द्रीय सरकार के आसाम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पूर्व अधिष्ठापित थोक व्यापारियों को कपास-क्षेप्य कम्बलों के संभरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डेरी किशन चन्द के अग्नि-पीड़ितों को भूमि का आवंटन

†१६६५. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २ जून, १९६१ के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि २० अप्रैल को लगी आग, जिसमें बेला रोड पर डेरी किशनचन्द जल कर राख हो गयी थी और लगभग एक हजार परिवार बेघर हो गये थे, पीड़ित व्यक्तियों को श्रीनिवासपुरी में, रिंग रोड के छोर पर अथवा यमुना पार मार्जिनल बंध के समीप भूमि के आवंटन के लिये चिटों में व्यापार चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रश्नाधीन भूमि का और पीड़ितों को हस्तान्तरण रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नगर निगम द्वारा की गयी जांच से, जो झुग्गियां और झोपड़ियां हटाना योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है, पता चला कि प्रथम दृष्टया डेरी किशन चन्द के अग्नि पीड़ितों को दी गयी आवंटन चिटों में कोई व्यापार सम्भव नहीं है ।

(ख) पीड़ित परिवारों के फोटो ले लिये गये हैं और उन्होंने जो पट्टा पत्र भरा है उसमें यह व्यवस्था है कि पट्टे की अवधि के दौरान व निगम की अनुमति बिना प्लाट को न बेच सकते हैं, न गिरवी रख सकते हैं और न सब-लेट कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Cotton Waste Blankets

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मूल्य निर्धारित करना

†१६६६. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाभ कमाने वाले मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई सिद्धांत बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों से वाणिज्यिक स्तर पर काम करने और सरकारी उत्पादन में विनियोजन लगाने की आशा की जाती है । उपक्रम के वित्तीय कार्यकरण के लिये कोई एकसा सिद्धांत या स्तर निर्धारित करना कठिन है ।

मूल्य नीति प्रत्येक वस्तु पर भिन्न होती है और सामान्तः मूल्य ऐसी ही आयातित वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं । प्रत्येक उपक्रम के निदेशक-मंडल उन उत्पादों के प्रतियोगी मूल्य, मांग और सरकारी उपक्रमों को उसका मूल्य मिलने को ध्यान में रखते हुए मूल्य नीति का अनुसरण करने के लिये सक्षम है ।

औद्योगिक विकास

†१६६७. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से बड़े उद्योग हैं जिनके और विकास को सरकार आवश्यक नहीं समझती ; और

(ख) इन उद्योगों में (पृथक पृथक) वार्षिक उत्पादन कितना है और आन्तरिक खपत कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) देश की वर्तमान क्षमता और विभिन्न उद्योगों में वह क्षमता, जिनके लिये नई योजनाओं को लाइसेंस दिये गये हैं और जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , १९५१ के अन्तर्गत स्थापित किये जायेंगे, को ध्यान में रख कर सरकार समय समय पर उन उद्योगों की सूचियां तैयार करती है जिनको सामान्यतः अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे । ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये जो उद्योगों की सूची बनायी गयी है, वह संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ख) भारत में कुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, कलकत्ता द्वारा **"भारत के चुने हुये उद्योगों के उत्पादन के मासिक सांख्य"** नामक पुस्तक में, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, प्रति मास प्रकाशित किये जाते हैं । आन्तरिक खपत के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक बस्तियां

१९६८. श्री सरजू पांडेय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में राज्यों के विभिन्न जिलों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (एक विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१२२/६१]**

चाय का निर्यात

†१९६९. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के लिये ६१ करोड़ पौंड के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या अस्थायी योजनायें बनायी गयी हैं ;

(ख) क्या योजना बनाने से पूर्व देश में चाय श्रमिकों से पराशमर्श किया गया था ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में इन योजनाओं पर कुल अनुमानित कितना व्यय होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). चाय उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफ़ारिशों पर, तृतीय योजना के अन्त में उत्पादन का लक्ष्य ९० करोड़ पौंड रखा गया है ताकि आन्तरिक खपत की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद निर्यात के लिये पर्याप्त मात्रा में चाय बच सके। उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाये गये कदमों के अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों में योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये समय समय पर उचित उपाय किये जायेंगे ।

कार्यकारी दल से कुछ बड़े चाय उत्पादकों का सम्बन्ध था। चाय बोर्ड में चाय उत्पादकों, निर्यातकों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है और वे जो योजनायें रखते हैं उन पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करती है ? इस समय चालू की जाने वाली योजनाओं के बारे में व्यय का ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

विदेशी मंडियों में चाय उत्पादन आन्दोलन को गहन रूप दिया जा रहा है ।

पांडिचेरी में श्रमिक और भाटकिता सुधार अधिनियम

†१९७०. श्री अ० क० गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी में लागू किये गये मद्रास राज्य के श्रमिक और भाटकिता सुधार अधिनियम के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों का संरक्षण पांडिचेरी के लोगों को उपलब्ध नहीं है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो पांडिचेरी राज्य में इन नियमों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) मद्रास के किसी भी श्रमिक नियम को पांडिचेरी राज्य में लागू नहीं किया गया है। मालाबार भाटकिता अधिनियम, जो नीलगिरी जिला (मद्रास राज्य) के कुछ भागों में लागू है, जुलाई, १९५८ से माहे में लागू किया गया था और करैकल के सम्बन्ध में करैकल किरायेदार संरक्षण आदेश, १९६०, मार्च, १९६० में जारी किया गया था।

(ख) जी, हां। उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट बातों को छोड़ कर।

(ग) भारतीय श्रमिक नियमों और अन्य किरायादारी अधिनियमों का पांडिचेरी राज्य में विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान सतलज रेंजर्स द्वारा गोली चलाया जाना

†**१६७१. श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६१ के प्रथम सप्ताह में बिना पारपत्र के पाकिस्तान में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हुए तस्कर व्यापारियों पर पाकिस्तान सतलज रेंजर्स द्वारा गोली चलाने से एक मारा गया और तीन अन्य सख्त घायल हुए ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) और (ख) यह दुर्घटना ६ जून, १९६१ को पाकिस्तान क्षेत्र के भीतर हुई जब पाकिस्तान सतलज रेंजर्स के एक दल ने भारतीय और पाकिस्तानी दोनों—तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह का पीछा किया। दोनों दलों ने गोलियां चलायीं जिसके परिणामस्वरूप रेंजर्स ने एक तस्कर व्यापारी को मार दिया और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। मारा गया तस्कर व्यापारी पाकिस्तानी था और गिरफ्तार किया गया भारतीय। उनके पास से एक मन लौंग से भरा एक थैला मिला।

हथकरघा उद्योग

†१६७२. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा उद्योग के कार्यकरण की जांच करने के लिये स्थापित किये गये कार्यकारी दल (अध्ययन दल) की उपपत्तियों/सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कार्यकारी दल (अध्ययन दल) की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार ने ५ मई, १९६१ के भारत के अतिरिक्त राजपत्र, भाग १, खंड १ में प्रकाशित संकल्प संख्या ४ (१५)-टी० ई० एक्स (सी)/५९ दिनांक ५ मई, १९६१ द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली हैं।

इस संकल्प की एक प्रति १०-८-१९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैगांव-पारो सड़क

†१६७३. **श्री बाजपेयी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैगांव-पारो सड़क का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सड़क भारतीय सीमांत सड़क विकास बोर्ड की देखरेख में बनायी जा रही है ; और

(घ) इस क्षेत्र में अन्य सड़कों के निर्माण में यदि कोई प्रगति की गयी है, तो वह क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं। इसके फरवरी, १९६२ में पूरा होने की आशा है ।

(ख) भूमि प्रदेश की कठिन स्थिति और काम के मौसम के, मानसून के कारण, नवम्बर से मई तक सीमित रहना ।

(ग) जी, नहीं ? यह केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की सहायता से बनायी जा रही है ।

(घ) अन्य सड़कों के निर्माण के लिये सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा करार

†१६७४. { **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६० में हुआ भारत-पाकिस्तान सीमान्त करार का पंजाब की सीमा के बारे में पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है ; और

(ख) पंजाब की सीमा पर सब मिला कर और विशेषतः फिरोजपुर जिले में कौन कौन से क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें जनवरी, १९६० में हुए भारत-पाकिस्तान सीमा करार के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप पंजाब की सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों के आदान-प्रदान का ब्योरा दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया---देखिये संख्या एल० टी० ३१२३/६१]** इस विवरण में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो विभाजन के समय से दोनों देशों के कब्जे में गलत रूप से थे और जिनका आदान-प्रदान किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार द्वारा बनायी गई सम्पत्तियों का नियम और हस्तांतरण

†१६७५. **श्री वाजपेयी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला लाया गया है जिसमें एक व्यक्ति को उसके क्षतिपूर्ति दावे के बदले में नियत की गयी तथा हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति उसके छोटे भाई को, जो दावेदार नहीं है क्यों कि उसे जमीन के रूप में क्षति-पूर्ति पहले ही दी जा चुकी थी, पुनः हस्तान्तरित की गयी है ;

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप करने से जैसा कि विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ३३ के अधीन उल्लिखित है इन्कार कर देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उस सम्पत्ति के पुनः हस्तान्तरण के बारे में जो एक ही व्यक्ति के नाम में पूरी तौर से है जिसे वह देय क्षतिपूर्ति के बदले में दी गयी है, सेटलमेंट कमिश्नर का निर्णय सरकार द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति के आवंटन से उत्पन्न पारिवारिक विवादों में हस्तक्षेप न करने की सरकारी नीति के अनुरूप है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द्र खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यद्यपि सरकार की सामान्य नीति संग्रह-संपत्तियों के आवंटन तथा हस्तान्तरण से उत्पन्न पारिवारिक विवादों में न हस्तक्षेप करने की है फिर भी एक खास मामले में डिप्टी चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने अपनी न्यायिक क्षमता से हस्तक्षेप किया और आदेश जारी किया जो न तो पक्षपातपूर्ण था और जो न प्रतिकूल था । चूंकि यह एक न्यायिक निर्णय था और इसमें न्याय का कोई दुरुपयोग नहीं था, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ३३ के अधीन यह आदेश रद्द करना उचित नहीं समझा ।

पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा भारतीय औरतों का अपहरण

†१६७६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३० अप्रैल, १९६१ के आनंद बाजार पत्रिका (बंगला दैनिक समाचार पत्र) में प्रकाशित "पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा पांच भारतीय औरतों का अपहरण किया गया" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां ।

(ख) और (ग). ४ अप्रैल, १९६१ को पश्चिम दीनाजपुर जिले में थाना रायगंज, गांव पलिहार की आठ भारतीय औरतें सीमा क्षेत्र में ईंधन इकट्ठा करती हुई विवश हो कर पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में चली गयीं और उन्हें अवैध प्रवेश के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । बाद में इन सभी औरतों को छोड़ दिया गया और वे भारत

---

†मूल अंग्रेजी में

लौट आयीं । यह विवश अतिक्रमण और गिरफ्तारी का मामला था, अपहरण का नहीं जैसा कि समाचारपत्रों में लिखा गया है ।

हाथियों का निर्यात

†१६७७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री साधन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खास कर उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाथियों के निर्यात की संभावना तथा वांछनीयता मालूम की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । कुछ हाथी अवश्य ही प्रति वर्ष विदेश भेजे जाते है ।

पत्तन और गोदी कर्मचारी

†१६७८. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान २१ अप्रैल, १९६१ को या उसके आसपास अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ के संगठनकारी सचिव के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि पत्तन और गोदी कर्मचारियों को मकान दिलाने तथा उनकी कुछ और मांगें पूरी करने के लिए, जिनमें सेवानिवृत्ति लाभ तथा महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग शामिल है, बम्बई गोदी मजदूर बोर्ड को राजसहायता देने के अपने वायदे से सरकार मुकर गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों की ओर सरकार का क्या रुख है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) निर्देश संभवत: २६–४–६१ को बम्बई में आयोजित परिवहन और गोदी कर्मचारी संघ के सम्मेलन में पास किये गये संकल्प से है जो इन विषयों के मामले में है:—

(ख) स्थिति इस प्रकार की है :—

(१) **आवासन के लिये गोदी मजदूर बोर्डों को राजसहायता** : ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायताप्राप्त आवासन योजना के लाभ बंबई गोदी मजदूर बोर्ड के कर्मचारियों को दिये जायेंगे । बोर्ड के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सहायताप्राप्त आवासन योजना बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) **सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाना** : बंबई गोदी मजदूर बोर्ड ने भविष्य निधि (प्रोविडेन्ट फन्ड) तथा ग्रैच्युइटी के लिए महंगाई भत्ते का ५० प्रतिशत निकाल कर सेवानिवृत्ति लाभ पहले ही उदार बना दिये हैं।

(३) **मंहगाई भत्ते में वृद्धि** : बंबई गोदी मजदूर बोर्ड ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का निश्चय कर लिया है।

प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्

†१६७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद् के व्यापार शिष्टमंडल ने भारत लौटने पर अपनी यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें/विचार थे; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

टोकियों में अनुसन्धान संस्था

†१६८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए टोकियों में एक अनुसन्धान संस्था कायम की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस शाला में अध्ययन के मुख्य-मुख्य विषय क्या है; और

(ग) इस संस्था में अध्ययन और अनुसन्धान कार्य में भारत किस प्रकार सहयोग दे रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हाँ। उसके उद्देश्य हैं बुनियादी अध्ययन का संचालन करना और एशिया के तथा दूसरे अर्ध विकसित देशों में राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि के पुस्तकालय सामग्री इकट्ठी करना।

(ग) यह एक जापानी संस्था है और हमारे सहयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आकाशवाणी का स्वाहिली यूनिट

†१६८१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सेवाओं (एक्सटर्नल सर्विसेज) के स्वाहिली यूनिट के कर्मचारी के पद पर कोई नियमित सदस्य नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो कब से;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुराने यूनिट के सदस्य के त्यागपत्र या रिहाई के क्या कारण हैं; और

(घ) नियमित यूनिट की अनुपस्थिति में प्रसारण के लिए की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) : आकाशवाणी के विदेशी सेवा प्रभाग का स्वाहिली यूनिट अभी फिलहाल एक स्टाफ आर्टिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इस यूनिट के दूसरे दो कर्मचारी सदस्य आकाशवाणी छोड़कर चले गये जिसमें से एक अप्रैल में और दूसरा जून, १९६१ में अपने ठेके की अवधि पूरी करने के बाद चला गया, क्योंकि वे अफ्रीका लौट जाना चाहते थे। उस यूनिट के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की भरती के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बीच स्वाहिली जानने वाले लोगों को जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, आकस्मिक आधार पर यूनिट का अनुवाद कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

"ट्रोइका" नीति[1]

†**१६८२. श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी हाल में खासकर वियना की बैठकों में रूसी प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित तीन व्यक्ति के निदेशालय या "ट्राइका" नीति का क्या अर्थ है; और

(ख) रूस की "ट्रोइका" नीति के बारे में भारत का क्या मत है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १५वें सामान्य महासभा अधिवशन के बाद से रूसी प्रवक्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि विभिन्न राज्यों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की दिशा में उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सचिवालयों के एकमात्र प्रधान की जगह त्रिदलीय निदेशालय रखा जाये जिसमें आज की दुनिया के तीन प्रधान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि हों। ऐसे निदशालय को रूसी भाषा में ट्रोइका कहा गया है जिसका अर्थ है तीन घोड़ों से खींची जानेवाली गाड़ी। बताया जाता है कि रूसी प्रधान मंत्री ने आण्विक विस्फोटों के निषेध संबंधी संधि का निश्चित रूप से पालन करने के लिए एक संगठन के संदर्भ में वियना में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बैठकों में इस सुझाव पर आग्रह किया था।

(ख) भारत सरकार यह सोचती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यपालिका अधिकारी को इस योग्य होना चाहिये कि विभिन्न दिशाओं में खींचतान के बगैर वह ठीक प्रकार से काम कर सके लेकिन उसे दुनिया की अनेक शक्तियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

१६८३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें ऐसे कितने अनुभाग हैं जिनमें हिन्दी जानने वालों की बहुसंख्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में.

[1] "Troika" Policy.

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने की अनुमति दी गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) (१) ८०।

(२) ३४।

(ख) ३।

राज्य सरकारों को हिन्दी में भेजे गये परिपत्र

१६८४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को आवास योजनाओं के बारे में पत्र तथा परिपत्र हिन्दी में भेजने की उचित व्यवस्था कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). अभी केवल उन पत्र के उत्तर हिन्दी में भेजे जाते हैं, जो हिन्दी में आते हैं। इन चार राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों और परिपत्रों का हिन्दी अनुवाद भेजना अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि आवास योजनाओं के विषय में इनसे प्राप्त होने वाले सब संचारन (कम्यूनिकेशन) अंग्रेजी में होते हैं।

केन्द्रीय मूल्यांकन तथा कार्यान्वित प्रभाग

†१६८५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन तथा कार्यान्वित प्रभाग द्वारा १९६१ में अब तक कितने मामले तय किये गये ; और

(ख) क्या यह प्रभाग मालिक और मजदूरों के संबंधों को अच्छा बनाने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम तैयार कर रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली): (क) जनवरी १९६१ से जुलाई १९६१ तक ३९६।

(ख) और कामों के अलावा यह प्रभाग इस बात पर नजर रखता है कि अनुशासन संहिता पर अमल हो जो कि कर्मचारियों और नियोजकों के आपसी संबंधों को अच्छा बनाने का एक विशेष प्रयत्न है।

जरनल आफ इडस्ट्री एंड ट्रेड

१६८६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जनरल आफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड' (उद्योग व्यापार पत्रिका) पर सरकार को कुल कितना वार्षिक व्यय करना पड़ता है ;

(ख) जरनल की कितनी प्रतियां अधिकारियों और अन्य लोगों में बिना मूल्य के बांटी जाती हैं;

(ग) क्या इस पत्रिका का हिन्दी संस्करण भी अंग्रेजी संस्करण के साथ छापा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दोनों संस्करण एक साथ छापने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) 'जरनल आफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड' तथा उसके परिशिष्टों के कागज और छपाई पर १९६० में कुल मिलाकर १,५१,३५० रु० खर्च हुये हैं।

(ख) साथ में नत्थी विवरण के अनुसार इसकी २,४०० प्रतियां बिना मूल्य बांटी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ९२]**

(ग) जी हां, हिन्दी में उद्योग व्यापार पत्रिका, भारत में परिचालन के लिये प्रतिमास निकाली जा रही है। इसकी अधिकांश सामग्री वही होती है जो जरनल आफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड में प्रकाशित होती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय दूतावासों में प्रयोग की जाने वाली लेखन-सामग्री

१९८७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से पत्रों के फार्म और रबड़ की मुहरें जो कि भारत के विदेशों में स्थित दूतावासों में प्रयोग की जाती हैं, वे हिन्दी और अंग्रेजी में हैं ;

(ख) क्या यह सामान भारत से भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कब और कितनी मात्रा में ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :(क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कहवा उद्योग में श्रमिकों का कल्याण

†**१९८८. श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कहवा बोर्ड कहवा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण में सक्रिय रूचि नहीं दिखा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :**(क) और (ख). जी नहीं । कहवा बोर्ड श्रम कल्याण कार्यवाही के लिये अपने वार्षिक बजटों में विशेष व्यवस्था करता है । इस प्रकार रखी गयी रकमें कहवा पैदा करने वाले तीन मुख्य राज्य मैसूर, मद्रास और केरल में कहवा बगानों में नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च करने के लिये दी जाती है।

---

†मूल अंग्रजी में

कपड़े की मिलें

१६८९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मिलों के नाम क्या हैं जिनका प्रबन्ध ख़राब पाये जाने के कारण उन्हें अधिकृत नियंत्रकों को सौंप दिया गया है ; और

(ख) क्या अधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति के पश्चात् मिलों का प्रबन्ध में सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) निम्नलिखित छः कपड़ा मिलों के लिये अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये गये थे :

(१) एथर्टन वेस्ट एंड कं० लिमिटेड, कानपुर ।

(२) दि माडल मिल्स, नागपुर लिमिटेड, नागपुर ।

(४) अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ।

(४) एडवर्ड मिल्स कम्पनी लिमिटेड, ब्यावर (राजस्थान) ।

(५) मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) ।

(६) हठीसिंह मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी. लिमिटेड, अहमदाबाद ।

(ख) हठीसिंह, मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने न्यायालय में कानूनी कार्यवाई चलने के कारण अधिकृत नियंत्रक के अन्तर्गत कार्य करना शुरू नहीं किया है । अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स का प्रबन्ध 'मालिकों' के हाथों में वापस दे दिया गया है । शेष चार मिलों का प्रबन्ध अधिकृत नियंत्रकों के अधीन जाने से सुधर गया है ।

तांबा और जस्ते की आवश्यकता

†**१६९०. श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पश्चिम बंगाल के कारखानों को कितने तांबे और जस्ते की आवश्यकता थी ;

(ख) क्या यह पूरा पूरा दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) कोई ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग). विदेशी मुद्रा की कमी के कारण प्रत्येक कारखाने की सारी मांग पूरी करना संभव नहीं है ।

कथ के दाम

†**१६९१. श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कथ (दवाई की जड़ी) के दाम काफी गिर गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि तिब्बत की सीमा पर भारत के आदिम जाति के लोगों की यह मुख्य व्यापारिक फसल है ;

(ग) क्या इन किसानों को नष्ट होने से बचाने के लिये जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से इस जड़ी का संग्रह कर इन कीमतों को स्थिर करने का सरकार का विचार है ;

(घ) क्या लाहौल के किसानों ने अभी हाल में प्रधान मंत्री की मनाली यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री के पास कोई अभ्यावेदन दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कथ का तेल

†**१६९२. श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथ जड़ी से तेल निकालने के प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किये गये हैं और देश तथा विदेश के बाजार में कथ के तेल का क्या दाम है ;

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती पहाड़ी जिलों, लाहौल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिये तेल निकालने के कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) ये कारखाने स्थापित करने में कितनी लागत लगेगी और उससे आय कितनी होगी ?

†**उद्यो । मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी हां । प्रयोगशाला में सफल प्रयोग किये गये हैं और अग्रिम कारखाना भी बनाया गया है । देश में तथा विदेश में तेल के मूल्य संबंधी आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी यह ज्ञात हुआ है कि अग्रिम प्रयोगों में प्राप्त डीलैक्टोनाइज्ड तेल यूरोपीय तथा अमरीकी व्यापारियों को ३००–४०० रुपया प्रति पौंड के भाव से बेचा गया है । इस समय हमारे देश में इसकी खपत बहुत सीमित है । राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के विभाग के तौर पर काम करने के लिये राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना में एक प्रयोगात्मक कारखाना कायम करने का निश्चय किया है। जब इस तेल की मांग काफी बढ़ जायेगी तब तेल निकालने के कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा । प्रतिवर्ष पांच टन जड़ी से तेल निकालने के योग्य संयंत्र के लिये पूंजी उपकरण की लागत का अनुमान लगभग ५ लाख रुपये है । इस योजना से लाभ हानि अभी निकालना बाकी है ।

लद्दाखी व्यापारी

†**१६९३. श्री प्र० गं० देब :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाखी व्यापारियों ने व्यापार के लिये पश्चिमी तिब्बत जाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) १९५४ के भारतीय चीनी करार में, भारत से जिसमें लद्दाख शामिल है, व्यापारियों के तिब्बत जाने का उपबन्ध है। उसके अनुसार, २५ जुलाई, १९६१ तक १६८ नियमित और ८९ छोटे मोटे व्यापारियों के लद्दाख से तिब्बत व्यापार के लिये जाने की सूचना मिली है।

(ख) सरकार ने व्यापारियों को सदा की भांति सुविधायें देना जारी रखा है।

तिब्बत के लिये आकाशवाणी का कार्यक्रम

†१६९४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग तिब्बत के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम के प्रसारण में रुकावट डाल रहे हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी भी उन्हीं 'फ्रीक्वेन्सीज' का उपयोग कर रहे हैं जिनका राजकीय भारतीय रेडियो करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि चीनी प्रसार द्वारा किया जाने वाला शोरगुल जानबूझ कर किया जाता है या नहीं।

(ख) चीनी अधिकारियों द्वारा काम में लायी जाने वाली कुछ आवृत्तियां या तो एक ही हैं या हमारी आवृत्तियों के निकट हैं।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का आगमन

†१६९५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक, प्रत्येक महीने में पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान से अलग अलग कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये ; और

(ख) उसी अवधि में कितने भारतीय अलग अलग पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३]**

चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१६९६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ शहर में कितनी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं;

(ख) क्या उन के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

शिक्षित बेरोजगार

†१६६७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में ३१ जुलाई, १९६१ को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में कितने मैट्रिक्यूलेट, कितने इंटरमीडियेट और कितने ग्रेजुएट बेरोजगार दर्ज थे ; और

(ख) उन में से प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). ३१ जुलाई, १९६१ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह तिमाही आधार पर इकट्ठी की जाती है।

श्रेणी	३० जून, १९६१ को चालू रजिस्टर पर संख्या	जनवरी जून, १९६१ को जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या
१	२	३
ग्रैजुएट	५०,६७०	८,६७०
इंटरमीडियेट	६९,७४०	८,३८२
मैट्रिक्यूलेट	४,४७,१३७	५१,५८७
कुल	५,६७,५४७	६८,६३९

पंजाब में कुटीर उद्योग

†१६६८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० और १९६०–६१ में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब राज्य को दी गयी वित्तीय सहायता का पूरा पूरा उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में किन किन उद्योगों का विकास किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शा)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†१६९९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में पंजाब राज्य के हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिए पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९४]**

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के विवरण में क्रमसंख्या १ से १४ में उल्लिखित योजनाएं चालू योजनाएं हैं जिन के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना ही मंजूरी दे सकती है। क्रम संख्या १७ और १९ में उल्लिखित योजनाऐं निबटायी जा चुकी हैं और बाकी चार योजनाओं पर अभी विचार हो रहा है।

दिल्ली के गांवों में रेडियो सेट

१७००. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ग्राम पंचायतों के बार-बार प्रार्थना करने पर भी गांवों में दिये गये रेडियो अभी तक उन्हें हस्तांतरित नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या इन पंचायतों को यह भी शिकायत है कि इन रेडियो सेटों का सार्वजनिक उपयोग नहीं हो रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं। रेडियो सेट लगाने के लिये पंचायतों से जितनी भी प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी पर गौर किया गया है और गांवों में पंचायतों द्वारा बताये गये स्थानों पर रेडियो सेट लगा दिये गये हैं।

(ख) ऐसी तमाम शिकायतों की सावधानी से छान-बीन की जाती है और शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाती है ।

रबड़ बागान उद्योग

†१७०१. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ बागान उद्योग के विकास के लिये मलाया से अधिक उपज देने वाली किस्म की क्लोनल बीजों (रबड़) का आयात करने के लिये मंजूरी मांगी है ;

(ख) क्या मंजूरी दे दी गई है : और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

केरल राजकीय विद्युत् बोर्ड के लिये टायर

†१७०२. **श्री मणियंगाडन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राजकीय बिजली बोर्ड के लिये प्रतिमास कितने टायरों की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या जितनी टायरों की आवश्यकता होती है उतनी दे दी जाती हैं ;

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केरल सरकार ने राजकीय बिजली बोर्ड को पर्याप्त मात्रा में टायर दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

†**निर्माण, आवास और सभंरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) से (घ). संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के पास केरल सरकार का या केरल राजकीय बिजली बोर्ड की ओर से कोई इंडैंट नहीं आया, जिस में बोर्ड की टायरों की मासिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया हो। महा-निदेशालय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बहुत से सीधे मांगने वाले अफसरों को टायरों का संभरण करने के लिये, जो दर संविदाओं के अनुसार माल लेना चाहते हैं, देश में टायर बनाने वाले समवायों के साथ वार्षिक दर संविदाएं कर लेता है। सीधे मांगने वाले अफसर टायर कंपनियों को सीधे संभरण आदि आर्डर दे कर टायरों की अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। संभरण तथा निपटान महानिदेशालय राज्य सरकारों को प्रत्येक संभव सहायता देगा जब कभी उस से टायरों के संभरण के लिये इंडैन्ट प्राप्त होगा।

बनियान-मौजों आदि का निर्यात

१७०३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हौजरी के सामान का निर्यात पिछले कुछ में वर्षों कम हो गया है ;

(ख) यदि हां तो किस मात्रा में यह निर्यात कम हुआ है और इसको बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ;

(ग) वर्ष १९४८ से १९६० तक होजरी के सामान के निर्यात के क्या आंकड़े हैं और किन किन देशों ने भारत से हौजरी का सामान लिया है ;

(घ) भारत सरकार अपने प्रतिरक्षा और पुलिस विभाग के लिये प्रतिवर्ष कितना होजरी का सामान खरीदती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) किन एजेंसियों द्वारा सरकार यह हौजरी का सामान ले रही है और इस में छोटे पैमाने के यूनिटों द्वारा कितना माल खरीदा गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) १९५८ के बाद से निर्यात में १० प्रतिशत के लगभग कमी हो गयी है। हौजरी के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें चला रही है। इन योजनाओं के अधीन हौजरी का सामान बनाने वालों और निर्यातकों को कुछ आधार भूत कच्चे माल और सहायक पदार्थों का आयात करने की अनुमति दी जाती है जिस से सामान की किस्म में सुधार किया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उन के मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक रह सकें।

(ग) भारत से हौजरी के निर्यात सम्बन्धी विश्वस्त आंकड़े १९५७ से आगे के ही उपलब्ध हैं। ये आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	मूल्य लाख रुपयों में
१९५७ . . .	९०.६
१९५८ . .	११०.६
१९५९ .	१०४.४
१९६०	९२.०

हौंजरी के सामान का निर्यात लगभग सभी जगहों को किया गया है।

(घ) १९५९–६० को छोड़ कर सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रति वर्ष २० लाख रुपये का यह सामान खरीदा है। १९५९–६० में यह लगभग ११.५ लाख रु० का खरीदा गया था।

(ङ) सामान की खरीद अधिकांश रूप से छोटे पैमाने के कारखानों से की जाती है किन्तु उनसे खरीदे गये माल के वास्तविक परिणाम के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

समुद्री खाद्य और मेंढक की टांगों का निर्यात

†१७०४. { **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य और मेंढक की टांगों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो इस से कितनी विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) भारत विभिन्न प्रकार के समुद्री खाद्यों का परम्परागत ढंग से निर्यात कर रहा है। तथापि हाल में मेंढक की जमाई हुई टांगों और प्रान मछलियों के निर्यात का महत्व बढ़ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) व्यापार के उतार चढ़ाव और उपभोक्ता देशों में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास की दृष्टि से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस मद से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाएगी । फिर भी दूसरी योजना के अन्त में ६ करोड़ रुपये से बढ़ा कर तीसरी योजना अवधि के अन्त तक १२ करोड़ वार्षिक मूल्य तक मछलियों का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किये जाएंगे ।

मेदिया सरकारी बस्ती

†१७०५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेदिया सरकारी बस्ती, २४ परगनों को भेजे गये विस्थापित लोगों को कोई स्वच्छता ऋण नहीं दिया गया था और उन के मकानों के प्लाट १० कोटा भूमि से कम थे ;

(ख) क्या इन को देने का विचार है ;

(ग) कितने नल कूप लगाये गये और अब चल रहे हैं ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा खतूरिया बोर्ड के ऊपर कितना पुल बनाया जाएगा और काम कब आरम्भ होगा ; और

(ङ) कुक्कुट पालन की योजना कितनी क्रियान्वित की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) मेदिया बस्ती ग्राम्य वस्ती है और वहां बसे हुए विस्थापित लोगों को स्वच्छ टट्टियां बनाने के लिये ऋण नहीं मिल सकता। विस्थापित लोगों ने भूमि मालिक से सीधे तौर पर ६ कोटा के प्लाट खरीदे परन्तु बाद में राज्य सरकार ने बसने वालों के हितों की दृष्टि से भूमि को अधिग्रहण कर लिया।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस बस्ती में ३० नल कूप लगाये गये हैं, जिन में से २७ चलते बताये जाते हैं।

(घ) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) मेदिया बस्ती के लिये कोई कुक्कट पालन योजना मंजूर नहीं की गई है। तथापि बतख विस्तार योजना १९५८ में मेदिया के समीप गोबरदंगा के लिये मंजूर की गई थी। चूंकि भूमि के अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों के कारण योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी, मंज़री रद्द कर दी गई थी।

राज्य सरकार ने हाल ही में संशोधित योजना बनाई है और शीघ्र ही नई मंज़ूरी जारी की जाने की आशा है।

पश्चिम बंगाल लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†१७०६. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ मार्च १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल लोक निर्माण विभाग से कितने कर्मचारी स्थानांतरित किये गये थे ;

(ख) वे किस वर्ष में स्थानान्तरित किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त किये जा चुके हैं ; और

(घ) सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को भी लाभ दिया जाएगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

अमरीका को भारतीय आप्रवासी[1]

†१७०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को भारतीय आप्रवासियों का वार्षिक अभ्यंश कितना है ;

(ख) क्या इसके बढ़ाये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो किस मात्रा तक ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अमरीका को भारतीय आप्रवासियों का वार्षिक अभ्यंश १०० है।

(ख) और (ग). हमें कोई सूचना नहीं है।

महाराष्ट्र में गोआ निवासी

१७०८. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में कितने गोआ निवासी रह रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : चूंकि भारत में गोआवासियों को जरूरी तौर पर रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये भारत में या अलग-अलग राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या के सही आंकड़े सुलभ नहीं हैं। फिर भी, यह अनुमान है कि गोआ, दमन और ड्यू से आए हुए लगभग २,५०,००० लोग भारत में रह रहे हैं और इनमें से लगभग ५० प्रतिशत बम्बई में हैं।

अल्कोहल के कारखाने

१७०९. **श्री डामर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किन राज्यों में अल्कोहल के कारखाने खोले जायेंगे ;

(ख) एकन्दरी में इन कारखानों के लिये कितनी धन राशि रखी गयी है ; और

(ग) क्या रतलाम के अल्कोहल के कारखाने में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अल्कोहल बनाने के लिये औद्योगिक कारखाने देश के विभिन्न भागों में शीरे, जो कि इसका आवश्यक कच्चा माल होता है, के कुल उपलब्ध परिमाण को ध्यान में रखते हुए स्थापित किये जायेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान

---

†मूल अंग्रेजी मे

[1]Immigrants.

कितने आसवन कारखाने स्थापित किये जायेंगे इसके बारे में कोई राज्य-वार अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ज्ञात हुआ है कि रतलाम के अल्कोहल कारखाने के लिये स्टोर्स, वर्कशाप और कल्याण कार्य की इमारतों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है और कारखाने की इमातर बनाने के लिये टेंडर मांगे गये हैं।

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बसाये गये शरणार्थी

१७१०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने शरणार्थी परिवारों को अभी तक बसाया नहीं गया; और

(ख) राजस्थान में शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये दिये गये, ऋणों पर ब्याज की दर क्या है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति काफी हद तक बसाये जा चुके हैं। जब तक प्रत्येक विस्थापित परिवार की संगणना नहीं हो जाये तब तक कोई भी स्पष्ट जानकारी देना असंभव है।

(ख) विभिन्न प्रकार के ऋण हैं जो कि भिन्न-भिन्न समय पर दिये गये थे। यदि जानकारी किसी विशेष प्रकार के ऋण के बारे में चाहिये तो वह दी जायेगी।

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावों का भुगतान

१७११. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थियों के दावों का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) कितनों को अभी भुगतान करना बाकी है ;

(ग) अब तक इस पर कितना धन व्यय हो चुका है ;

(घ) पुनर्वास मंत्रालय अपना काम कब तक करता रहेगा ;

(ङ) क्या सरकार अब भी नये दावे स्वीकार कर रही है ;

(च) पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थियों ने झूठे दावे पेश किये थे ; और

(छ) उन शरणार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जून, १९६१ तक पश्चिमी पाकिस्तान के ४.९३ लाख विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका था।

(ख) ९,६०४।

(ग) १५६.५६ करोड़ रुपये ।

(घ) पूर्वी तथा पश्चिमी जोनों की अवशिष्ट समस्याओं का निर्धारण किया जा रहा है और पुनर्वास मंत्रालय कब बन्द होगा, इस बारे में निर्णय उसके उपरांत ही किया जायेगा ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) १२११ (११८८ जमीन के बारे में और २३ शहरी जायदाद के प्रतिकर सम्बन्धी)

(छ) यह मामले पुलिस को दे दिये गये हैं। जमीन अलाटमेंट अफसर, जालन्धर को अनुदेश दिया गया है कि उस जमीन की अलाटमेंट को रद्द कर दिया जाये जो कि जाली दावों के आधार पर किये गये हों।

पाकिस्तान को बैलों का निर्यात

†१७१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत पाकिस्तान को पांच लाख रुपये की लागत के बैलों का निर्यात करना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). भारत-पाकिस्तान व्यापार करार १९६०–६२ के अन्तर्गत पाकिस्तान को ५ लाख रुपये की लागत के ढोरों का नर्यात करना होता है । इस में बैलों का निर्यात भी शामिल है ।

भारत में पशुओं का निर्यात, दोनों देशों के बीच विशष भुगतान करार के अंतर्गत भारतीय रुपयों में भुगतान के आधार पर राष्ट्रीय पशुधन समिति के द्वारा किया जाता है ।

पंचकुई रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के पानी के नल, आदि

†१७१३. **श्री राम गरीब** :
श्री बलराज मधोक :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुई रोड, नई दिल्ली में ब्लाक संख्या ८५ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों मे प्रत्येक तीस क्वार्टरों क लिये केवल एक नल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में अधिक नल लगाने का इरादा रखती है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्वार्टरों को गिराने का प्रस्ताव इस समय रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्वार्टरों में बिजली लगाने का इरादा रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) लगभग छत्तीस क्वार्टरों के लिये एक नल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). इन क्वार्टरों के लिये अधिक नल लगाने या इन में बिजली देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ये डी० आई० जैड० क्षेत्र के पुनः विकास कार्यक्रम के पहले प्रक्रम में आते हैं, जो विचाराधीन है।

इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड

†१७१४. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लि० पर कब्जा हो जाने के पश्चात्, टर्नर होर को इस का एजेंट नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कलकत्ता के गोदामों में २७,००० पंखे जमा हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) पंखों का निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मैसर्स टर्नर होर ऐंड कम्पनी लि० को, इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स, लि० के प्रबन्ध पर सरकारी कब्जा हो जाने के पश्चात्, इस कम्पनी के द्वारा बनाये गये बिजली के पखों के लिये भारत में मुख्य बिक्री अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है। इस करार से अधीन संभरण तथा निपटान महा निदेशालय के दर संविदाओं के अंतर्गत या इसके बाहर सरकार को और अन्य सार्वजनिक अभिकरणों को बेचना कम्पनी का उत्तरदायित्व है।

(ख) और (ग). ऐसे पंखों की संख्या २७,००० से कम है जिनका निपटान नहीं हुआ है। कुछ स्टाक जमा हो गये हैं क्योंकि विक्रय अभिकर्त्ता शीघ्र माल उठाने में असमर्थ रहे हैं और मांग में मौसम के कारण मन्दा भी था।

(घ) मैसर्स टर्नर होर ऐंड कम्पनी सीमित के साथ अभिकरण करार १ अगस्त, १६६१ से समाप्त कर दिया गया है और कम्पनी ने स्टाक को बेचने की दृष्टि से गैर-सरकारी व्यापारियों को सीधे-तौर पर पंखे बेचना शुरू कर दिया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी

†१७१५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा स्थापित उस उपसमिति ने, जिसे छोटे पैमाने की इकाइयों के लिये देश में नियंत्रित कच्चे माल की कमी की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, इस मामले में कोई अन्तरिम सुझाव पेश किया है ;

(ख) उप समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ; और

(ग) यदि इस बीच सरकार ने नियंत्रित कच्चे माल की कमी को पुरा करने के लिये कोई और कार्यवाही की है तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

(ख) आशा है कि उप समिति सितम्बर, १९६१ के मध्य तक छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड को अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ।

(ग) पहले जो कार्यवाही की गई है जिनका अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८५ के उत्तर में उल्लेख किया गया है उन के अतिरिक्त, चालू अवधि अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, १९६१ में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये तांबे और जस्ते का आवंटन बढ़ा दिया गया है। अक्तूबर १९६० से मार्च १९६१ तक की अवधि में आवंटित ८६७३ टन तांबे और ६०६० टन जस्ते से, छोटे पैमाने के उद्योगों को इस अवधि में ११८०० टन तांबा और १२०५० टन जस्ता आवंटित किया गया है ।

मद्रास के लिये सीमेंट

†१७१६. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी यूनिट, अर्थात् धुलुकापट्टी में मद्रास सीमेंट कम्पनी के द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने के बावजूद मद्रास राज्य में सीमेंट की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है ; और

(ग) कमी को पूरा करने और मूल्य नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों को सीमेंट का आवंटन कुल मांग तथा देश में अनुमानित उत्पादन तथा विभिन्न मांगों की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है और किसी विशिष्ट राज्य में उत्पादन तथा मांग के आधार पर नहीं । मद्रास को सीमेंट के आवंटन और मांग के बीच वर्तमान अन्तर ४१२३ टन प्रति मास है ।

देश की कुल कमी को पूरा करने के लिये, नई यूनिटों की स्थापना एवं वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार की कई योजनाएं ६१·७४ लाख टन वार्षिक अधिक क्षमता के लिये अनुमोदित की गई हैं। इस के अतिरिक्त, वर्तमान सीमेंट फैक्टरियों को उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये, सहायता दी जाती है । मद्रास में सीमेंट के खुदरा बिक्री मूल्य पर नियंत्रण मद्रास सीमेंट नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत है ।

पंजाब में भारत सेवक समाज

†१७१७. **श्री दलजीत सिंह : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक पंजाब में भारत सेवक समाज को कितनी राशि दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में किये गये काम का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) १९६१ में अब तक, पंजाब के लिये विशेष रूप से नियत आधार पर भारत सेवक समाज को योजना आयोग ने कोई अनुदान नहीं दिया है। आयोग लोक कार्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय भारत सेवक समाज को अनुदान दे रहा है। इन में से पंजाब में १०,५०० रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ख) कोई सही सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में चाय बागान

†१७१८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में पंजाब के पालमपुर में कितने एकड़ भूमि में चाय बागान थे ;

(ख) क्या पिछली वर्ष की अपेक्षा इस में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ८०६९ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

†१७१९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में कितनी वसूली हुई है ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक सहायता कार्य के लिये कितनी कितनी राशि दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में ८,५५,३२७ रुपये ५३ नये पैसे की वसूली हुई है ।

(ख) निधि में से उक्त अवधि में दी गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९५]**

पंजाब में कार्य तथा अनुस्थितिज्ञान केन्द्र[1]

†१७२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने कार्य एवं अनुस्थितिज्ञान केन्द्र हैं ; और

(ख) क्या १९६१-६२ में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Works and orientation centres.

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) तीन, लुधियाना, रोहतक और पटियाला में ।

(ख) जी नहीं ।

पंजाब में कर्मकारों के लिये शिक्षा केन्द्र

†१७२१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में पंजाब में कर्मकारों के शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) यदि माननीय सदस्य प्रादेशिक कर्मकार शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं तो उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

पंजाब में विस्थापित लोगों के लिये शिक्षा

†१७२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ में अब तक पंजाब में विस्थापित लोगों के लिये सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में पंजाब में किसी शिक्षा संस्था को अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया ।

सिलिमेनाइट का निर्यात

†१७२३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में मांग की है कि सिलिमेनाइट अयस्क के निर्यात को बढ़ाया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा मार्च १९६१ में आयोजित निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद् की बैठक के विचारार्थ सुझाव दिये गये थे ।

(ख) हमारी औद्योगिक आवश्यकताओं तथा इन के रक्षित भंडारों की दृष्टि से सिलिमेनाइट के निर्यात की निर्बन्धित नीति करने की आवश्यकता हुई है । तथापि, १९६१ के लिये ५००० टन के सामान्य अभ्यंश के अतिरिक्त, पक्के वचनों को पूरा करने के लिये, तदर्थ अभ्यंश दिये गये हैं । अतः सिलिमेनाइट के निर्यात का लक्ष्य १९६१ के लिये १०,००० टन है, यह १९५४ से सिलिमेनाइट का अधिकतम निर्यात है । इसलिये वर्तमान निर्बन्धनों से सिलिमेनाइट के निर्यात में बाधा नहीं पड़ती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फैरोमैंगनीज का निर्यात

†१७२४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में शिकायत की है कि फैरोमैंगनीज का निर्यात विदेशी बाजारों से समाप्त किया जा रहा था क्योंकि मूल्य अधिक थे और इस वस्तु के निर्यात के संवर्धन के लिये सरकार को कुछ सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो संघ ने क्या सुझाव दिये थे ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). रेलवे भाड़ा दर में कमी तथा सस्ती बिजली के संभरण के बारे में निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद् की पिछली बैठक में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे ।

(ग) निर्यात संवर्धन की दृष्टि से अपेक्षित सहायता को आंकने के लिये, फैरोमैंगनीज के उत्पादकों को प्रार्थना की गई है कि वे उत्पादन लागत आदि संबंधी सूचना दें, ताकि समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ साथ समस्या का विश्लेषण किया जा सके ।

स्थगन प्रस्ताव

कथित गुप्तचर की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री वाजपेयी और श्री हेम बरुआ से दो स्थगन प्रस्तावों की एक ही विषय पर सूचना मिली है । श्रीमती इला पालचौधरी और श्रीमती मैमूना सुल्तान ने भी मुझे इसी विषय पर अत्यावश्यकीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना प्रस्ताव की सूचना दी है । स्थगन प्रस्ताव का विषय इस प्रकार है :

> "गुप्तचरों के एक ऐसे खतरनाक गिरोह का पता लगना, जो कि सेना से सम्पर्क बनाये रखता था जिसका एक सदस्य १७ अगस्त को बरेली में कुछ कागज पत्रों सहित पकड़ा गया जिससे यह प्रगट होता था कि वह काश्मीर में विस्फोटक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क में था ।"

अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय पर स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं सभा के सम्मुख उपलब्ध जानकारी रखता हूं । हमारी जानकारी के अनुसार इसका संबंध जासूसी या विदेशों से नहीं है । यद्यपि हम इस बात को निश्चय से नहीं कह सकते हैं, तथापि जानकारी यह है कि वह एक पक्का बदमाश है कई बार ठगी और तस्कर व्यापार के संबंध

†मूल अंग्रेजी में।

में जेल जा चुका है, तथा एक समय वह किसी सैनिक अधिकारी का चपरासी था और इस प्रकार उसने कुछ वर्दियां और कार्ड हासिल कर लिये थे। अधिकांश वह अधिकारी बन कर सैनिकों से कुछ रुपये वसूल किया करता था। यह इस सम्बन्ध में हमारी आरम्भिक जानकारी है।

उसने अपने संबंध में पुलिस को जो बयान दिया है वह इस प्रकार है। उसने कहा है कि उसके पिता रायल गढ़वाल राइफल्स में हवलदार थे जो १९४७ में रिटायर हुए। १९४९ में वह आरमी हैड क्वार्टर में मेसैंजर के पद पर नियुक्त हुआ तथा १९५१ तक जनरल करिअप्पा के चपरासी के पद पर काम किया। १९५१ में उसे नौकरी से हटा दिया गया तथापि जनरल करिअप्पा की सिफारिश पर उसे कर्नल पौर ने लैंसडाउन में पुनः भरती कर लिया। ६ महीने के प्रशिक्षण के पश्चात् उसे एम टी सेक्शन मेरठ में पुनः नियुक्त किया गया। तदुपरांत उसकी बदली फीरोजपुर और वहां से झांसी हो गयी। १९५६ में वह नौकरी से हटा दिया गया। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो १९५७ से उसने तस्कर व्यापार करना शुरू किया। अफीम का तस्कर व्यापार करने के सिलसिले में वह सहारनपुर में पकड़ा गया और उसे एक साल की कड़ी कैद हुई। पुनः धारा १७१, भारतीय दंड संहिता, के अधीन वह लैंसडाउन में भी पकड़ा गया तथा उसे थोड़े समय की कैद हुई। कैद से छूटने पर वह १९६१ में धनपुर, जिला बिजनौर में पकड़ा गया। जून १९६१ में वह भारतीय दंड संहिता की धारा ४६८ के अधीन दिल्ली में पकड़ा गया तथापि छोड़ दिया गया। एक सैनिक अधिकारी के रूप में वह इन इलाकों में सैनिक कर्मचारियों से रुपये ऐंठता रहा है। उसके पास से फाइन आर्ट्स प्रैस, हीवेट रोड, लखनऊ, से छपे हुए परिचय पत्र प्राप्त हुए हैं। जुलाई में वह कोटा बूंदी के रामशंकर के सम्पर्क में आया तथा उसके कार्यों में सहायता करता रहा। उसके पास प्राप्त हुए कागज पत्रों में से एक कागज पर उसने रणवीर सिह सहगल के मामले का व्यौरा लिखा है, उसने यह कहा है कि उसने ट्रिब्यून से इसकी नकल की है।

ऐसा लगता है कि वह छद्म रूप धारण कर लोगों को धोखा देता रहा है। उसका पाकिस्तान से कुछ सम्बन्ध ही नहीं और वह जेल में रहा है यह बात भी बिलकुल गलत है। अन्य देशों के बारे में भी कुछ ऐसा ही है परन्तु फिर भी हम जांच कर रहे हैं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या प्रधान मंत्री बतायेंगे कि प्रधान मंत्री की इस जानकारी का साधन क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम ने यह जानकारी प्रतिरक्षा विभाग तथा केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग से प्राप्त की है। हमने बरेली में टेलीफोन किया था परन्तु वहां से कुछ कुछ पता नहीं चला था।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : प्रधान मंत्री का कहना ठीक हो सकता है, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि इस व्यक्ति के पीछे दल है और वह सारे देश में फैला हुआ है और ये लोग राष्ट्र विरोधी कार्य करते रहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने सारी जनकारी प्रातः सदन को बता दी थी। हमने जो जानकारी प्राप्त की वह अधिकतर केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग और प्रतिरक्षा विभाग से प्राप्त हुई थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार और बरेली से भी जानकारी प्राप्त करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यत्न कर रहे हैं । बरेली के जिला अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी । हम इस बारे में और भी जांच कर रहे हैं और जल्दी से हमें कोई परिणाम नहीं निकालना चाहिए और दिशा में कोई महत्वपूर्ण तथ्य मालूम हुआ उसे सदन के समक्ष जानकारी के लिए रख दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक अखबारी रिपोर्ट के आधार पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । प्रधान मंत्री महोदय ने सम्बद्ध जानकारी दे दी है अतः इस सम्बन्त में और कुछ भी अपेक्षित नहीं । मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(क) मशीन टूल टैक्नोलोजी और डिजाइन इंस्टीच्यूट की स्थापना पर विचार करने वाली समिति का प्रतिवेदन

(ख) दिनांक ९ अगस्त, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या १९(१)।६१ इंग प्रो० जिसमें उपरोक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय दिया गया है। (अंग्रजी और हिन्दी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३११४/६१]

(ग) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७४ में प्रकाशित नमक (रक्षित स्टाक) संशोधन आदेश, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३११५/६१]

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३११६/६१]

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३११७/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत निकाली गई उक्त अधिनियम को कतिपय श्रेणियों के प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१३। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३११८/६१।]**

(चार) २८ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रमिक समिति के उन्नीसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३११९/६१।]**

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार २१ अगस्त, १९६१ को आरंभ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा:—

१. प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर तीसरी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा

२. आज के आर्डर पेपर से शेष अंश-चर्चित मद पर विचार

३. प्रसूतिलाभ विधेयक, १९६०, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित किया जाना

४. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर चर्चा तथा उसको पारित किया जाना

५. अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६१–६२ पर चर्चा तथा मतदान।

शिशिक्षु विधेयक

†श्रम, रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय में शिशिक्षुओं के प्रतिक्षण को विनियमित तथा नियंत्रित करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय?।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि व्यवसाय में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित तथा नियंत्रित करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री नन्दा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—**जारी**

†अध्यक्ष महोदय : अब सदन १८ अगस्त १९६१ को सरदार हुक्म सिंह द्वारा प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

किये गये लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा :—

"कि बम्बई के ब्लिट्ज के सम्पादक श्री आर० के० करंजिया इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर, अध्यक्ष महोदय द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और समय को सभा में उपस्थित हों।"

†**सरदार हुक्म सिंह** (भंटिडा) : समिति के सदस्यों का विचार यही था कि इस मामले में एकमत से ही निर्णय किया जाय। कल मेरा यही विचार था कि एकमत से निर्णय किया जायेगा और सभा मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेगी। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि ऐसा नहीं हो सका। इसके विपरीत स्थिति यह है कि श्री करंजिया को सभा में उपस्थित होने के बारे में कहने पर भी सदस्यों के विभिन्न मत हैं। इस बात को देखते हुए मैं अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे और कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त जिस बात ने मुझे प्रभावित किया है यह 'ब्लिट्ज' का नवीनतम अंक है। उस अंक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री करंजिया ने नियमित रूप से धर्मयुद्ध आरंभ कर रखा है। और वह इस स्थिति का लाभ उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। वे हीरो बनने का यत्न कर रहे हैं और उन्हें सभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया तो पूरा हंगामा खड़ा करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सारी स्थिति सदन के समक्ष रखी है। वह चाहते हैं कि इस पर एकमत से निर्णय किया जाय।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मेरा मत यह है कि हमने इस बारे में कुछ प्रश्न पूछे और कुछ स्पष्टीकरण चाहा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह अनुमान लगा लिया कि हम इस मामले में एकमत नहीं चाहते। एकमत होने के लिए भी चर्चा करना कोई बुरा नहीं है। यदि वह अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं तो ले लें, परन्तु यह कह कर वापिस लेना कि सदन एकमत नहीं होना चाहता, हमारे ऊपर छींटे डालने वाली बात है। मैं अपने दल की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे और कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहते थे परन्तु इस प्रश्न पर एकमत होने की परम्परा को हम कायम रखना चाहते हैं।

†**श्री तंगामणि** (मदुराई) : श्रीमान् जी, अब तो यह प्रस्ताव नियमित रूप से सदन के सामने है। श्री भरूचा का संशोधन भी है और इस पर अब चर्चा होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : श्री तंगामणि का प्रस्ताव है कि उनके प्रस्ताव पर पहले चर्चा की जाये और वह यह कि सदन समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं। और श्री करंजिया को सदन के समक्ष न बुलाया जाये। इससे मुझे यह ही लगता है कि मेरे प्रस्ताव का विरोध हो रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रस्ताव के लिए आधा घंटे का समय निर्धारित करता हूं ताकि माननीय सदस्य यह बतायें कि श्री करंजिया को यहां बुलाया जाये अथवा नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए।

†**श्री राम सुभग सिंह** (सहसराम) : उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव वापिस लेने का कोई कारण नहीं बताया।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं प्रस्ताव वापिस लेने अथवा न लेने की बात नहीं कर रहा, मेरे दिमाग में कुछ और ही आया है। मैं इस मामले में कुछ स्पष्ट भी नहीं हूं। विशेषाधिकार समिति को यह काम सौंपा गया, उसका प्रतिवेदन आया और यह तय हुआ कि यह विशेषाधिकार का मामला है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किया जाये। समिति का प्रतिवदन तो हमें स्वीकार है। परन्तु मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न न भी हो तो भी यह अश्लीलता की बात तो है ही और इस प्रकार की अश्लीलता प्रायः प्रकट होती देखी जाती है। जो कुछ करंजिया साहब ने लिखा वह अब आचार्या कृपालानी का व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। सारे सदन का प्रश्न है और बड़े महत्व की बात है। जो कुछ पहले पहिल कहा गया अथवा लिखा गया, हो सकता है कुछ जोश के क्षणों में आदतन ऐसा हो गया हो परन्तु अब जब कि मामला सदन के सामने है तो बात थोड़ा शांतिप्रिय ढंग से होनी चाहिए। परन्तु हमारी इस बात का जिस हद तक उत्तर मिला वह हमारे सामने है और ब्लिट्स का ताजा अंक हमारे सामने है। अब प्रश्न यह होता है कि इन हाल ही की बातों को हम मूल बात से अलग कर सकते हैं? अतः मेरा कहना है कि विशेषाधिकार समिति को पुनः इस पर विचार करना चाहिए और सब बातों को समक्ष रख कर अपनी सिफारिश करनी चाहिए। ऐसा न हुआ तो हमारा विचार करना केवल मूल बात तक ही सीमित रह जायेगा। यद्यपि उससे बाकी बातें भी काफी महत्व की है। यदि हमने दोनों बातों को अलग अलग कर दिया तो बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जायेगी।

†**सरदार हुकम सिंह :** जो कुछ मेरे मन में है उसे मैं बताता हूं। जो कुछ 'ब्लिट्स' के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है उसका मेरे मन पर प्रभाव हुआ है और मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि यदि उन्हें यहां बुलाया गया तो वह इसका अनुचित लाभ उठायेंगे और हीरो बनने का यत्न करेंगे। अतः मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वास्तविकता यह है कि यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ, अतः उसके वापिस लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नियम यह है कि यदि किसी प्रस्ताव को वापिस लेने के बारे में आपत्ति हो तो उसे सीधा मतदान के लिए सदन के समक्ष रखा जाता है। प्रश्न यह है :

> "कि बम्बई के ब्लिट्ज के सम्पादक, श्री आर० के० करंजिया, इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर, अध्यक्ष महोदय द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और समय को सभा में उपस्थित हों।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगला प्रस्ताव लेंगे। नियम ३१५ के उपनियम (३) के अन्तर्गत प्रतिवेदन से सहमति अथवा असहमति के कुछ प्रस्ताव हैं। पहले डा० राम सुभग सिंह अपना प्रस्ताव रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमान्, जी मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो ११ अगस्त, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

मैं इस विचार का कदापि नहीं हूं कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाय। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को देश और संविधान में पूर्णरूप से मान्यता दी गयी है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अत्याचार से बचाव की एक ढाल है और जनमत जागृत करनेका एक सफल साधन। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि उन्हें स्वेच्छाचारी होने का भी अधिकार प्राप्त है, उनको यह भी अनुमति प्राप्त है कि वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें और सनसनी फैलायें। कदापि नहीं। किसी समाचार पत्र को गालियां निकालने तथा झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। 'ब्लिट्ज' ने अपने लेख में आचार्य कृपालानी के लिये बहुत ही भद्दे और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। और ऐसा करके अत्यन्त अनुत्तरदायी व्यवहार किया है।

इसके अतिरिक्त वक्तव्य में, यह कह कर कि "हमारी संसद् सर्वोच्च नहीं है" न केवल लोक-सभा के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्वरूप का मजाक उड़ाया गया है, बल्कि संसद् के सदस्यों और संविधान के निर्माताओं पर आक्षेप किया गया है। सारे वक्तव्य में केवल एक ही प्रकार की बात की गई है और वह यह है कि लोक-सभा, इसके सदस्यों, विशेषाधिकार समिति और अध्यक्ष की हंसी उड़ाई जाये और इसके लिये उसने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है।

ब्लिट्ज के सम्पादक ने पत्रकारिता के व्यवसाय के बारे में महात्माजी और लोकमान्य तिलक का हवाला दिया है और कहा है कि अच्छा पत्रकार अपनी निजी कठिनाई को ध्यान में न रखते हुये सच बोलने से नहीं हिचकचाता। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि इस पत्र ने कभी सचाई का रास्ता नहीं अपनाया।

विशेषाधिकार समिति ने जो निर्णय किया है वह बिल्कुल ठीक है और इस प्रकार का निर्णय देकर समिति के सदस्यों ने राष्ट्र की और पत्रकारिता व्यवसाय की बहुत सेवा की है।

समिति ने अपनी सिफारिशें प्रकाशित समाचार और ब्लिट्ज के सम्पादक के लिखित वक्तव्य पर पूरा विचार करने के बाद की हैं और ये अच्छी सिफारिशें हैं। जिन लोगों की स्वतंत्रता में आस्था है और जो इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं, उन्हें समिति के निर्णय का स्वागत करना चाहिये। इसलिये मैं समिति की सिफारिशों का समर्थन करता हूं। समिति की सिफारिशें न केवल न्यायपूर्ण हैं बल्कि इन के फलस्वरूप सस्ती पत्रकारिता भी जो कि सनसनी पैदा करने वाले और आक्षेप करने वाले लेखों पर पनपती है, कुछ हद तक समाप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव, प्रस्तुत हुआ।

श्री तंगामणि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है।"

नई दिल्ली स्थित विशेष संवाददाता के बारे में समिति की सिफारिशें नियमबाह्य हैं क्योंकि इस प्रकार का अपराध करने वाले लोगों के लिये ऐसा दंड किसी भी कानून में विहित नहीं है।

---

†मल अंग्रेजी में

किसी संवाददाता का पास उससे छीना नहीं जा सकता। पास वापस लेने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है ।

विशेषाधिकार समिति ने जल्दबाजी से कुछेक बातों के बारे में प्रतिकूल राय कायम कर ली है। अन्यथा वह इस तरह का दंड देने की सिफारिश न करती।

इस देश में संसद् या राज्य-सभा अपील का उच्चतम न्यायालय नहीं है। यहां पर पारित किया गया कोई भी विधान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के सामने जो प्रश्न है, वह सरल है । समिति ने मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया है कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या वास्तव में उल्लंघन हुआ है या नहीं ? यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि अनुच्छेद १०५ अनुच्छेद १९ के अधीन है, तो ऐसा कह सकते हैं, किन्तु वह इससे से आगे नहीं जा सकते।

श्री तंगामणि : प्रश्न यह है कि समाचारपत्रों से संबंधित विशेषाधिकार की विधि क्या है। इसके अन्तर्गत किस हद तक हम किसी समाचारपत्र को दोषी ठहरा सकते हैं।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : निर्णय इस बात का किया जाना था कि क्या जायज स्वतंत्रता का, जो कि साधारण को और समाचारपत्र वाले दोनों को प्राप्त है उल्लंघन हुआ है या नहीं। विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि उल्लंघन हुआ है। इस लिये अनुच्छेद १९ का लागू होना या न होना असंगत बात है ।

सभा के विशेषाधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण उनके स्वरूप के बारे में कई लोगों को वास्तव में सन्देह है । उच्च न्यायालयों, प्रेस आयोग और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस बात से उत्पन्न हुई कठिनाइयों का उल्लेख किया है । मेरे विचार में इस संवैधानिक मामले को भी अन्य मामलों की तरह उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करना चाहिये ।

समिति के सामने केवल विशेषज्ञों को ही साक्ष्य देने के लिए बुलाना चाहिये ।

समिति ने इस मामले पर पक्षपात की दृष्टि से विचार किया है । इस लिये मैं उसकी क्रियात्मक सिफारिशों से अर्थात् पत्रिका के सम्पादक को भर्त्सना द्वारा दंड दिया जाये और संवाददाता का पास वापस ले लिया जाये सहमत नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं अपने मोशन को हाउस के सामने पेश करता हूं जो कि इस प्रकार है :—

> "कि यह सभा ब्लिट्ज के नई दिल्ली के संवाददाता के बारे में, विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में, जो ११ अगस्त को सदन में पेश किया गया था, दी गई सिफारिशों से असहमत है ।"

यह मेरा मोशन है। वह रूल ३१५ के सब रूल ३ के मातहत है और जब मैं उसको पेश कर रहा हूं तो उसके संबंध में कुछ दलीलें पेश करना चाहता हूं ।

जहां तक १५ अप्रैल के ब्लिट्ज में जो कुछ छपा, उसका प्रश्न है और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का जहां तक संबंध है, मैं समझता हूं कि जो कुछ हमारा कानून इस वक्त है उसके होते

[श्री ब्रजराज सिंह]

हुये इसके अतिरिक्त और किसी निश्चय पर वह नहीं पहुंच सकती थी। यह दूसरी बात है कि हमारा जो विशेषाधिकार के संबंध में कानून है उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाय। आर्टिकल १०५ में कहा गया है कि यह संसद् अपने विशेषाधिकारों के संबंध में एक कानून बनायेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक संसद् ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया और ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में जो विशेपाधिकार के कानून हैं, उन्हीं परम्पराओं की हम नकल करते हैं। अच्छा होता कि इस बीच में संसद् ने इस तरह का कोई कानून बनाया होता। अब भी अच्छा होगा कि सरकार इस पर विचार करे और निकट भविष्य में कोई इस तरह का कानून लाये जोकि सदन के और मेम्बरों के विशेषाधिकार के संबंध में हो और वह कानून देश की जनता की राय जानने के बाद यहां पास किया जाय। लेकिन इस बारे में मेरे दिमाग मे कोई शंका नहीं है कि जैसा वर्तमान कानून हमारा है उसके रहते हुये ब्लिट्ज में आचार्य कृपालानी के भाषण के संबंध में जो कुछ छपा वह अपमानजनक था और वह नहीं छपना चाहिये था और उसके रहते हुये जो प्रिविलेजेज कमेटी की सिफारिश है वह वही होनी चाहिये जोकि उसने की है और इसके अलावा दूसरी और कोई हो नहीं सकती थी।

लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। हम दो आदमियों को एक अपराध के लिये सजा देने जा रहे हैं। आखिर एक तो एडिटर है जो उसके लिये पूरी जिम्मेदारी लेता है और जब मैं उसके सम्बन्ध में कहता हूं तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि जब अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने अपने कल के प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत चाही, तो मैं सबसे पहला आदमी था जो कि चाहता था कि वह वापिस लिया जाय। मैं नहीं चाहता कि गैर बराबरी के आधार पर सदन में कोई बर्ताव हो। आखिर करंजिया साहब हों या किसी अन्य पत्र के एडिटर साहब हों, सदन के सम्मुख आकर कोई नाटक रचना चाहें तो मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं। यह साफ होना चाहिये कि हम जिसे सजा देने जा रहे हैं उनकी अपनी हैसियत क्या है? अब यह कह कर कि उसकी अपनी हैसियत क्या है, किसी की हैसियत को मैं कम नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि संसद् का अपना एक महत्व है और संसद् का वह महत्व संसद् की अपनी कार्यवाहियों से प्रकट होना चाहिये। अब हमारे द्वारा कोई इस तरह की परम्परा कायम करना कि हम सदन के समक्ष किसी एडिटर को अथवा किसी पत्र के संवाददाता को बुला कर उसे यह अधिकार दें कि वह हमारे सामने अपनी बात रक्खे ऐसा करके हम भविष्य के लिये एक बुरी परम्परा रक्खेंगे। अनेक लोग हिन्दुस्तान में ऐसे हो सकते हैं जो कि चाहेंगे कि बिना सदन का मेम्बर हुये उन्हें संसद् में उपस्थित होने और अपनी बात कहने का अधिकार मिल जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारा एक दृष्टिकोण निश्चित होना चाहिये कि हम किसी को अतिरिक्त महत्व देने के लिये तैयार नहीं हैं।

मैं जानता हूं और खास कर ब्लिट्ज जैसे अखबार के बारे में तो मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि वह इस तरह की बातें छापता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ब्लिट्ज अखबार को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों से सहयोग मिलता है। आखिर इस बात का क्या कारण है कि वह पत्र प्रधान मंत्री महोदय की, चीफ़ मिनिस्टर, श्री चह्वान की, चीफ मिनिस्टर, श्री सुखाडिया की प्रशंसा करता रहता है? उस के आधार पर उस को बड़े बड़े विज्ञापन और एडवरटाइज़मेंट दिये जाते हैं, जिस का अर्थ यह है कि सरकारी ख़र्च पर वह अख़बार चलता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस अखबार को चलाने में और उस को मज़बूत बनाने में हिन्दुस्तान की सरकार ज़िम्मेदार है। सरकार की सहायता और प्रोत्साहन पाकर फिर वह पत्र यह दावा करता है कि वह इस

देश के नागरिकों के विशेषाधिकारों की रक्षा कर रहा है। मैं उन आदमियों में से हूं, जो कि यह समझते हैं कि नागरिकों के विशेषाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये।

जहां तक इस केस का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक अपराध के लिये दो व्यक्तियों को सज़ा नहीं देनी चाहिये, जब कि एक व्यक्ति सिर्फ संदेश-वाहक है, जो अपनी बात को अपने मालिक, एडीटर, तक पहुंचाना चाहता है। इस केस में क्या हुआ? **ब्लिट्स** के संवाददाता ने यहां पर जो कुछ देखा, या जो कुछ उस की राय रही, उसको उसने अपने पत्र के पास भेज दिया। मैं मानता हूं कि प्रिविलेजिज़ कमेटी ने चाहा कि वह ब्लिट्ज़ के सम्पादक को भेजे गये अपने डिस्पैच को कमेटी के सामने रखे और संवाददाता ने यह दलील दी कि यह उसका विशेषाधिकार है कि उस ने सम्पादक को जो कुछ भेजा है, उसके बारे में उससे कुछ पूछना नहीं चाहिये और उस पर इस बात का ज़ोर नहीं डालना चाहिये कि वह उसको कमेटी या दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने पेश करे। अध्यक्ष महोदय, आप एक वकील होने के नाते जानते हैं कि जब कभी कोई अपराधी अपराध करता है, तो वह लाइयर के सामने, वकील के सामने अपराध के सम्बन्ध में पूरी बात कह देता है, लेकिन किसी जज या किसी अदालत के द्वारा कभी भी उस पर यह दबाव नहीं डाला जाता कि जो बात-चीत उन दोनों के बीच में हुई, वह अदालत के सामने रखी जाये, क्योंकि वह वकील का विशेषाधिकार है। इसी प्रकार संवाददाता का भी विशेषाधिकार होना चाहिये कि वह एडीटर को क्या कहता है, क्या भेजता है, उसको वह दुनिया के किसी भी आदमी, प्रिविलेजिज़ कमेटी या इस सदन को न बताये, जब कि एडीटर इस बारे में पूरी ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार हो कि उसको सज़ा दी जाये और चूंकि संवाददाता मेरा एम्पलाई है, मेरे लिये संवाद एकत्रित करता है, इसलिये उसको सज़ा न दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सत्य नहीं है कि इस मामले में संवाददाता का नाम दिया गया है? कुछ मामलों में यह नहीं होता।

एक बात और भी है और वह यह कि श्री राघवन सदन के लिये ब्लिट्ज का अधिकृत संवाददाता नहीं है।

श्री ब्रज राज सिंह : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। वह आप के और संवाददाता के बीच की चीज़ है। आपने किस संवाददाता को किस अखबार का विशेष प्रतिनिधि माना हुआ है, यह मैं नहीं जानता। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है, वह तो आपके और संवाददाता के बीच का मामला है। लेकिन यहां पर मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहता हूं कि चूंकि इस विशेष संवाददाता का नाम छपता है इसलिये उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी संवाददाता का नाम छपता है, या नहीं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो अखबार की तफ़सील की बात है कि वह यह दिखाये कि उसका विशेष प्रतिनिधि है या नहीं है। जनता का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, दूसरे लोगों का इससे सम्बन्ध नहीं है। अखबार में जो छपता है, वह अखबार के सम्पादक और संवाददाता का आपस का मामला है। यह तो उनके आपसी सम्बन्ध की बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यदि संवाददाता सम्पादक को विश्वास में लेता है, अपना नाम नहीं बताना चाहता या इसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता, तो यह और बात है। किन्तु इस मामले में उनका नाम छपा है और वह इसका पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं।

श्री ब्रज राज सिंह : यह तो आप ने बीच में कुछ कहा है। मैंने अभी कहां कहा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने जो दृष्टिकोण पेश किया है, मैं उससे विभिन्न दृष्टिकोण रखता हूं और वह यह है कि किसी कारेसपांडेंट का, किसी संवाददाता का, नाम छपता है या नहीं, इससे उसकी ज़िम्मेदारी पर कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका नाम छपे या नहीं, उसका उत्तरदायित्व संवाद के इकट्ठा करने में ज़रूर रहेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अख़बार जो कुछ छाप रहा है, वह सिर्फ संवाद मात्र नहीं है; वे उसके अपने विचार भी हैं। संवाददाता तो संवाद इकट्ठा कर के भेजता है और सम्पादक उस पर राजनैतिक, पोलीटिकल कमेंट्री लगा देता है। १५ अप्रैल के इस पर्टिकुलर इश्यू में तो आचार्य कृपालानी के बारे में जो कुछ छपा है, वह संवाद न हो कर ज्यादातर राजनैतिक कमेंट्री ही है। इसलिये कमेंट्री सम्पादक की ज़िम्मेदारी हो सकती है या कारेसपांडेंट की, इस बारे में साफ़ तौर से एक निश्चय करने की ज़रूरत है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर हम यह देखेंगे या नहीं कि अपने कानून के मुताबिक हम किस को सज़ा दे रहे हैं और किसी को सज़ा देते समय हम अपनी हैसियत को देखेंगे या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद् का अपना एक महत्व है। किसी छोटे संवाददाता को सज़ा देकर या किसी और आदमी को सज़ा दे कर उस का महत्व कम हो जाये, ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिये। एक कहावत है कि राजा के प्रति गली में कौन क्या कहता रहता है, कुत्ते क्या भौंकते रहते हैं, वह इस की फ़िक्र नहीं करता है। वह तो अपने दृष्टिकोण और नीति को साफ़ रखता है। कुत्ते क्या भौंकते रहते हैं, उस ओर वह ध्यान नहीं देता है और उसके अनुसार वह अपना दृष्टिकोण नहीं बनाता है। इसलिये उचित यह है कि छोटी छोटी बातों पर हम छुई मुई न बनें।

काज़ी मतीन (गिरिडीह) : कुत्ता जब पगला हो जाता है, तो उसका कुछ इलाज करना ज़रूरी हो जाता है।

श्री ब्रजराज सिंह : जब वह पागल हो जाता है, तो वह स्वयं ही खत्म हो जाता है, मर जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक अलग तरह का सवाल उठा रहा हूं। हमारा जो महत्व है, उसको हमें कम नहीं करना चाहिये।

फिर एक बात और है। जो सज़ा संवाददाता को दी गई है, उसको आप देखें। उसको यह सज़ा दी जा रही है कि उसका गैलरी का पास ख़त्म कर दिया जायगा और उसका सैंट्रल हाल का पास भी ख़त्म कर दिया जायगा। मैं नहीं जानता कि क्या यह विशेषाधिकार संसद् का है। मैं चाहूंगा कि इस पर संसद् का अधिकार रहे, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था है, वह यह है कि वह सब काम सिर्फ़ आप करते हैं और संसद् का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो यह विचार रखते हैं कि इस काम के लिये संसद् की एक कमेटी हो, जो यह देखे कि किस संवाददाता को पास देना चाहिये और वह इस बारे में नियम बनाये। दुर्भाग्य से अभी तक इस बारे में कोई नियम नहीं है। इसलिये यह संसद् के विशेषाधिकार की बात न होते हुये आप के विशेषाधिकार की बात है और संवाददाता को सज़ा संसद् से नहीं, आप से दी जा रही है।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा छुई मुई न होना चाहिये। यह मानते हुये कि जो शब्द लिखे गये हैं, वे अपमानजनक हैं, बहुत बुरे शब्द हैं और इस तरह के शब्द नहीं लिखने चाहिये थे, हम इस तरह की सज़ा देने के बजाये दूसरा तरीका अपना सकते हैं। वह तरीका यह है कि हम देश में जनमत को संगठित करें, जो यह देखे कि इस तरह के अखबारों का सर्कुलेशन कम हो, उनको लोग कम पढ़ें, वे इनको देखें और समझें कि उनका महत्व क्या है और उनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, कानूनी दृष्टि से किसी को सज़ा देने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। इस मसले पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जहां तक सज़ा देने का सवाल है, एक व्यक्ति को सज़ा दें और निश्चित रूप से हम कभी भी एडीटर को मौका न दें कि वह आकर हमारे सामने कुछ बातें कहें। प्रिवेलेजिज़ कमेटी ने मौका दिया था, लेकिन वह उसके सामने नहीं आए। अब सदन को यह नहीं कहना चाहिये कि वह आकर इसके सामने अपनी व्याख्या करें, भाषण दें। यह एक अनुचित बात होगी अबके लिये भी और भविष्य के लिये भी।

मैं एक बात और कह कर समाप्त कर दूंगा। जब कभी भी सदन के विशेषाधिकार-भंग का सवाल उठे, उसको मैं चाहता हूं कि बार बार यहां नहीं लाया जाना चाहिये, मेम्बरों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में भी बार बार यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये। दस पांच साल में कहीं एक आध बार उठता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार नहीं उठना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा हो तो यह उचित होगा और तभी हमारे विशेषाधिकारों की रक्षा हो सकेगी। वैसे मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं कि एक नई बिरादरी सदन के मेम्बरों की न हो इन विशेषाधिकारों के बारे में। साधारण नागरिकों की तरह हम रहें और हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि साधारण नागरिक न कर सकते हों।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं चर्चा में भाग लेना तो नहीं चाहता था किन्तु पिछले दो वक्ताओं के भाषणों से मुझे इतना आश्चर्य हुआ है कि मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मैं कोई वैधानिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं और न ही मैं इस मामले को कानूनी दृष्टि से देखता हूं।

विशेषाधिकार समिति प्रतिवेदन को मैं स्वीकार करता हूं। जब समिति ने यह निर्णय किया है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है, तो मेरा विचार था कि उस सम्बन्ध में उसकी सिफ़ारिशें बिलकुल उचित है और इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किन्तु बाद में ब्लिट्ज़ के सम्पादक ने अपनी सफ़ाई में जो बयान दिया, तो उससे मुझे यह अनुभव हुआ कि यह और भी आपत्तिजनक है। मुझे इस बात पर बहुत दुःख हुआ और क्रोध भी आया कि उपाध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में अनुचित आलोचना की गई है। हैरानी की बात है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि हम इसकी निन्दा भी न करें और मामले को बन्द कर दें। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को गलत तरीके से बयान किया गया है। भारत में इस समय जो भी स्वतंत्रता विद्यमान है वह संविधान के अन्तर्गत संसद् की प्रभुता और स्वाधीनता के फलस्वरूप अस्तित्व में आई है। यदि संसद् की प्रभुता प्रभावित होती है, तो अन्य सभी स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तरह हमें संसद् की प्रतिष्ठा को भी बनाये रखना है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पहले मेरा विचार था कि छोटी छोटी बातों पर संसद् को अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा किन्तु श्री करंजिया ने अपनी जो सफ़ाई दी है, उससे उनका अपराध और भी बढ़ जाता है। अब विशेषाधिकार समिति ने जो सिफ़ारिशें की है उनके कार्यान्वय में बाधा उपस्थित करना न्याय-

[श्री जवाहरलाल]

संगत नहीं है। यह बहुत गम्भीर बात होगी क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि हम सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने में न केवल असमर्थ हैं बल्कि अश्लीलता और अपराध करने की प्रवृत्ति को को प्रोत्साहन भी देते हैं।

इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : विशेषाधिकार समिति का मैं सदस्य था। मैं कह सकता हूं कि हमने इस मामले की जांच बिना किसी पक्षपात से की। मेरा विचार है कि हम जो भी कार्यवाही करें वह लोक हित में होनी चाहिये और और उस से सदन की प्रतिष्ठा का समर्थन भी होना चाहिये। जनता को यह महसूस न हो कि हमने अधिकार पूर्वक कोई कार्यवाही की है। हम एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो पहले कभी नहीं उठाया गया। ऐसा करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक और सोच लेना चाहिये। विशेषकर उस मामले के बारे में जो १९०१ में हाउस आफ कामन्स में उठाया गया था। वह डेली मेल नामक पत्र के बारे में था। खेद की बात है कि विशेषाधिकार समिति ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस पत्र (ब्लिट्ज) के सम्वाददाता ने स्पष्ट बता दिया है कि उसका उद्देश्य संसद अथवा विशेषाधिकार समिति से संघर्ष में आने का बिलकुल भी नहीं है। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसके पत्र के सम्पादक ने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसके पहले वक्तव्य से प्रकट होता है कि हो सकता है कि वह क्षमा याचना कर लेता किन्तु उसके सम्पादक ने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया मेरा विचार है कि विशेषाधिकार समिति को यह सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि वह यह सुझाव दे कि सम्वाददाता के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाये।

हम ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। यदि करंजिया यहां सभा में आते हैं तो एक तमाशा खड़ा हो जायेगा और सारा विश्व इस घटना को जान जायेगा। प्रधान मंत्री ने भी इसी पक्ष में अपनी राय दी है मेरा विचार है कि ऐसा करने से तो उनकी एवं उनके दल की ही बदनामी होगी।

†**श्री अशोक मेहता** : मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं। श्री मुकर्जी ने जिस मामले का उल्लेख किया है उस पर एक विशिष्ट प्रसंग में विचार किया जाना होगा। इस समय हमारे समक्ष जो मामला है उसकी उपस्थिति भिन्न है। यह मामला श्री आचार्य कृपालानी का नहीं है बल्कि सारी सभा के सम्मान का प्रश्न है। आचार्य कृपालानी के सम्मान पर आघात संसद के सम्मान पर आघात है। सभा को किसी व्यक्ति को सज़ा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम प्रतिष्ठा और भद्रता बनाये रखना चाहते हैं। इस मामले में जो दो सज्जन श्री करंजिया तथा श्री राघवन सम्बन्धित हैं उन्हें खेद ही व्यक्त करना है। हमारे सामने दो पूर्वोदाहरण हैं। एक १९४७ का और दूसरा १९५६ का। क्षमा याचना करने से लाभ ही होता है। क्षमा मांगने का प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है बल्कि क्षमा मांगने का सवालतो उस प्रतिष्ठित सभा से है जो देश की स्वतंत्रता बनाये रखने का दायित्व रखती है। ये लोग सभा से भी क्षमा याचना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिये हैं उनसे तो उनके अपराध की गुरुता और भी बढ़ जाती है। सभा का तो यही कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया है वह उन्हें नहीं करना चाहिये था और इसके लिये उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि वह ऐसा करने के लिये तैयार क्यों नहीं हैं? वर्तमान परिस्थिति में मेरा तो यही निवेदन है कि

†मूल अंग्रेजी में

सभा को एक मत से इस प्रस्ताव को पारित कर देना चाहिये। साम्यवादी सदस्यों से भी मेरा यही निवेदन है कि वे भी इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में अब काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये इस प्रस्ताव को अब मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो ११ अगस्त, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य दो प्रस्ताव नियम बाह्य हैं। सदन ने श्री करंजिया के लिये जो दंड निर्धारित किया है मैं उस के बारे में सदन में उनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाऊंगा। मैं श्री राघवन को दिये गये पत्रकार दीर्घापत्र और केन्द्रीय हाल का पास भी रद्द करूंगा। जब तक वह सदन से उचित क्षमा याचना न करें तब तक उन्हें यह कार्ड और पास न दिये जायेंगे।

आयकर विधेयक १९६१

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री मोरारजी देसाई के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : इस विधेयक को समझने के लिये यह आवश्यक होगा कि कर लेने वाले तथा कर देने वाले में आपसी संबंध क्या है? यह दुर्भाग्य की बात है कि कर इकट्ठा करने वालों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। जहां तक इस विधेयक की बात है यह आवश्यक है कि कर लेने वाले तथा देने वाले के आपसी सम्बन्ध अच्छे हों।। यह महत्वपूर्ण बात है कि निर्धारक आय कर कर्मचारी वर्ग का आदर करे। परन्तु यह भी उतनी ही जरूरी बात है कि निर्धारकों को अधिकारी लोग सम्मानित नागरिक समझें। उपरोक्त इस दुर्भावना को लेकर काम शुरू न करें कि कोई व्यक्ति पक्का अपराधी या करापवंचक है। कर-निरोधक की बहुसंख्या मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की है तथा उनसे सहानुभूति और शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिये। यह सुझाव दिया गया है कि विधि कठोर होनी चाहिये क्योंकि लोग आम तौर से कर बचाते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि करदाता मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। और उनका कर शुरू में वेतन लेते समय ही कट जाता है। कुछ करदाता ही धनी होते हैं जिनके आय के साधन विभिन्न होते हैं। जिनके बारे में ही कर अपवंचन के मामले उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकांशतः हमारे करदाता ऐसे हैं जिनकी आय ६०० रु० या उस से कम है।

श्री मुरारका ने अपने भाषण में उन कारणों का उल्लेख किया है जिनके कारण लोग करापवंचन करते हैं। करापवंचन का पहिला कारण तो यह है कि हमारे देश में कर की राशि आवश्यकता से अधिक होती है। ऐसे मामलों में लोग कर से बचने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि कर से बचना उनके लिये लाभदायक होता है। करापवंचन का दूसरा कारण यह है कि लोग समझते हैं कि उनके धन का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे लोगों का विचार है कि कर के रूप में उन से लिये गये धन का व्यय उस प्रकार नहीं हो रहा है जिस तरह कि वे खर्च करना चाहते हैं अथवा एक विचारक व्यय करता। इसी कारण वह करापवंचन करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

यदि हम चाहते हैं कि कर का भुगतान ठीक रूप से हो तथा हमारी आय कर विधि का आधार ठोस हो तो यह आवश्यक है कि आयकर विधि साधारण और स्पष्ट हो। इस विधेयक का उद्देश्य यही है। और इसी दशा में हमने प्रयत्न किया है। इस विधेयक का उद्देश्य इस आयकर विधि को सरल बनाना तथा ऐसे उपबन्ध करना है जिससे कि करापवंचन बचाया जा सके।

प्रवर समिति ने इस विधि में काफ़ी सुधार किया है। यद्यपि आय-कर विधि को सरल बनाने के बारे में हमने कुछ प्रगति की है, परन्तु अभी तक कुछ भाग ऐसे जटिल से है उनकी समझ सिवाय आय-कर अधिकारियों या केन्द्रीय राजस्वपर्षद के बिना किसी को नहीं होती है।

गैर-सरकारी कर्मचारियों को अनुतोषणा के सम्बन्ध में जो छूट दी गयी है, उसका स्वागत है। इसी प्रकार से कलाकारों, लेखकों तथा दूसरे मौलिक विचार की वस्तुओं के निर्माताओं को जो रियायतें दी गई हैं, वे उन्नत प्रकार का पग है। कहा जाता है कि सिने कलाकार काफी मात्रा में करापवंचन करते हैं। यह बात ठीक है। लेकिन इनके साथ हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये क्योंकि इनका जीवनकाल (कलाकार के रूप में) बहुत थोड़ा होता है।

जहां तक खण्ड १७९ की बात है यह सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के ढांचे को नष्ट कर देगा। ये कम्पनियां देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती रही हैं। इस खण्ड में कम्पनियों के दायित्व को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति का सारा धन ले लिया जा सकता है। वह एक ऐसे दायित्व के अन्तर्गत आ जाता है जिसे विगत काल से लागू किया गया है। यह उपबन्ध एक सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत के विरुद्ध है। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी ऐसी बात के लिये दंड नहीं दिया जा सकता जो उस समय जब वह बात की गई थी, उस समय वह अपराध नहीं समझी जाती थी।

मैं खंड १७९ का विरोध करता हूं। क्यों कि मेरे विचार से वह न्याय शास्त्र के मान्य सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस विधेयक को पारित करने का यह अर्थ है कि एक व्यक्ति जो एक वर्ष पहिले निदेशक था तथा उस समय की विधि के अधीन उस समवाय में अपने अंश से अधिक के लिये दावी नहीं था वह भी यह विधेयक पारित होने पर इस विधेयक का पारित होने के पूर्व जो कुछ भी हुआ है उसके लिये उत्तरदायी हो जायेगा।

इस खंड के पारित होने के पश्चात् मैं स्वयं भी किसी सीमित समवाय का निदेशक होना पसन्द नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है कि इससे हमारे विश्वास पर आघात पहुंचेगा।

खंड ७९ भी समवाय विधेयक के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। इससे समवाय तथा समवाय के व्यक्तियों को एक बनाने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः सारे अंशों में हस्तांतरण हो जाने के बाद भी निगमित उपक्रम का रूप वही रहता है। अत: यह आवश्यकता है कि दोनों खंडों पर पुनर्विचार किया जाये।

खंड ८५(५) में यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी विशेष धर्म समुदाय या जाति से संबंधित किसी संस्था को दान दिया जायेगा तो उसे कर से छूट नहीं मिलेगी। हम लोगों में यद्यपि भारतीयता विद्यमान है तथापि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म समुदाय या जाति से भी संबंधित है, अत: इस प्रकार का बन्धन लगाने से मनुष्यों की दान भावना पर चोट लगेगी। फल यह होगा कि इन संस्थाओं को दान मिलना बन्द हो जायेगा। हमें चाहिये कि हम व्यक्ति को दान भावना को प्रोत्साहित करें। इससे मनुष्य में स्वार्थपरता का विकास होगा।

खंड १३ (ख) एक घातक खंड है'। यह खंड बहुत बाद में रखा गया। यह वस्तुत : अवांछनीय है इसका परिणाम यह होगा कि जो राशि अभाव ग्रस्त लोगों को जानी चाहिये थी वह सरकार द्वारा ले ली जायेगी। यह विधान का सहारा लेकर धर्मनिरपेक्षता का प्रचार है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। श्री नौशीर भरूचा ने ठीक ही कहा है कि अभी तक बहुत से व्यक्तियों को यह ज्ञात ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं ? वस्तुत : बात यह है कि कोई भी किसी व्यक्ति को अपनी जाति, अपने धर्म या भाषा की सहायता करने से नहीं रोक सकता है। नि:संदेह वह अब ऐसा खुले आम न कर छिपे तौर पर करेगा। अत : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

प्रवर समिति के भंग होने पर कुछ सरकारी संशोधनों की सूचना दी गयी है। उनमें अधिकांश संशोधन आपत्ति रहित हैं मुझे इनके संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। तथापि सूची संख्या २ का संशोधन संख्या ६ के विरुद्ध म कुछ कहना चाहता हूं। इसके द्वारा खंड २४३ में यह संशोधन किया गया है कि ब्याज को दावे के ६ मास से स्थगित करके, दावे के निर्धारण के तीन मास बाद, कर देने की चेष्टा की गयी है यह एक अन्यायपूर्ण बात है क्योंकि इससे न नागरिक को नौकरशाही के रहम के नीचे रहना होगा जो कि किसी दावे को निलम्बित रखते हुए उसके ब्याज प्राप्ति संबंधी दावे से इन्कार करती है। यह संशोधन इस दृष्टि से प्रतिगामी है। अत : मेरा सुझाव है कि इस से प्रस्तुत ही नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मुझे प्रसन्नता है कि आयकर की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस विधेयक के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया गया है कि करदाताओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस समय लगभग ३०० करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होते हैं। तथापि कर अपवंजन की राशि भी बहुत अधिक है वह ३० या ४० करोड़ से २०० करोड़ रुपयों तक है। अत: हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि करों के संग्रह करने में अधिक से अधिक सुविधा रहे।

वस्तुत : आयकर अधिनियम का सरलीकरण करना अति कठिन है यहां तक कि इंगलेंड की संहिता समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया था कि आयकर को इस प्रकार संहितावद्ध करना कि एक सामान्य व्यक्ति उसे समझने में समर्थ हो बहुत कठिन है तथापि फिर भी सरकार ने इस दिशा की ओर कदम उठाया है और मेरे विचार से उन्हें इस प्रयोजन में बहुत सफलता भी मिली है। आशा है कि अनुभव के आधार पर हम इसका अग्रेतर सरलीकरण करने में समर्थ होंगे।

वस्तुत : हमें ऐसी कार्यवाही करनी होगी जिससे कर का कोई अवपंचन न हो। राष्ट्र को राजस्व की हानि के होने का अर्थ है ईमानदार करदाता पर अधिक भार। देश के बड़े बड़े व्यापारी वकीलों की बुद्धि का लाभ उठाकर इस कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार ऐसे करापवंचकों के प्रति सावधान रहे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब मैं विधेयक के उपबन्धों को लेता हूं। श्री मसानी ने खंड १७९ का विरोध किया है। जब कि श्री मुरारका ने यह कहा है कि निदेशक किस अंश तक जिम्मेवार रहेगा। इस खंड का यह स्पष्ट तात्पर्य है कि केवल उन्हीं निदेशकों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा जिसके अधीन वह भुगतान नहीं किया गया। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। जहां तक इस बात का संबंध है कि उपबंध भूतलक्षी अवधि से लागू होगा और भी कई विधियों में इस प्रकार के उपबंध किये गये हैं। वित्त मंत्री अपने उत्तर में इस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने एक संशोधन रखा है जिसके अधीन खंड १३ (ख) (१) इस खंड का यह तात्पर्य नहीं है किसी को उस समुदाय विशेष के प्रन्यास इत्यादि बनाने से रोका जा रहा है, इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि उसे उस पर आयकर देना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

खंड २७० से २७३ तक दंड से संबंध रखते हैं। श्री अचौ सिंह ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि कर अपवंचन करने वालों को निरोधी दंड दिया जाना चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं।

जहां तक कर भुगतान प्रमाण पत्र का संबंध है यह कार्य भी राज्यों से केन्द्र द्वारा ले लिया जाये। इससे आयकर प्रशासन में अधिक सहायता मिलेगी।

इसमें संदेह नहीं कि विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है, अत: कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाये।

†श्री सोमानी (दौसा): प्रवर समिति ने विधेयक में जो परिवर्तन किये हैं उसके लिये मैं प्रवर समिति और विशेषकर वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। और जो परिवर्तन किये गये हैं उनका स्वागत करता हूं। इससे करदाताओं की बहुत सी परेशानियां दूर हो जायेंगी। जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक का प्रारूप विधि आयोग द्वारा आयकर संबंधि कानून की व्यापक समीक्षा और त्यागी समिति के पुनरीक्षण के आधार पर गहन विचार करके निर्णय किया गया है। आशा करनी चाहिये कि अब इससे बार बार परिवर्तन न किये जायेंगे और उस बात का पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। वित्त मंत्री महोदय ने इस दिशा में बहुत ही न्याययुक्त कार्य किया है। यह ठीक है कि हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कराधान है और उसकी समीक्षा आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि खंड ११ से १३ के अन्तर्गत धार्मिक न्यासों को जो छट दी गयी है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। ऐसा करने से धार्मिक कार्यों के लिये अधिक धन प्राप्त होगा न्यासों के लिये १०,००० के स्थान पर यदि १५,००० की वार्षिक आय की व्यवस्था होती तो इससे बहुत ही अच्छा रहता। इस दिशा में मेरा मत है कि मन्दिरों को ठीक ठाक करके उनका सुधार करने तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लाभार्थ कार्यों के लिये दिये गये अंश दान पर छूट दी जानी चाहिये थी। अब मैं खंड ३२ की बात करता हूं। उसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही बड़ा प्रयत्न करने वाले हैं। हमें इस दिशा में अपने लक्ष्य की उपेक्षा को दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। मेरा सुझाव है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अवक्षयण की व्यवस्था की जानी चाहिये। विधेयक के खंड ३२ में इसके लिये उपबंध का निर्माण किया जाना चाहिये। अमेरिका बड़ा ही प्रगतिशील देश है परन्तु हाल ही में उसकी आर्थिक विकास समिति ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया है। इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि इससे सरकारी राजस्व को कोई हानि नहीं पहुंचती।

खंड ४० से ४५ के बारे में भी इसी उपरोक्त लक्ष्य को समक्ष रख कर मेरा निवेदन है कि जो समवाय अथवा लोग अपनी अधिकृत पूंजी बेच दें उन्हें कुछ शर्तों के आधीन पूंजीगत लाभकर से छूट दी जानी चाहिये। इसमें शर्त यह है कि अधिकृत पूंजी बेच कर उन्हें जो धन मिला हो उसे वे सरकारी प्रतिभूतियों तथा उसके बाद औद्योगिक उपक्रमों में लगाये। मैं वित्त मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें क्योंकि मेरा विचार है कि इससे राजस्व को अधिक हानि नहीं होगी और लोगों को भी सुविधा हो जायेगी।

खंड ३४ में जिन परिवर्तनों का सुझाव है उसके बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इन रूपभेदों के परिणामस्वरूप उद्योगों को दी जाने वाली रियायतें अनिश्चित सी हो गयी हैं। उदाहरण के लिए आप देखिये पांच वर्ष तक के कर में

---

†मूल अंग्रेजी में

छूट। मेरा मत है कि यह प्रस्तावित परिवर्तन अनुचित है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। खंड ७३ के उपबन्धों के अन्तर्गत जो परिवर्तन किये गये हैं उसके बारे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उससे दोहरे व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। इस संबंध में खंडों पर चर्चा के समय सविस्तार अपने विचार रखूंगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : प्रवर समिति ने जो परिवर्तन किये हैं उसके लिए हमें उसका धन्यवाद . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक १९६१ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अणु शक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा अणु शक्ति विभाग के वर्ष १९६०–६१ के प्रतिवेदन पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मुझे यह प्रस्ताव करते हुए बहुत ही गौरव हो रहा है कि अणु शक्ति विभाग के १९६०–६१ सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। अणु शक्ति आयोग ने गत वर्षों में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस मामले में हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अणु शक्ति विभाग हमारे लिए प्रतिष्टा अथवा शक्ति का प्रतीक है। यह बात तो लगभग सब पर स्पष्ट हो गयी है कि भारत का इरादा अणु-अस्त्रों के निर्माण का बिलकुल नहीं है। इसका लक्ष्य तो केवल यह है कि अणु शक्ति को शांति कार्यों के लिए प्रयोग किया जाय।

प्रतिवेदन के व्यापक अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अणु-शक्ति के सम्बन्ध में हमारी प्रगति बहुत ही सन्तोषजनक है। हमारे पास जो तीन 'रीएक्टर' हैं उनमें से एक 'ज़ेरलिना' को हमारे देश के लोगों ने स्वयं स्थापित किया है। कुछ प्रयोगों के लिए 'ज़ेरलिना' बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सब से प्रथम 'रिएक्टर' 'अपसरा' ने बहुत अच्छा काम दिया है। इसका 'रेडियो आइसोटोप्स' और खाद्य को रेडियो-धर्मी प्रभावों से रहित करने के लिए प्रयोग किया गया है। मेरा सुझाव है कि आयोग को अणु शक्ति की भौतिक दिशा के सम्बन्ध में अनुसंधान करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए परन्तु साथ ही धातु शास्त्र तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की ओर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें औद्योगिक 'रिएक्टरों' के उत्पादन के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। आजकल हम औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं अतः यह दिशा उपेक्षित नहीं रहनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

विद्युत् उत्पादन के लिए अणु शक्ति के प्रयोग के बारे में काफी समय से विवाद चल रहा है। मेरा यह मत है कि ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि अणु-शक्ति का प्रयोग कर सस्ती बिजली पैदा करने का प्रयोग न किया जाय। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार अणु शक्ति के उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक पहलू के बारे में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करे ताकि हमें सभी तथ्यों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही इस समय आयोग के अन्तर्गत जिन केन्द्रों को खोलने का विचार किया गया है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। सारे देश में कम से कम चार केन्द्र तो होने ही चाहिएं ताकि व्यापक रूप में लोग इससे लाभ उठा सकें। साथ ही कार्य को अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाय, इस उद्देश्य के लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत आयोग को अधिक धन देने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों से मैं आयोग के प्रतिवेदन के लिए सदन से सिफारिश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : एक विवाद चलता रहा है, और आलोचना होती रही है कि हमारी सरकार अणु शक्ति से विजली उत्पादन करने का प्रयत्न कर रही है जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे समृद्ध देशों ने भी इस बारे में अपनी प्रगति को धीमा कर दिया है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि यदि अणु शक्ति से पैदा हुई बिजली और तापीय बिजली के निर्माण व्यय को देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस दिशा में की गयी आलोचना नितान्त निराधार है। अध्ययन करने से पता चलता है कि तापीय बिजली के एक युनिट पर लगभग ६ नये पैसे का खर्च बैठता है। जबकि अणु शक्ति से प्राप्त बिजली के निर्माण में किसी भी अवस्था में चार नये पैसे से अधिक खर्च नहीं होता। इस दिशा में एक कठिनाई अवश्य है कि अणु शक्ति से बिजली पैदा करने के लिये आरम्भ में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। यह बात भी गलत है कि अन्य प्रगतिशील देश बिजली के उत्पादन के लिये अणु शक्ति के प्रयोग को प्रायः त्यागते जा रहे हैं। तथ्यों का अध्ययन और आंकड़ों की छान-बीन से पता चलता है कि अन्य देश इससे बराबर लाभ उठा रहे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि तापीय बिजली का खर्च कम होता जा रहा है। परन्तु हमें यह बात भी देखनी चाहिये कि अणु शक्ति द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है उस पर व्यय इससे भी कम आता है। अतः भारत अणु शक्ति से बिजली पैदा करके कोई विलासिता का कार्य नहीं कर रहा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने अणु शक्ति से बिजली उत्पादन का कार्य तीव्र कर दिया है। अणु शक्ति से पैदा होने वाली बिजली से दो लाभ हैं। वह बिजली पैदा करने के किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे पास अपेक्षित कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है। और हमें अणु शक्ति द्वारा बिजली पैदा करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहिये। मैं इस बात की मांग करूंगा कि सरकार इस दिशा में अपने कार्यक्रम को पूरा करने की शीघ्र ही घोषणा कर दे। इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि देश में अधिक से अधिक अणु शक्ति के संयंत्र स्थापित किये जायें ताकि बिजली की कमी भूतकाल की बात हो कर रह जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अणु शक्ति आयोग में वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं। उनके कार्य से हमारे देश का नाम विदेशों में काफी ऊंचा हुआ है। इस देश की संसद् को इस कार्य के लिये अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये। यह भी स्पष्ट ही है कि भारत इस शक्ति का प्रयोग शान्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। और भारत जैसे अर्धविकसित देशों में अणुशक्ति की अधिक से अधिक आवश्यकता है इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। हम वास्तव में चाहते हैं कि इस शक्ति को औद्योगिक और कृषि उत्पादन में प्रयोग किया जाय। अनुसंधान द्वारा इससे कुछ रोगों के निदान का रास्ता भी निकाला जा सकता है। इससे देश में जो कोयले की कमी की शिकायत है वह भी दूर हो सकती है और देश को आर्थिक लाभ भी प्हुंच सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि तैयार किये बीज किसानों को बड़े पैमाने पर कब बांटे जायेंगे? साथ में यह भी बताया जाना चाहिए कि चावल तथा अन्य फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों को मारने के लिए अनुसन्धान में क्या प्रगति हुई है?

युरेनियम के नये खेत मालूम करने में क्या प्रगति हुई है। राजस्थान में भिन्डर के स्थान पर जो अनुसन्धान किये गये हैं, उनका क्या परिणाम निकला है? इस विभाग में काम करने वाले वैज्ञानिकों को अधिक अच्छे वेतन-क्रम तथा अधिक सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि वे अपना काम उचित रूप से कर सकें। द्वितीय वेतन आयोग ने जो नये वेतन-क्रम घोषित किये हैं, वे वैज्ञानिकों को भी मिलने चाहिए और विभाग को भी स्थायी बना देना चाहिए।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): अणु शक्ति विभाग ने जो वैज्ञानिक प्रयोगशालायें और संस्थाएं स्थापित की हैं, उन पर हमें गर्व है। हम आशा करते हैं हम उन्हें और अच्छा और विस्तृत बनाने के लिए शक्ति तथा धन के व्यय में संकोच नहीं करेंगे और उन्हें देश के कोने-कोने में फैला देंगे।

टाटा मूल अनुसन्धान संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रह्माण्ड-करण तथा भू-भौतिकीय क्षेत्र में हमारे काम का रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है। संसार के प्रमुख वैज्ञानिकों पर हमारे वैज्ञानिकों के काम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और यह हर्ष का विषय है कि अमरीकी वैज्ञानिक ने हमारे वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष शास्त्र सम्बन्धी प्रयोगों के अध्ययन के लिए आमंत्रित किया है।

यदि हम ट्राम्बे तथा सारे देश में इलैक्ट्रानिक्स के सामान की आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें, तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी और हम न केवल विदेशी मुद्रा बचाने में अपितु शिपल्कारों की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित करने में सफल हो सकेंगे।

अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग में हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब समय आ गया है जबकि हम अपने वैज्ञानिकों को बाहरी अन्तरिक्ष में प्रयोगों के लिए तैयार किया जाये।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में अणु-शक्ति आयोग के लिए अनुसन्धान के लिए तथा दूसरे कार्यों के लिए जो ७५ करोड़ रुपये की मांग कोई बहुत अधिक नहीं है। सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए उनमें परिव्यय-लेखापाल रखे जाने चाहिएं ताकि वे अल्प-सूचना पर हमें अपेक्षित आंकड़े आदि दे सकें।

देश के पूर्वी तट पर 'थोरियम' को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान किया जाना चाहिए।

सरकार को ट्रावनकोर मिनरल्ज़ लिमिटेड, ट्रावनकोर के अधिक अंश खरीदने चाहिए, जिससे कि नियंत्रण उसके हाथ में आ जाये और उत्पादन बढ़ाया जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि इस समय तापीय बिजली का उत्पादन-व्यय कम बैठता है, किन्तु अणु शक्ति का उत्पादन-व्यय भी समय के साथ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

कम होता जा रहा है। अणु शक्ति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दूर-दूर के स्थानों पर, जहां कोयला एक हजार मील तक ले जाना पड़ता है, जैसाकि बम्बई मद्रास या राजस्थान में, अणु शक्ति द्वारा पैदा की गई बिजली सस्ती पड़ेगी।

उद्योगों और कृषि विकास के साथ-साथ परिवहन के साधनों का विकास उतना नहीं हुआ है। यदि इस संकट को दूर करना है तो अणु शक्ति से बिजली का निर्माण हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हमें अपना निर्यात बढ़ाना है तो उत्पादन-व्यय कम होना चाहिये और इसके लिये हमें अणु शक्ति के विकास की ओर ध्यान देना होगा।

अणु वैज्ञानिकों को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिये और उन्हें किसी आलोचना की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि अणु शक्ति आयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रधान मन्त्री के अधीन न होता, तो शायद इतनी प्रगति न होगी।

यदि हम सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिक विशेषज्ञों की सेवा से लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासकीय कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक अच्छे वेतन क्रम और सेवा की शर्त देनी चाहियें, जैसा कि हर उन्नत देश में किया जाता है।

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सामान्य शिक्षा माध्यमिक स्तर से ही शुरू कर देनी चाहिये। छात्रों के मन में विज्ञान के अध्ययन की दिलचस्पी पैदा करने के लिये उन्हें इन विषयों की सरल भाषा में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अणु शक्ति आयोग के काम की जो सामान्य रूप से प्रशंसा की गई उसके लिये मैं आभारी हूं। इसमें मेरा नाम भी लिया गया है किन्तु वास्तव में श्रेय उन लोगों पर है जो इस विभाग में काम कर रहे हैं।

मूल प्रश्न विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व का है। इसलिये मैं इस बात पर सहमत हूं कि आधुनिक युग में विज्ञान की शिक्षा स्कूलों में न केवल माध्यमिक स्तर पर बल्कि प्रारम्भिक स्तर पर शुरू कर देनी चाहिये।

विश्व के इतिहास को देखने का एक तरीका यह है कि मानव जाति के पास शक्ति के क्या साधन रहे हैं। किसी समय भारत में शक्ति का मुख्य साधन गोबर था। इससे आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से हमारी पिछड़ी हुई अवस्था का पता चलता है। उसके बाद भाप शक्ति आई। फिर बिजली की शक्ति आई। अब हम अणु शक्ति की अवस्था पर पहुंच गये हैं। दुनिया के साथ-साथ चलने के लिये यह अत्यावश्यक है कि हम अणु शक्ति को समझें और उसे इस देश में विकसित करें। जो लोग यह कहते हैं कि अणु शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वे सम्भवतः ऐसा इसलिये कहते हैं कि क्योंकि वे आधुनिक युग को नहीं समझते।

अणु शक्ति को विकसित करना केवल सिद्धान्त या पुस्तकें पढ़ने की बात नहीं है। इसके लिये ठोस काम करना होता है और हम कह रहे हैं और दूसरे लोगों से सीख कर कर रहे हैं। इस समय भी हमारे सैकड़ों युवक अन्य देशों में नवीनतम किस्म का काम सीख कर देश में वापस आ रकर उस को प्रयोग में ला रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय यों में अणुशक्ति के अध्ययन के लिये विशेष पद स्थापित किये जायें। मैं इसका स्वागत करता हूं किन्तु साधनों और अच्छे प्रशिक्षकों की कमी इस लिए एकके रुकावट है।

इस प्रकार के उच्चकोटि के काम के लिये प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की और मिलकर काम करने की भावना की आवश्यकता है। ट्राम्बे में हमें सफलता प्राप्त हुई है, उसका कारण यही भावना है। वहां दो से तीन हजार तक व्यक्ति काम कर रहे हैं किन्तु उनका काम अणु बम या हाइड्रोजन -बम बनाना नहीं है।

अणु शक्ति केन्द्रों की आलोचना की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले के दो पहलू हैं। मितव्ययता का पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि एक ही समय पर बहुत से ऐसे केन्द्र स्थापित करने होते तो व्यय आदि को ध्यान में रखना पड़ता। किन्तु जब हमने एक कदम उठा लिया है, तो इसको पूरा करना है, चाहे कितना ही व्यय हो तारापुर के केन्द्र को पांच साल लगने चाहियें। दूसरे पर चार पांच वर्ष और लगेंगे। यदि अब हमने अवसर हाथ से जाने दिया, तो भविष्य में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अब इसके आर्थिक पहलू को लीजिये ; इसके बारे में भी दो-तीन दृष्टिकोण हैं। श्री नौशीर भरूचा ने भी इनके बारे में कुछ कहा था। इसके बारे में दो-तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली तो यह कि वर्तमान स्थिति क्या है : आज उस पर कितनी लागत पड़ती है और कितना उत्पादन होता है। दूसरी बात यह कि एक खास किसी देश में इसकी स्थिति क्या है। मिसाल के तौर पर अमरीका में जो स्थिति है, वह चीन और भारत की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। अमरीका में बिजली सस्ती है, और अपने देश में भी झरिया में इसका जो आर्थिक पहलू है वह राजस्थान क्षेत्र; या बम्बई क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। जाहिर है कि जहां कोयला आसानी से मिल जाता है, वहां भाप या तापीय बिजली के लिये आसानी रहती है। कोयले के क्षेत्र दूर होने पर आण्विक शक्ति से बिजली हासिल करना ज्यादा ठीक रहता है। तीसरी बात यह कि आण्विक संस्थापनों का 'उत्पादन ज्यादा सस्ता होता दिखाई पड़ता है। कुछ वर्षों में वह और भी सस्ता पड़ने लगेगा। चौथी बात यह कि हमारे देश में बिजली की इतनी कमी है कि उसके उत्पादन के हर तरीके का इस्तैमाल करना चाहिये-- परम्परागत भी और आण्विक भी। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक अर्से बाद परम्परागत तरीके से बिजली बनाने के साधनों की बड़ी कमी हो जायेगी। इसलिये हमें उस स्थिति के लिये अपने को तैयार करना चाहिये अभी से विद्युत् केन्द्रों का निर्माण चालू करके।

कोयले के परिवहन की लागत के आंकड़ों के ब्यौरे में पड़ने से सभा का काफी समय नष्ट हो जायेगा। इसलिये मैं उसे अभी नहीं लेता। हां, एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आण्विक शक्ति से पैदा की गई बिजली आज भी सस्ती पड़ती है। बाद में वह और भी सस्ती पड़ने लगेगी। आण्विक केन्द्रों की जो आलोचना की गई है वह गलतफहमी पर आधारित है। इतनी बात स्पष्ट होनी चाहिये कि हम अभी तक जिस तरह बिजली का उत्पाद करते रहे हैं, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमें भविष्य के लिय अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। कृषि और उद्योग में हम इसीलिये पिछड़ गये हैं कि हम पुराने तरीकों से ही चिपके रहे हैं। दूसरे देश हम से कहीं आगे बढ़ गये हैं। यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता।

श्री दी० चं० शर्मा ने सुझाव रखा था कि हमें लागत के विषय पर एक श्वेत पत्र तैयार करना चाहिये। हम उस पर विचार और अमल करने की कोशिश करेंगे।

ट्राम्बे में विद्युतीय उपकरण काफी मात्रा में और कई प्रकार का तैयार हो रहा और वह बढ़ता ही जायेगा ।

हमने तारापुर में एक विद्युत केन्द्र बनाने का निर्णय किया है । उसके लिये टेण्डर मांग लिये गये हैं । अब उसके बाद की अवस्था यह होगी कि उत्तर प्रदेश-राजस्थान-पंजाब-दिल्ली क्षेत्र में कहीं एक विद्युतीय शक्ति केन्द्र स्थापित किया जायेगा । किसी ऐसे स्थान पर जहां से इन सभी क्षेत्रों को बिजली पहुंचाई जा सके । इसका भी करीब-करीब फैसला किया जा चुका है । इसका ब्यौरा तैयार करना बाकी है । अन्य परियोजनायें अभी विचाराधीन हैं । एक छोटा सा केन्द्र कनाडा के सहयोग से स्थापित करने का विचार है । ऐसे केन्द्रों के लिये स्थानों का चुनाव करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जा चुकी है । समिति सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश-राजस्थान-पंजाब-दिल्ली क्षेत्र के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करेगी । समिति के सभापति शायद श्री हयाथ हैं । उसमें आण्विक शक्ति विभाग के कई अन्य लोग भी हैं । समिति आगे के लिये भी सम्भावित स्थानों की सूची तैयार करेगी । हम चाहते हैं कि एक केन्द्र दक्षिण भारत में भी हो ।

मैं सभा को बताता हूं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेषकर आण्विक शक्ति पर सामान्यतया कितना व्यय हो रहा है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके आंकड़ दिये गये हैं । उसमें द्वितीय और तृतीय दोनों ही योजनाओं से संबंधित आंकड़े दिये गये हैं । वे आंकड़े इस प्रकार हैं :

	द्वितीय योजना अनुमित व्यय	तृतीय योजना (करोड़ रुपयों में)
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्	२०.००	३५.००
अणु शक्ति विभाग	२७.००	३५.००
कृषीय गवेषणा	१३.८०	२६.४०
भैषजीय गवेषणा	२.२०	३.५०
अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के अन्तर्गत गवेषणा (प्रतिरक्षा के अतिरक्त)	९.००	३०.८९

इसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बंधित आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि योजना में वह शामिल नहीं ।

मेरे पास उसके आंकड़े तो यहां मौजूद नहीं, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रतिरक्षा विज्ञान ने काफी तेजी से और ठोस प्रगति की है ? और करता जा रहा है ।

हमारा विचार है कि तारापुर आण्विक केन्द्र में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, विदेशी वैज्ञानिकों, विशेषकर कम विकसित देशों के वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण भी किया जाये । कनाडा और भारत के सहयोग से बनने वाले इस रीएक्टर' के बारे में यह पहले से तय हो चुका था । कनाडा और भारत के बीच हुए करार के अनुच्छेद २ में स्पष्ट कहा गया है कि भारत सरकार इस 'रीएक्टर' में अन्य देशों, जिनमें दक्षिण पुर्व एशिया के, कोलम्बो योजना वाले देशों, के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें देगी । यह हमारा कर्त्तव्य भी है । बहुत से देशों को एसी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं । एशियाई देशों में तो नहीं ही है ।

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है कि धातुकार्मिकी के मामले में हम पिछड़े हुए हैं । आण्विक शक्ति विभाग के बारे में यह सही नहीं है । हमारा धातु कार्मिक उद्योग काफी समर्थ है, इसका

एक प्रमाण यह है कि हम ईंधन के तत्व तैयार करत हैं। संसार में केवल पांच-छः देश ही यह कर पाते हैं।

चिकित्सा में आण्विक शक्ति के उपयोग का भी उल्लेख किया गया था। जाहिर है, उसे बढ़ाना तो चाहिये। हम उस पर विचार कर रहे हैं।

शायद श्री जोकिम आल्वा ने पुर्व में मोनाजाइट के निक्षेपों के बारे में कहा था। सबसे बड़े निक्षेप बिहार में हैं। सचमुच रांची के पठार के आसपाम काफी बड़े निक्षेप हैं, शायद केरल तट पर मिले निक्षपों से भी बड़।

श्री आल्वा ने इल्मेनाइट से टिटेनियम डाइऑक्साइड तैयार करने के बारे में भी कुछ कहा था। कोई निजी फर्म उसका संयंत्र लगा रही है। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारे अपने देश में इल्मेनाइट की मांग विदेशों की उपेक्षा बहुब थोड़ी सी है।

विरोधी दल के किसी माननीय सदस्य ने वेतन-क्रमों का भी उल्लेख किया था। वेतन-क्रमों का निर्धारण शीघ्र ही वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। उसे १ जुलाई, १६५६ से लागू किया जायेगा। उनके अतिरिक्त, कुछ विशेष वेतन-क्रम भी हैं, जिनके बारे में वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। उनके निर्धारण में कठिनाई होने से ही सभी वेतन-क्रमों के निर्धारण में विलम्ब हुआ है। लेकिन निर्धारित होते ही उनको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा। हमारे वैज्ञानिकों को अन्य वैज्ञानिकों से कम नहीं मिलेगा और शायद इसी वेतन-क्रम के अन्य लोगों से वे कहीं अच्छे रहेंगे।

मैं इस सभा और माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अण्विक शक्ति विभाग के कार्यों में इतनी रुचि दिखाई है और अपनी पुरी सहानुभूति दी है। उसी के बल पर हम इतने आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ सके हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): राजस्थान-उत्तर प्रदेश-पंजाब-दिल्ली क्षत्र में दूसरे संयंत्र के लिय स्थान का चुनाव कब तक कर लिया जायगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं अभी ठीक-ठीक नहीं बता सकता। समिति नियुक्त की जा चुकी है। कुछ समय तो लगेगा ही।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: भाखरा-नंगल, दुर्गापुर और रीएक्टर्स ने हमारी प्रगति में अभूतपूर्व योगदान तो किया है, पर अभी तक वे हमारी जनता की चेतना के भाग नहीं बन सके हैं। हमें इसका प्रयास करना चाहिये। आण्विक शक्ति विभाग के सभी कार्यकर्त्ताओं ने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ काम करके भारत को वैज्ञानिक सफलताओं की राह पर आगे बढ़ाया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा अणुशक्ति विभाग के वर्ष १६६०–६२ के प्रतिवेदन पर, जो ७ अगस्त, १६६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २१ अगस्त, १६६१/२० श्रावण, १८८३ (शक) के पश्चात् ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १९ अगस्त, १९६१

२८ श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या		१६८१–१७०१
६८१	पाकिस्तानियों द्वारा सीमातिक्रमण	१६८१–८३
६८२	ग्रामीण मकानों के निर्माण की प्रविधि .	१६८३—८५
६८३	केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था .	१६८५—८६
६८४	मजूरी बोर्ड .	१६८६—८८
६८५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	१६८८–८९
६८६	फरक्का बांध . . .	१६८९–९२
६८७	भारतीय सीमा पर पाकिस्तानियों का आक्रमण	१६९२–९३
६८८	विस्फोटक पदार्थ .	१६९५–९५
६८९	'ओवरमैन' की परीक्षा	१६९५
६९०	कम लागत वाले स्कूटर .	१६९५–९६
६९३	पश्चिम बंगाल में लाख उद्योग	१६९६–९८
६९४	घड़ियों का निर्माण . . .	१६९८—१७००
६९६	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटड .	१७००–०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७०१—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९१	दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां	१७०१–०२
६९२	नकली रेशम का सूत	१७०२
६९५	कन्टाई समुद्र तट पर खारा पानी निकालने के लिए पवन चक्की.	१७०२–०३
६९७	ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने की मशीनरी .	१७०३
६९८	नेपाल में भारतीय पूंजी .	१७०३

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६९९	चीनी आक्रमणों के बारे में प्रसारण . .	१७०३—०४
७००	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् . . .	१७०४
७०१	फिल्म सेंसर नियम . . .	१७०५
७०२	केनया में सेवाओं का अफ्रीकीकरण	१७०५—०६
७०३	नकली रेशम के सूत का व्यापार	१७०६
७०४	संगठन और रीति विभाग की रिपोर्ट . . .	१७०६
७०५	बागान उद्योगों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजन	१७०६—०७
७०६	चेन्नापटना में रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्था	१७०७
७०७	काश्मीर में उद्योग . . .	१७०७
७०८	टांगानीका सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय कर्मचारी	१७०८
७०९	लोहा और इस्पात उद्योग में जन सम्पर्क	१७०८
७१०	दिल्ली में गंदी बस्ती हटाने का काम .	१७०८—०९
७११	इटली की मदद से स्थापित किये जाने वाले कपड़ा कारखाने	१७०९
७१२	खान कर्मचारियों का मेंगनीज विष से प्रभावित होना .	१७०९
७१३	गन्धक का उत्पादन . .	१७१०
७१४	फ्रांसीसी कपड़ा निर्माण मशीनरी का आयात	१७१०
७१५	रुई का मूल्य . . .	१७११
७१६	कलकत्ते में जस्ता पिघलाने का कारखाना	१७११
७१७	पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण .	१७११—१२
७१८	केन्द्रीय मशीनरी औजार संस्था	१७१२
७१९	"बैनानामा" योजना . . .	१७१२—१३
७२०	पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली चलाया जाना .	१७१३
७२१	संयुक्त प्रबन्ध परिषदें .	१७१३—१४
७२२	उर्वरकों का उत्पादन	१७१४
७२३	कराची में भारतीय राजदूतावास की इमारत .	१७१४
७२४	भारी विद्युत उपकरण संयंत्र . .	१७१५—१६
७२५	दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र . .	१७१६
७२६	मशीनी औजार फैक्टरियां	१७१६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६०३	जम्मू और काश्मीर राज्य में उर्वरक कारखाना	१७१७
१६०४	औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना . .	१७१७
१६०५	औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन	१७१७
१६०६	दण्डकारण्य विकास पंचवर्षीय योजना . .	१७१८
१६०७	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ .	१७१८
१६०८	असम में उर्वरक कारखाना	१७१८
१६०९	क्वार्टरों का निर्माण	१७१८—१९
१६१०	पंजाब में खादी का उत्पादन . .	१७१९
१६११	भारत-चीन विवाद सम्बन्धी प्रकाशन .	१७१९
१६१२	इंग्लैंड स्थित उच्चायुक्त पर व्यय	१७१९
१६१३	औद्योगिक आवास योजना . .	१७१९—२०
१६१४	केन्द्रीय निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ को मान्यता	१७२०
१६१५	महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां .	१७२०
१६१६	वातानुकूलन यंत्र . .	१७२०—२१
१६१७	पंजाब में सीमेंट की मांगें . . .	१७२१
१६१८	भारतीयों की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की भारत यात्रा .	१७२१
१६१९	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	१७२२
१६२०	संवहनीय हिन्दी टाइपराइटर .	१७२२
१६२१	हाइपोडर्मिक सिरिन्ज .	१७२२—२३
१६२२	महात्मा गांधी की कृतियों के संकलन का प्रकाशन .	१७२३
१६२३	विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारी	१७२३
१६२४	पंखों का उत्पादन .	१७२३—२४
१६२५	सीमेंट की आवश्यकता . .	१७२४
१६२६	टोकियों में भारतीय राजदूतावास की इमारत	१७२५
१६२७	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग एकक .	१७२५
१६२८	बाल एण्ड रोलर बीयरिंग परियोजना	१७२५
१६२९	एशियाई देशों से आयात	१७२५-२६
१६३०	गोआ के साथ व्यापार	१७२६
१६३१	अनुशासन संहिता का उल्लंघन . .	१७२६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६३२	कार्य कुशलता संहिता	१७२७
१६३३	कच्ची फिल्म परियोजना	१७२७
१६३४	सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे	१७२७—२८
१६३५	डालमिया सार्थ	१७२८
१६३६	पानीपत में कागज मिल	१७२८
१६३७	सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत को निर्यात . .	१७२८—२९
१६३८	दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आस पास छोटे पैमाने के उद्योग .	१७२९
१६३९	कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना	१७२९
१६४०	विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपल्स नामक पुस्तिका	१७२९
१६४१	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम .	१७३०
१६४२	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम .	१७३०
१६४३	अनधिकारवासी परिवारों का पुनर्वास	१७३०—३१
१६४४	पंजाब में जाली पासपोर्ट के मामले	१७३१
१६४५	किराये की वसूली . .	१७३१
१६४६	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत मछुवों का छुड़वाया जाना	१७३२
१६४७	ट्रांसमीटरों की स्थापना	१७३२
१६४८	निर्यात गृह	१७३३
१६४९	योजना आयोग का पुनर्गठन	१७३३
१६५०	दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर प्रतिबन्ध	१७३३
१६५१	कोयला खानों में दुर्घटनायें .	१७३३—३४
१६५२	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम का लागू किया जाना .	१७३४
१६५३	सिंगरेनी कोयला खानों के लिये क्वार्टर .	१७३४
१६५४	रानीगंज कोयला खानें	१७३४—३५
१६५५	आकाशवाणी केन्द्र .	१७३५
१६५६	श्री सन्त सिंह तेज की पाकिस्तान यात्रा . .	१७३५—३६
१६५७	उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास . .	१७३६
१६५८	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	१७३६

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

१६५६	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	१७३६–३७
१६६०	रेल व सड़क परिवहन में समन्वय . .	१७३७–३८
१६६१	पटसन उद्योग में स्वचालित करघे . .	१७३८–३९
१६६२	सिक्किम में रेडियो स्टेशन	१७३९
१६६३	रायसीना मार्केट, नई दिल्ली	१७३९
१६६४	आसाम और पश्चिम बंगाल में रद्दी रूई के कम्बलों का संभरण .	१७४०
१६६५	डेरी किशन चन्द के अग्नि पीड़ितों को भूमि का आवंटन	१७४०
१६६६	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मूल्य निर्धारित करना .	१७४१
१६६७	औद्योगिक विकास . .	१७४१
१६६८	औद्योगिक बस्तियां . . .	१७४२
१६६९	चाय का निर्यात	१७४२
१६७०	पांडिचेरी में श्रमिक और भाटकिता सुधार अधिनियम	१७४२–४३
१६७१	पाकिस्तान सतलुज रेंजर्स द्वारा गोली चलाया जाना .	१७४३
१६७२	हथकरघा उद्योग . .	१७४३
१६७३	जैगांव-पारो सड़क . .	१७४४
१६७४	भारत-पाकिस्तान सीमा करार . .	१७४४
१६७५	सरकार द्वारा बनाई गई सम्पत्तियों का नियतन और हस्तांतरण	१७४५
१६७६	पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा भारतीय औरतों का अपहरण .	१७४५–४६
१६७७	हाथियों का निर्यात .	१७४६
१६७८	पत्तन और गोदी कर्मचारी . .	१७४६–४७
१६७९	प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद् .	१७४७
१६८०	टोकियो में अनुसन्धान संस्था .	१७४७
१६८१	आकाशवाणी का 'स्वाहिली' यूनिट .	१७४७–४८
१६८२	'ट्रोइका" नीति . . .	१७४८
१६८३	हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	१७४८–४९
१६८४	राज्य सरकारों को हिन्दी में भेजे गये परिपत्र	१७४९
१६८५	केन्द्रीय मूल्यांकन तथा कार्यान्विति प्रभाग .	१७४९
१६८६	'जरनल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड' . . .	१७४९–५०
१६८७	भारतीय दूतावासों में प्रयोग की जाने वाली लेखन सामाग्री .	१७५०
१६८८	कहवा उद्योग में श्रमिकों का कल्याण .	१७५०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६८६	कपड़े कि मिलें . .	१७५१
१६६०	तांबा और जस्ते की आवश्यकता .	१७५१
१६६१	कथ के दाम . .	१७५१-५२
१६६२	कथ का तेल .	१७५२
१६६३	लद्दाखी व्यापारी . . .	१७५२—५३
१६६४	तिब्बत के लिये आकाशवाणो का कार्यक्रम .	१७५३
१६६५	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का आगमन	१७५३
१६६६	चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी .	१७५३
१६६७	शिक्षित बेरोजगार .	१७५४
१६६८	पंजाब में कुटीर-उद्योग .	१७५४
१६६६	पंजाब में हथकरधा उद्योग	१७५५
१७००	दिल्ली के गांवों में रेडियो सेट .	१७५५
१७०१	रबड़ बागान उद्योग .	१७५५—५६
१७०२	केरल राजकीय विद्युत् बोर्ड के लिये टायर	१७५६
१७०३	बनियान मोजों आदि का निर्यात . .	१७५६—५७
१७०४	समुद्री खाद्य और मेंढ़क की टांगों का निर्यात	१७५७—५८
१७०५	मेडिया सरकारी बस्ती	१७५८
१७०६	पश्चिम बंगाल लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण	१७५८—५६
१७०७	अमरीका को भारतीय आप्रवासी . . .	१७५६
१७०८	महाराष्ट्र में गोआ निवासी . . .	१७५६
१७०६	अल्कोहल के कारखाने . . .	१७५६—६०
१७१०	दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये शरणार्थी	१७६०
१७११	पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावों का भुगतान	१७६०—६१
१७१२	पाकिस्तान को बैलों का निर्यात . . .	१७६१
१७१३	पंचकुई रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये पानी के नल आदि .	१७६१—६२
१७१४	इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लि० .	१७६२
१७१५	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी . .	१७६२—६३
१७१६	मद्रास के लिये सीमेंट	१७६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१७१७ पंजाब में भारत सेवक समाज .	१७६३–६४
१७१८ पंजाब में चाय बागान	१७६४
१७१९ प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि .	१७६४
१७२० पंजाब में कार्य तथा अनुस्थितिज्ञान केन्द्र	१७६४–६५
१७२१ पंजाब में कर्मकारों के लिये शिक्षा केन्द्र	१७६५
१७२२ पंजाब में विस्थापित लोगों के लिये शिक्षा	१७६५
१७२३ सिलिमेनाइट का निर्यात	१७६५
१७२४ फैरोमेंगनीज का निर्यात	१७६६
स्थगन प्रस्ताव . .	१७६६–६८

अध्यक्ष महोदय ने देश में गुप्तचरों के एक गिरोह के कथित पता लगने के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों को ; जिन की सूचना श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री हेम बरूआ ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१७६८–६९

(क) मशीन टूल टैक्नोलोजी और डिजाइन इंस्टीटयूट की स्थापना पर विचार करने वाली समिति का प्रतिवेदन।

(ख) दिनांक ९ अगस्त, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या १९(१)/६१ इंग प्रो० जिस में उपरोक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय दिया गया है। (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण)

(ग) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७४ में प्रकाशित नमक (रक्षित स्टाक) संशोधन आदेश, १९६१।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनाक २९ जुलाई, १९६१ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ९९२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवा संशोधन) योजना १९६१।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की प्रथम अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९५१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९३।

विषय — पृष्ठ

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२ के अन्तर्गत निकाली गई उक्त अधिनियम को कतिपय श्रेणियों के प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक ५ अगस्त, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१३ ।

(चार) २८ अप्रैल, १६६१ को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रमिक समिति के उन्नीस अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष ।

सभा का कार्य १७६६

विधेयक पुर: स्थापित १७६६

शिशिक्षु विधेयक ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . . . १७६६—७६

१८-८-६१ को सरदार हुक्म सिंह द्वारा विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर, जिस में यह कहा गया था कि श्री करांजिया सदन के समक्ष उपस्थित हों, अग्रेतर चर्चा हुई और वह अस्वीकृत हुआ । प्रक्रिया नियमों के नियम ३१५(२) के अनुसरण में डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, कि सदन विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं, स्वीकृत हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . १७७६—८३

आयकर विधेयक, १६६१, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १७८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव : . . १७८३—८६

श्री दी० चं० शर्मा ने अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री दी० चं० शर्मा ने वाद विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सोमवार, २१ अगस्त १६६१/३० श्रावण, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।